

षोडश माला, खंड 10, अंक 33

सोमवार, 11 मई, 2015  
21 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)



सत्यमेव जयते

(खंड 10 में अंक 31 से 35 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

### © 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

---

### अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद-विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंग के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

# विषय-सूची

षोडश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2015 / 1937 (शक)  
अंक 33, सोमवार, 11 मई, 2015 / 21 वैशाख, 1937 (शक)

## विषय

## पृष्ठ संख्या

### सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015	12
(दो) भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015	13-28

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का  
अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के संबंध में वक्तव्य

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह

29-31

**मंत्री द्वारा वक्तव्य**

‘आतंकवादियों का प्रत्यर्पण’ के बारे में दिनांक 5 मई, 2015 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 6331 के बारे में स्पष्टीकरण

श्री राजनाथ सिंह 32-33

**सदस्य द्वारा निवेदन**

33-58

पूर्व मंत्री और राज्य सभा के वर्तमान सदस्य द्वारा 9 मई, 2015 को माननीय अध्यक्ष लोक सभा के सम्बंध में की गई टिप्पणी के बारे में

**विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015**

60-101

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 61-70

96-89

श्री पी.पी. चौधरी 71-74

प्रो. सौगत राय 75-77

श्री भर्तृहरि महताब 78-81

श्री अभिजित मुखर्जी 82-83

श्री एस.आर. विजय कुमार	84-85
श्री थोटा नरसिम्हम	86-87
श्री पी. करुणाकरन	88-90
श्री एस.एस. अहलुवालिया	91-93
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	94-95
खंड 2, 3 और 1	100
पारित करने के लिए प्रस्ताव	100-101
<b>अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015</b>	102-245
विचार करने के लिए प्रस्ताव	102
श्री अरुण जेटली	102, 110-117, 202-211

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	118-130
डॉ. किरीट सोमैया	131-138
श्री पी. कुमार	139-143
श्री कल्याण बनर्जी	144-148
श्री भर्तृहरि महताब	149-154
श्री अरविंद सावंत	155-158
श्री जयदेव गल्ला	159-150
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	151-166
डॉ. ए. संपत	164-171
श्री वाराप्रसाद राव वेलागपल्ली	172-174
श्री तारिक अनवर	175-177
योगी आदित्यनाथ	178-180
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	181-182
श्री शेर सिंह गुबाया	183-184
श्री धर्मवीर गांधी	185-186
श्री कौशलेन्द्र कुमार	187-188

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	188-192
श्री दुष्यंत चौटाला	192-193
श्री गणेश सिंह	194-196
डॉ. शशि थरूर	197-201
खंड 2 से 88 और 1	212-236
पारित करने के लिए प्रस्ताव	236

लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्रीमती सुमित्रा महाजन

**उपाध्यक्ष**

डॉ. एम. तंबिदुरै

**सभापति तालिका**

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

**महासचिव**

श्री अनूप मिश्र

## लोक सभा वाद-विवाद

---

---

लोक सभा

-----

सोमवार, 11 मई, 2015 / 21 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं]

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, आप सरकार की स्थिति देखिए।.... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे आ रहे हैं। आप तो आए हैं, आपका स्वागत है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मुझे श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री पी. करुणाकरण और श्री के.सी. वेणुगोपाल से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हैं। हालांकि ये मामले काफी महत्वपूर्ण हैं, फिर भी दिन के कामकाज में रुकावट की आवश्यकता नहीं है। मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है। मैं आपको एक अवसर दूंगी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** सबसे पहले, दो विधेयक पुरःस्थापित किए गए। उसके बाद, मैं आपको अनुमति दूंगी। पांच मिनट रुकिए।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. जितेन्द्र सिंह विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

**(1) सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन), 2015<sup>1\*</sup>**

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**डॉ. जितेन्द्र सिंह:** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

<sup>1\*</sup>भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 11.05.2015 में प्रकाशित।

## पूर्वाह्न 11.02 बजे

(2) भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार

(संशोधन) विधेयक, 2015<sup>2\*</sup>

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ...  
(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री राजू शेटी जी पहले बोल सकते हैं। इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने पर आपत्तियां हैं। फिर मंत्री जी अंत में उत्तर देंगे। श्री राजू शेटी के बोलने के बाद, मैं आपको अनुमति दूंगी।

... (व्यवधान)

<sup>2\*</sup>भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 11.05.2015 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

**श्री राजू शेटी (हातकणंगले) :** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी जो भूमि अर्जन विधेयक सदन में पेश कर रहे हैं, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बिल को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** आप बताएं कि आप इस विधेयक के पुरःस्थापन के विरुद्ध क्यों हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री राजू शेटी:** मैं इसका विरोध करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जब तक सरकार किसानों की सहमति नहीं लेती, तब तक किसान अपनी एक इंच भूमि भी नहीं देंगे। इसलिए मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूँ, यह किसान विरोधी बिल है और उनका गला घोटने वाला बिल है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** महोदया, प्रक्रिया के नियमों के नियम 72(1) के अंतर्गत, मैं भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित विरोध करता हूँ। यह विधेयक कुछ भूमि अर्जन के मामलों में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर अध्याय 2 और खाद्य सुरक्षा पर अध्याय 3 को हटा देता है। यह विधेयक किसानों के हित के विरुद्ध है और सभी विपक्षी राजनीतिक दलों और किसान संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया है। अतः, इसे हर उस व्यक्ति द्वारा पूरी ताकत से विरोध किया जाना चाहिए जिसके दिल में किसानों का हित है। यह विधेयक उन मामलों में किसानों की सहमति के अधिकार को भी समाप्त कर देता है जहाँ किसी निजी पार्टी के लिए भूमि अर्जन हेतु 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की आवश्यकता थी। जिसे कुछ भूमि अधिग्रहणों के मामले में भी हटा दिया गया है। यह विधेयक दिखाता है कि किसी विधेयक को कैसे प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वर्ष 2013 में संसद में सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया गया था। उस समय बी.जे.पी. ने भी उस विधेयक का समर्थन

किया था। सरकार अचानक दूसरा संशोधन विधेयक लेकर आती है। बहुमत के कारण, सरकार इसे लोक सभा में पारित करती है। लोक सभा इसे पारित कर देती है। इसे राज्य सभा में भी नहीं उठाया जाता है। सत्र कुछ देर के लिए स्थगित होने के बाद सरकार अध्यादेश जारी करती है। फिर अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए यह विधेयक फिर से लाया गया है। कानून बनाने की यह कठिन प्रक्रिया कुछ ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए। ...  
(व्यवधान)

यह एक अच्छी खबर है! बधाई हो! हम आपको बधाई देते हैं। ... (व्यवधान) महोदया, वे बहुत खुश हैं। यह बहुत अच्छा है। जबकि हमारे ए.आई.ए.डी.एम.के. मित्रों के पास बंगलुरु की खबरों से खुद को खुश करने के कारण हैं, हम नाखुश महसूस करते हैं कि सरकार द्वारा किसानों के विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा देश को अध्यादेश राज के माध्यम से चलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह दूसरी बार है जब इस अध्यादेश को लाया गया है। अतः, अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं इस किसान-विरोधी विधेयक के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ, जो किसानों से उनकी भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति देने का अधिकार छीनता है, जो किसानों से उनकी भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अधिकार छीनता है और जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम प्रावधानों को भी समाप्त कर देता है।

हमने वर्ष 2013 में भी विधेयक का विरोध किया था जब सरकार ने 80 प्रतिशत सहमति खंड पेश किया था। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हम निजी पार्टियों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की 100 प्रतिशत सहमति चाहते थे, जैसा कि सिंगूर आंदोलन के दौरान मांग की गई थी। इसलिए, यह हमारी पार्टी के लिए सिद्धांत और विश्वास का मामला रहा है। हम इस सरकार द्वारा बड़े व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहण विधेयक में किसी भी तरह के बदलाव के प्रयास का विरोध जारी रखेंगे।

**श्री एम.बी.राजेश (पालक्काड़):** मैं भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूँ।

मैं मुख्य रूप से दो आधारों पर इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूँ। सबसे पहले, इस विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो भूमि हड़पने का कारण बनेंगे और देश भर में राजनीतिक संबद्धता से परे किसान इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में किसानों के बीच व्यापक आक्रोश, विरोध और गंभीर चिंता है। इस विधेयक से सहमति, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन जैसी सभी प्रावधानें हटा दी गई हैं। इसके अलावा, यह विधेयक बड़े व्यापार और कॉर्पोरेट्स के हित को प्राथमिकता देता है। इससे कॉर्पोरेट की जमीन हड़प ली जाएगी। ...

(व्यवधान)

मैं संक्षेप में इन बातों की व्याख्या करूँगा। मैं इसका दो आधारों पर विरोध कर रहा हूँ। सरकार कह रही है कि वह राष्ट्रहित में काम कर रही है। सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय हित कॉर्पोरेट्स का हित है। हमारे लिए, यह राष्ट्रीय हित नहीं है। देशहित इस देश के लाखों किसानों और गरीबों का हित है।

दूसरा, अध्यादेश के प्रख्यापन, उसकी पुनः प्रख्यापन और विधेयक के प्रस्ताव कि पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 123 की मौलिक योजना के विरुद्ध है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार, यह अध्यादेश केवल असाधारण और असामान्य परिस्थितियों में प्रमुखीकृत किया जा सकता है। सरकार ने दूसरे सदन को समाप्त करके एक असाधारण परिस्थिति को कृत्रिम रूप से बनाया है, और फिर से इस अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित किया है। जहां तक हमारे संविधान के संवैधानिक इतिहास का संबंध है यह एक असाधारण स्थिति है। इसलिए मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहा हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** अब, श्री प्रेमचन्द्रना कृपया संक्षिप्त रहें और दोहराएं नहीं।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** मैं बहुत संक्षिप्त रहूँगा और मेरे विचार संविधान और प्रक्रिया नियमों तक सीमित होंगे, विधेयक के गुण और दोष पर नहीं।

मैं तीन बातों के आधार पर इस विधेयक के पुनःस्थापन का पुरजोर विरोध करता हूँ। समय बचाने के लिए, मैं अनुच्छेद 107 और अनुच्छेद 123 पढ़ूँगा। सबसे पहले, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, और मैं माननीय अध्यक्ष से भी व्यवस्था की मांग कर रहा हूँ। क्या अध्यादेश की घोषणा से विधेयक निष्फल हो जाएगा? यह मेरा पहला

प्रश्न या मेरा पहला व्यवस्था का प्रश्न है जिसे मैं रखना चाहूँगा। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए है क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है; और एक समान विधेयक जो लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, और वही राज्य सभा को भेजा गया है, जो वहाँ लंबित है। इसके बाद एक अध्यादेश लाया गया है। जब इस सभा से कोई विधेयक पारित होकर दूसरे सभा में भेजा जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? विधेयक पर दूसरे सदन को विचार करना होगा। साथ ही, सरकार इस सदन में विधेयक पेश नहीं कर सकती है। यह तर्क देना गलत है कि जो विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किया गया था और अब राज्य सभा में लंबित है, वह अध्यादेश की घोषणा के साथ निष्फल हो गया है। अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक स्वतंत्र विधायी उपाय है; यह विधानमंडल का उत्पाद नहीं है।

अध्यादेश सदन के पुनःसंयोजन की तिथि से छह हफ्ते के अंत में समाप्त हो जाता है। मैं जो प्रासंगिक बात कहना चाहूँगा वह यह है कि कोई विधेयक कभी भी समाप्त नहीं होता है। एक अध्यादेश समाप्त हो जाता है लेकिन एक विधेयक तब तक समाप्त नहीं होता जब तक कि सभा भंग नहीं हो जाती। एक बार फिर, मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि कोई विधेयक तभी समाप्त होगा जब सभा भंग हो जाएगी। संविधान या प्रक्रिया के नियमों में ऐसी कोई अन्य स्थिति नहीं है कि कोई विधेयक समाप्त हो जाए। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक टिप्पणी की है। यह प्रेस के साथ-साथ दूसरे सदन के भी सामने आया है। इसीलिए, मैं उद्धृत नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि विधेयक निष्फल हो गया है। मैं सिर्फ़ इस बिंदु तक ही सीमित रहूँगा।

अध्यादेश प्रख्यापित होने के कारण विधेयक निष्फल हो गया है। संविधान या प्रक्रियाओं के नियमों में कोई 'निष्फल' शब्द नहीं है और यह कि विधेयक निष्फल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए 'लैप्स' शब्द इस्तेमाल किया गया है। मुझे अनुच्छेद 107, खंड 3 को उद्धृत करने की अनुमति दी जा सकती है जो यह निर्धारित करता है कि संसद में लंबित एक विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा। दूसरे सभा को समाप्त करके निश्चित रूप से, विधेयक कभी भी समाप्त नहीं होता। यह संविधान के अनुच्छेद 107 के अनुसार है। मेरी मुद्दा यह है कि जब अध्यादेश जारी होता है तो लंबित विधेयक समाप्त नहीं होता है। इसलिए, इस विधेयक को इस सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राज्यसभा में लंबित है। राज्य सभा को या तो पारित

करना होगा या संशोधन करना होगा। यदि इसमें संशोधन किया जाता है, तो हमें विधेयक पर आंदोलन करने का अवसर मिलेगा। यह संविधान पर आधारित पहला मुद्दा है।

दूसरा, नियम 112, प्रक्रिया नियमों का खंड 2 सदन से विधेयकों को हटाने के संबंध में निर्धारित करता है। हाँ, मैं सहमत हूँ कि यह विधेयकों को हटाने से संबंधित है। नियम 112, खंड 2 में कहा गया है कि सभा के समक्ष लंबित किसी विधेयक को सभा में लंबित विधेयकों के रजिस्टर से भी हटा दिया जाएगा, यदि सभा द्वारा काफी हद तक समान विधेयक पारित किया जाता है या नियम 110 के तहत विधेयक वापस ले लिया जाता है। एक बार फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे पढ़ना चाहूंगा। इसमें कहा गया है: "सभा के समक्ष लंबित विधेयक को सभा में लंबित विधेयकों के रजिस्टर से भी हटा दिया जाएगा, यदि सभा द्वारा काफी हद तक समान विधेयक पारित किया जाता है।"

महोदया, स्पष्टीकरण पर आते हुए, सभा के समक्ष लंबित एक विधेयक में सभा में पुरःस्थापित किया गया एक विधेयक शामिल होगा। लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 112 (2) के अनुसार, यदि सभा विधेयक को पेश करने के लिए सहमत हो जाता है, तो इसके क्या परिणाम होंगे? नियम 112 (2) के अनुसार, विधेयक को हटाना होगा क्योंकि यह कहता है कि यदि एक समान विधेयक, जो इस सभा द्वारा पहले ही पारित हो चुका है और दूसरे सभा में भेजा जा चुका है, तो वह विधेयक सभा में आता है, उस विधेयक को हटाना होगा। इसलिए, यदि माननीय अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार विधेयक पेश किया जाता है या यदि विधेयक पेश करने की अनुमति दी जा रही है, तो निश्चित रूप से यह नियम 112 (2) लागू होगा और विधेयक को हटाना होगा। ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। यह भी एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रावधान में 'शैल' शब्द का उपयोग किया गया है। तो, निश्चित रूप से नियम 112 (2) लागू है। चूंकि इस सभा द्वारा एक समान विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है और दूसरे सभा में लंबित है, इसलिए इस विधेयक को नियम 112 (2) के तहत पेश नहीं किया जा सकता है।

नियम 67 पर आते हुए, पिछली बार भी मैंने एक ही मुद्दा उठाया था, वह समान विधेयक के बारे में है। नियम 67 के अनुसार:

"जब कोई विधेयक सदन के समक्ष लंबित है, तो एक समान विधेयक की सूचना, चाहे वह लंबित विधेयक के लागू होने से पहले या बाद में प्राप्त हो, यथास्थिति, लंबित सूचनाओं की सूची से हटा दी जाएगी, या दर्ज नहीं की जाएगी, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे।"

इस मामले में, माननीय अध्यक्ष के पास यह निर्देश देने का पूर्ण अधिकार है कि विधेयक पेश किया जा सकता है। तो, मैं इस नियम 67 पर अडिग नहीं हूँ।

लेकिन, महोदया, लोक सभा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 107 और 123 में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 112 (2) के तहत, मेरा मजबूत बिंदु यह है कि इस विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता है। यदि इसे पेश किया जाता है, तो यह संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का उल्लंघन करेगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष से एक व्यवस्था की मांग करूंगा और मैं इन आधारों पर इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध भी करना चाहूंगा।

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** महोदया, मैं यहां विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस सभा द्वारा पारित किया गया यह विधेयक-हालांकि हम बाहर चले गए थे और विपक्ष के कई सदस्य भी पारित होने के समय बाहर चले गए थे-फिर से क्यों पुरःस्थापित किया जा रहा है और अप्रैल के पहले सप्ताह में एक अध्यादेश क्यों जारी किया गया था। उस अध्यादेश को अप्रैल के महीने में बजट सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत में भी पुरःस्थापित किया गया था।

महोदया, इस बीच एक दिलचस्प घटना हुई है और यहाँ मैं रामायण के समय की बात करना चाहूँगा जब इक्ष्वाकु वंश के दौरान, तपस्या के कारण विश्वामित्र ने त्रिशंकु को जीवित अवस्था में स्वर्ग जाने के लिए उठा दिया था। लेकिन उसे स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो वह बीच में रहा और एक नया स्वर्ग बनाया गया। क्या हम इस विधेयक के लिए बीच में एक और स्वर्ग खड़ा करने जा रहे हैं? इस विधेयक को इस सभा ने पारित किया। यह राज्य सभा तक नहीं पहुंचा, हालांकि मेरे सहयोगी श्री प्रेमचन्द्रन कह रहे थे कि यह राज्य

सभा की संपत्ति है। यह राज्य सभा की सम्पत्ति नहीं है क्योंकि यह राज्य सभा तक नहीं पहुंची थी। यह बीच में कहीं है। मैं खोज रहा था कि यह केंद्रीय कक्ष में पाया जा सकता है या नहीं। वह वहाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है। वह विधेयक कहाँ है? कम-से-कम जब इस विधेयक को सदन में पुरःस्थापित करने की मांग की जाती है, तो मंत्री जी हमें बताएं कि उस विधेयक का क्या हुआ। सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। अब वे एक विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं। अध्यादेश और यह विधेयक उस विधेयक के समान है, जो इस सभा द्वारा पहले पारित किया गया था। तो, कौन सी बात सरकार को इस विधेयक को हमारे विचार के लिए फिर से लाने के लिए मजबूर कर रही है?

महोदया, मैं संविधान के किसी भी नियम या किसी भी प्रावधान का हवाला नहीं दे रहा हूँ।

**प्रो. सौगत राय:** यह संविधान का उफस उड़ाने के समान है।

**श्री भर्तृहरि महताब:** वह एक बात है। मैं मुद्दे की गुणवत्ता में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब हम भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, जब आप विधेयक का शीर्षक पढ़ते हैं, तो यह मुखर होता है। लेकिन, संक्षेप में, यह भूमि अधिग्रहण विधेयक है। यह भूमि अधिग्रहण विधेयक सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ था। यह एक आम सहमति थी जो तत्कालीन सरकार द्वारा बनाई गई थी। कई राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति जताई थी। आज भी, मैं यही कहूंगा कि उस विधेयक में सुधार की आवश्यकता है। शुरुआत से ही केवल तृणमूल कांग्रेस को यह मत था कि उन्हें भूमि अधिग्रहण विधेयक नहीं चाहिए। कई सदस्यों को यह भी लगता है कि - वे एक राय रखते हैं कि - 'भूमि' राज्य का विषय है। संबंधित राज्यों को अपना विधेयक तैयार करने दीजिए। केंद्र द्वारा एक विधेयक क्यों बनवाना चाहिए?

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता, उत्तर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट के लिए स्पष्टीकरण देना चाहूँगा।

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं।

... (व्यवधान)

**श्री भर्तृहरि महताब:** लेकिन, यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पुरःस्थापित किए जा रहे विधेयक के वर्तमान सूत्रीकरण पर हमें गंभीर आपत्ति है। हम भी अपने संशोधनों को प्रस्तुत करेंगे। हम खुद ही इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के विरोध में हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** हाँ, माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना):** महोदया, हम कुछ कहना चाहते हैं।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** नहीं, आपने कोई सूचना नहीं दी है। सभी ने सूचनाएं दी थी। हमें नियमों का पालन करना होगा।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मुझे पता है, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, लेकिन आपको प्रक्रिया के नियमों का पालन भी करना चाहिए।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** उन सभी ने सूचनाएं दी गई हैं। उन्होंने भी अनुमति मांगी लेकिन मैंने नहीं दी।

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** महोदया, हम आपकी अनुमति चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी कुछ कहना चाहते हैं।.... (व्यवधान)

**नगर विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू):** यह व्यवस्था नहीं है।.... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वे प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करते हैं?

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** ठीक है। वे अनुरोध कर रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें अनुमति दे रही हूँ। लेकिन यह नियम के अनुसार नहीं है। मैं आपको अनुमति दे रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** मैडम स्पीकर, प्रेमचन्द्रन जी ने अभी आर्टिकल 123 और 107 के बारे में कहा और उसके बाद जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बताया, उसकी डिटेल्स मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। आपको यह मालूम है और सदन को भी मालूम है। महताब जी ने भी अपने विचार रखे हैं। जो बिल यहां पर आकर गया था, वह राज्य सभा में अभी पेंडिंग है। वह इंट्रोज्यूस भी नहीं हुआ, वह कहां है, इसका पता नहीं है। ... (व्यवधान) वह कहीं भी नहीं है। त्रिशंकु में है या कहां है, मालूम नहीं है। क्या विश्वामित्र की अभी सृष्टि हो रही है, वहां है, मालूम नहीं। ऐसी स्थिति में जो बिल अभी जीवित है, उसे मारने की कोशिश क्यों हो रही है? यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। उसे वहां पास होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अगर वह बिल यहां लाया गया, फिर उसके बाद हम यहां उस पर चर्चा कर सकते हैं। एक तो यह बिल पेंडिंग है, जीवित है, जीवित रहने के बावजूद भी अगर आप फिर एक आर्डिनेंस लाकर, यहां पर इंट्रोज्यूस करके हम पर थोपना चाहते हैं और इस देश की जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं, तो इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

यह ऐसा बिल है जो किसानों के हित में नहीं है। वर्ष 2013 का जो बिल था, वह सभी की सहमति से बना हुआ बिल था। यह बिल सिर्फ पूंजीपतियों के, कारपोरेट के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनको जो पेमेंट करनी थी, उस पेमेंट के लिए लाया गया है। ... (व्यवधान) आज वही चल रहा है। ... (व्यवधान) इस बिल पर एक बार चर्चा होकर जाने के बाद फिर आर्डिनेंस के रूप में यह कैसे आ गया? रूल्स में ऐसा नहीं है, संविधान में नहीं है, फिर भी इसे थोपने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आपको डिस्क्रीशन है। इसको हम चैलेंज नहीं करते हैं। ... (व्यवधान) जो भी डिस्क्रीशन है, वह जुडिशियसली यूज करना चाहिए।

...(व्यवधान) आप किसानों के हित में रहने वाली, सोचने वाली स्पीकर हैं। ... (व्यवधान) ऐसे वक्त में अगर यह बिल लाया गया, तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे और इस सदन को हम चलने भी नहीं देंगे। ... (व्यवधान)

**श्री एम. वैकैय्या नायडू :** अध्यक्ष महोदया, यह गंभीर मामला है, इसलिए आप भी इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। बिल के ऑब्जेक्ट और प्रोसिजर परे ऑब्जेक्ट करने के लिए हर एक सदस्य को अधिकार है, इसमें मेरा कोई ऐतराज नहीं है। मगर, उस नाम पर सरकार के ऊपर आरोप लगाना, पूंजीपतियों की सरकार कहना, यह-वह कहना, यह अनुचित है। ... (व्यवधान) इस देश में किसने 50 सालों में पूंजीपतियों को सपोर्ट किया, ... (व्यवधान) उनको बढ़ाया है। ... (व्यवधान) यह सबको मालूम है। ... (व्यवधान) मेरा कहना है कि ... (व्यवधान) यह बिल... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अनुच्छेद 123, के तहत, अध्यादेश अधिकार भारत के संविधान द्वारा सरकार को दिये जाते हैं। अनुच्छेद 123 बहुत स्पष्ट है कि सरकार एक अध्यादेश जारी कर सकती है। इस अनुच्छेद के तहत एक अध्यादेश जारी होने पर उस अध्यादेश को संसद के एक अधिनियम के रूप में समान प्रभाव और अधिकार होता है। फिर, इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सरकार द्वारा इसे लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार चाहती है कि संसद को विश्वास में लिया जाए, क्योंकि हमने बाद में इसमें परिवर्तन किए थे। जब सभा ने इसका भरपूर समर्थन किया है तो यह अलोकतांत्रिक और जनविरोधी कैसे हो सकता है? ... (व्यवधान)

यह किसान हितैषी कानून है। ... (व्यवधान) पूरे देश और संसद में बहुमत ने यह फैसला किया है। कांग्रेस सहित सभी दल बदलाव चाहते थे और इसीलिए, ये बदलाव किए गए हैं। यह देश के हित में है। अन्यथा, देश का विकास प्रभावित होगा। उस समय मंत्री जी ने भी यही कहा था। उन्होंने पत्र लिखे हैं। यदि माननीय सदस्य उन दस्तावेजों को चाहते हैं, तो वे भी उन्हें दिए जा सकते हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आपकी पार्टी की तरफ से बोला गया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय:** मुझे स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहिए कि यह सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय नहीं था। यह सहमति थी। मैंने हमारी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, की ओर से संशोधन लाया था, उस पर अगस्त, 2013 में मतदान हुआ था। मतदान का परिणाम था - संभवतः हाँ वाले '268' और नहीं वाले '19'। यही अंतर था। तो, तृणमूल कांग्रेस किसी भी प्रकार के विधेयक के प्रस्तावना के विरुद्ध नहीं है, लेकिन वह किसानों के हित में होना चाहिए। जब हम इसका विरोध करते हैं, तो इस विधेयक में कहा गया था: "कि कुल भूमि का 80 प्रतिशत मालिक द्वारा लिया जाना चाहिए और 20 प्रतिशत केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा लिया जाना चाहिए".... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह पहले ही बोला जा चुका है। कृपया बैठ जाइए। अब, माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** मैडम, रूलिंग होनी चाहिए।

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** अध्यक्ष महोदय, किसानों के मुद्दे पर...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** रूलिंग मिलेगी पहले उन्हें बोलने दें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** उनका भी अधिकार है। वह भी कुछ कह सकते हैं।

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** हम इसकी प्रस्तावना के विरुद्ध आपत्ति जता रहे हैं।... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** मैडम, इस समय रूलिंग की जरूरत है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** जब वह उत्तर दे देंगे, फिर मैं रूलिंग दूंगी।

... (व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :** अध्यक्ष महोदया, मैंने सदन से लैंड एक्वीजिशन बिल पेश करने की आज्ञा मांगी थी। वह इसलिए कि हम जो एक नया ऑर्डिनैस ले कर आये, उसके तहत यह जरूरी था कि हम सत्र के पहले दिन उस ऑर्डिनैस को हाउस में रखें और मेरे साथी मंत्री रूडी जी ने उस दिन ऑर्डिनैस को हाउस में रखा और इसी हाउस को इस बिल पर चर्चा करनी है और आज मैंने आपसे यह अनुरोध किया है कि इस पर चर्चा करने के लिए मुझे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए समय दिया जाये। पहली बात, जो महताबजी से आती है, वह यह है कि विधेयक कहाँ है। मैं इस विभाग का प्रभारी हूँ, पहला और दूसरा विधेयक मेरे पास है।... .. (व्यवधान)

बीच में कोई नहीं है... (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदया, मैं सदन से अनुमति चाहता हूँ कि मुझे इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। यदि वे इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो वे चर्चा होने पर इस पर चर्चा कर सकते हैं।... (व्यवधान) लेकिन यह उचित तरीका नहीं है... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** महोदया, मंत्री जी कह रहे हैं कि दो बिल इनके पास हैं। पहला बिल भी इनके पास है और दूसरा बिल भी इनके पास है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, अब मैं अपना निर्णय दे रही हूँ

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, पुरःस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित विधेयक के समान कोई विधेयक लोक सभा में लंबित नहीं है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** ऐसा कोई विधेयक लंबित नहीं है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** इसलिए, मैं यह कह रही हूँ।

... (व्यवधान)

**श्री एम. वेंकैया नायडू:** यह एक नया विधेयक है। उन्होंने कहा कि... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं भी यही कह रही हूँ।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** हाँ, महताबजी

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा?

... (व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** उन्होंने कहा है कि पहला बिल भी उनके पास है और दूसरा बिल भी उनके पास है।... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, आप स्पष्टीकरण करवा लीजिए। उन्होंने कहा है कि उनके पास दो बिल हैं।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अगर सब चिल्लाएंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री भर्तृहरि महताब:** महोदया, मैं पूछ रहा हूँ कि वह असाधारण स्थिति क्या थी, जिसने मंत्री जी को अध्यादेश लाने के लिए मजबूर किया। वह अभी भी यही दोहरा रहे हैं कि उनके पास दो विधेयक हैं... (व्यवधान) बेशक, यह लोक सभा में नहीं है, लेकिन यह उनके पास है; और इसलिए, आपको विचार करने और पारित करने से पहले उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा... (व्यवधान)

**श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह:** यह आपका कहना है कि दो स्वर्ग हैं। दूसरा स्वर्ग कहाँ है?

**माननीय अध्यक्ष:** महताबजी, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले एक विधेयक के जैसा कोई भी विधेयक लंबित नहीं है। इसलिए, जैसा कि श्री प्रेमचन्द्रनजी ने तर्क दिया है, नियम 67 और नियम 112 यहां

लागू नहीं होते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने से रोकता है, जबकि उसी विषय पर लोक सभा द्वारा पारित विधेयक राज्य सभा में लंबित है।

इसीलिए, माननीय सदस्यगण, स्थापित प्रथा के अनुसार, अध्यक्ष यह निर्णय नहीं लेते कि एक विधेयक किसी सभा की विधायिका संघ क्षमता के अंतर्गत है या नहीं; और सभा भी इस पर कोई निर्णय नहीं लेती।

इसलिए, मैं प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** महोदया, हम इस पर आपत्ति करते हैं; और हम विरोध स्वरूप सभा भवन से बाहर जाते हैं।

### **पूर्वाह्न 11.34 बजे**

*इस समय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन और कुछ अन्य*

*माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह:** महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

**पूर्वाह्न 11.35 बजे**

**भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन)**

**अध्यादेश, 2015<sup>3\*</sup> के बारे में वक्तव्य**

**माननीय अध्यक्ष:** मद सं. 3 अध्यादेश के संबंध में वक्तव्या।

**ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री और पीने के पानी और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश 2015 (2015 का संख्यांक 4) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक स्पष्टीकरण वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** अब, मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया जाना है। मैं यह कहना चाहूंगी कि जब तक वे सदन के अंदर नहीं आ जाते हैं, तब तक हम इंतजार करें।

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू):** मेरा सुझाव है कि हम इसे केवल परिचय के लिए ले रहे थे। एक बार जब इस पर विचार किया जाता है, तो सदस्यगण जो बोलना चाहते थे, वें बोल सकते थे। इससे पहले वे अपने भाषण दे रहे हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** मुझे पता है। लेकिन उनकी आपत्ति प्रस्तावना के लिए ही थी। इसीलिए, मैंने अपना निर्णय दिया है। अब, मंत्री जी ने इसे पुरःस्थापित किया है।

**श्री एम. वेंकैया नायडू:** यह अच्छा है कि आपने निर्णय दे दिया है। विपक्ष के नेता ने पहले ही कहा था कि कुछ भी नहीं बदलेगा। कानून जारी रहेगा। आप 20 मार्च, 2015, के तुरंत बाद दूसरा अध्यादेश ले सकते हैं। विपक्ष

<sup>3\*</sup> सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.2655/16/15।

के नेता या कांग्रेस पार्टी ने पहले भी यही कहा है। भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, उन सभी वर्षों में उन्होंने क्या किया और कितने अध्यादेश पारित किए हैं? महोदया, यदि वे राजनीतिक टिप्पणियां करते रहेंगे तो सरकार चुप नहीं बैठ सकती और जो कुछ वे कह रहे हैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। यह सभा का विशेषाधिकार है। सभा इस पर चर्चा कर सकती है और इस तरह से निर्णय ले सकती है। सभा ने इसे भारी बहुमत से पारित किया है। वे कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर क्या है? क्या बहुमत की मंजूरी एक बुलडोजर है? नई परिभाषा क्या है जो वे देना चाहते थे? मेरा सुझाव है कि उन्हें अपनी आपत्तियां उठाने दें। इस विधेयक को लेकर सरकार की भी योजना है। मैं सभा को विश्वास में लेना चाहता हूं। इस विधेयक के बारे में हमारे पास कुछ सुझाव हैं। मैं दूसरों के साथ भी चर्चा कर रहा हूं। बिना सुने ही कि प्रस्तावना चरण में, जिस विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी मिली थी, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यह बहुत अनुचित है। वे राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं।

मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ कि इस तथ्य पर ध्यान दें कि सभा में तख्तियाँ लाई गई थीं और इस प्रकार की चीजों के संबंध में क्या किया जाना चाहिए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए और एक बार के लिए निर्णय लिया जाना चाहिए। अन्यथा, सभी इसी तरीके का पालन करेंगे।

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री महोदय, क्या आप एक बयान देना चाहते हैं या आप उनके वापस आने तक इंतजार करना चाहते हैं?

पूर्वाह्न 11.38 बजेमंत्री द्वारा वक्तव्य

लोक सभा में 5 मई, 2015 को 'आतंकवादियों का प्रत्यर्पण' के बारे में अतारांकित प्रश्न सं. 6331 पर

स्पष्टीकरण

[हिन्दी]

**गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :** अध्यक्ष महोदया, एक्स्ट्राडिशन ऑफ टेररिस्ट के बारे में लोक सभा में दिनांक 5 मई, 2015 को एक अतारांकित प्रश्न 633(1) के उत्तर का स्पष्टीकरण देने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूँ।  
...(व्यवधान)

महोदया, प्रतिपक्ष का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस दल के नेता के बैठने के बाद ही मैं अपना स्टेटमेंट शुरू करूंगा। दाऊद इब्राहिम वर्ष 1993 में मुम्बई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामलों में वांछित है। दाऊद इब्राहिम मुम्बई में वर्ष 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के मामलों में वांछित है और उसके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस नं. ए-135, 134/4-1993 मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उसके खिलाफ एक विशेष नोटिस नं. यू-65, 64/4-2006 जारी किया हुआ है। भारत के पास उसके पाकिस्तान में मौजूद होने के बारे में विश्वसनीय सूचनाएं हैं। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी पासपोर्टों और पाकिस्तान में उसके कथित पतों सहित उससे संबंधित अन्य ब्योरा समय-समय पर पाकिस्तान को इस अनुरोध के साथ मुहैया कराया जाता रहा है कि वे उसका पता लगाएं और उसे भारत को सौंप दे क्योंकि इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने वाला देश भारत है।

पाकिस्तान ऐसे व्यक्ति का पता लगाने के लिए बाध्य है जिसके बारे में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है ताकि नोटिस जारी करवाने वाला देश उस व्यक्ति के संबंध में प्रत्यर्पण/निर्वासन या कोई अन्य कानूनी प्रक्रिया आरंभ कर सके। पाकिस्तान को पर्याप्त दस्तावेज और अन्य साक्ष्य सौंपे जाने के बावजूद पाकिस्तान दाऊद

इब्राहिम का पता लगाने तथा कानूनी प्रक्रिया आरंभ करने में पूरी तरह से विफल रहा है। भारत पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा करने, दाऊद इब्राहिम तथा अन्य आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें भारत को सौंपे जाने के बारे में सभी स्तरों पर लगातार दबाव बनाए हुए है।

अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत विनम्रता के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हमें चाहे पाकिस्तान को परसू करना हो या पाकिस्तान पर प्रैशर बिल्ड-अप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे, यह बात मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** उन्होंने एक बयान दिया है। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

**पूर्वाह्न 11.41 बजे****सदस्य द्वारा निवेदन**

एक पूर्व मंत्री और राज्य सभा के वर्तमान सदस्य द्वारा 9 मई, 2015 को माननीय अध्यक्ष लोक सभा के सम्बंध में की गई टिप्पणी के बारे में

**माननीय अध्यक्ष:** अब श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं देखूंगी। मैं आपको अनुमति दूंगी।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** मेरा भी नोटिस है, इसलिए बोल रहा हूं। ... (व्यवधान)

मैडम, आपने मुझे बोलने के लिए कहा है। ... (व्यवधान) आपने मेरा नाम पुकारा है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे पूर्व यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ... ..<sup>4\*</sup>  
... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप यहां किसी का नाम मत लीजिए।

... (व्यवधान) \*

<sup>4\*</sup> कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** उन्होंने स्पीकर की, यानी आपकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगाया है और कहा है कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं नाम निकालने के लिए कह रही हूँ।

... (व्यवधान)

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** यह बेहद खतरनाक आरोप है, भयंकर आरोप है। ... (व्यवधान)

... \* यह आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैंने नाम निकालने के लिए बोल दिया है।

... (व्यवधान)

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** स्पीकर की रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ... (व्यवधान)

महोदया, यह संदिग्ध नहीं है। यह एक सुस्थापित प्रथा है। अध्यक्ष महोदया के फैसले पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। यह बहुत ही बेहद चिन्ताजनक विषय है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप यहां किसी का नाम नहीं लेंगे।

... (व्यवधान)

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** मैडम, यह बेहद चिन्ताजनक विषय है। ... (व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि प्रिविलेज मोशन के माध्यम से इसे कमेटी में भेजा जाये और उन्हें चेतावनी दी जाये कि वह दोबारा स्पीकर के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। ... (व्यवधान) यह वेल्-ऐस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है। ... (व्यवधान) मैं इसलिए कह रहा हूँ ... (व्यवधान) हम हाउस में भी चर्चा नहीं कर सकते। मैं लोक सभा में बीजेपी का मुख्य सचेतक हूँ। ... (व्यवधान) मुझे बहुत से लोग कहते हैं ... (व्यवधान) आप विपक्ष को वैसे ही ज्यादा सुनती हो, लेकिन उसके बावजूद पूर्व यूनियन मिनिस्टर ने आप पर आरोप लगाया है। मेरा कहना है कि यह बहुत ही चिन्ताजनक विषय है। हमारी संसदीय

प्रणाली पर प्रश्न चिह्न है। ... (व्यवधान) चेयर पर, पीठासीन पर यह प्रश्न चिह्न है, इसलिए हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। ... (व्यवधान) इसकी जितनी निंदा हो, हाउस के माध्यम से, चर्चा करके हाउस के माध्यम से निंदा की जानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में वह प्रैस में ऐसा कोई स्टेटमेंट न दे सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री निशिकान्त दुबे, श्री पी.पी. चौधरी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** महोदया, मैं एक छोटा सा संदर्भ देना चाहता हूँ क्योंकि आपको एक संदर्भ दिया गया है। मैं केवल कौल और शकधर का एक छोटा सा संदर्भ देना चाहूँगा जो अध्यक्ष द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर विचार करते हैं।

"लोक सभा अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक पद है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे उच्च दर्जा प्राप्त है। हालांकि संविधान के प्रक्रिया नियमों के तहत अध्यक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जिस राजनीतिक दल से संबंधित है, उससे अपने संबंध तोड़ ले, लेकिन एक बार जब वह पद के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो वह सदन का संचालन करते हुए पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कार्य करता है। इसलिए निष्पक्षता अध्यक्ष के पद के लिए एक अभिन्न विशेषता है। इसलिए, सभा के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अध्यक्ष के चरित्र या निष्पक्षता पर टिप्पणी को विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना माना गया है।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल:** हां, यह सदन की अवमानना है।

**माननीय अध्यक्ष:** यह सब ठीक है।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरा

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह मेरे विचाराधीन है। मैं अनुमति दूँगा। कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह कौन सी सूचना है? क्या आप इस मामले को उठाना चाहते हैं? हां, मैं आपको अनुमति दूँगी।

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे खड़गे जी और मेरे अन्य मित्रों से भी अपील है कि यह पक्षपातपूर्ण मामला नहीं है। हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आइए हम तथ्यों पर चलते हैं। यदि यह एक तथ्य है, तो हमे विपक्ष को, सरकार को और सभा के ईं इस पर विचार करना चाहिए। सभी पक्षों को भी इस मुद्दे से गुजरने दें। अभी तक, मैं बिना प्रामाणिकता के कुछ नहीं कह रहा हूँ। अखबार में एक खबर आई है जहां अध्यक्ष महोदया के आचरण पर प्रश्न उठाए गए हैं। पूरे सदन का मुद्दा होने के कारण, मैं विपक्ष से भी अपील करता हूँ कि कृपया इस पर ध्यान दें। आइए हम इसका अध्ययन करें और फिर कुछ सार्थक निष्कर्ष पर आएँ ताकि भविष्य में इस तरह की प्रवृत्ति की अनुमति न हो।

यह इस पार्टी या उस पार्टी का मुद्दा नहीं है; यह किसी भी पार्टी का हो सकता है। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है। अध्यक्ष के आचरण पर कभी भी सदन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अन्यथा, संसदीय प्रणाली प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। माननीय सदन से यही मेरी अपील है। ...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं करेंगे।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरा

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। इस पर चर्चा नहीं होगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने एक नोटिस दिया है। कृपया उन्हें अपना मुद्दा उठाने दें।

... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): हमने भी नोटिस दिया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको अपने मुद्दे को भी उठाने की अनुमति दूंगी। कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने जो कुछ भी प्रस्तुत किया है वह मेरे विचाराधीन है। उसी के अनुसार निर्देश दिए जाएंगे।

... (व्यवधान)

श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदया, मैं राष्ट्रीय महत्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूँ।

... (व्यवधान) मुझे बोलने की अनुमति दी जा सकती है।... (व्यवधान) यह उचित नहीं है। ... (व्यवधान)

मेरी मांग गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम को निरस्त करने के संबंध में है। इसका व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है। यह एस.सी., एस.टी., आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है। यह कानून बहुत ही उच्च उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था, अर्थात् राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध सभी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए है। दुर्भाग्य से इस कानून का बहुत ही निंदनीय तरीके से दुरुपयोग

किया गया है। हजारों युवा बिना मुकदमे के भारतीय जेलों में बंद हैं। यह न्याय से इनकार के अलावा और कुछ नहीं है। जहां तक इस राष्ट्र का संबंध है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

हुबली मामले में हाल के फैसले में 17 अभियुक्तों में से, चार मलयाली थे। न्यायालय ने उन्हें सात वर्ष बाद बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन आरोप साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। महोदया, सात वर्ष के बाद न्यायालय कहता है कि वे निर्दोष हैं। उनका जीवन चला गया है; उनका भविष्य चला गया है और उनका करियर भी समाप्त हो गया है। इन सारी चीजों की भरपाई कौन करेगा?

महोदया, केवल वह ही नहीं, बल्कि देश के हर हिस्से में इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। युवकों को हिरासत में लिया गया है। बिना चार्जशीट दाखिल किए, उन्हें जेलों में रखा जाता है। यह उनके अधिकारों का हनन है। इसलिए, मैं सरकार से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह करता हूँ ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एम.बी. राजेश, डॉ. ए. संपत और मो. बदरुद्दोजा खान को श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद) :** माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद में यमुना पार एरिया में टोंस नदी पर संचालित कोहलारघाट, देवघाट और धनवाल पेयजल योजना उत्तर प्रदेश शासन की नाकामी के कारण अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में असफल रही है। सैंकड़ों गांव पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अनियमित विद्युत आपूर्ति, पाइपलाइन लीकेज और हैंडपंप के जलस्तर के नीचे गिरने से पेयजल समस्या और गंभीर हो गई है। पाइपलाइन्स काफी पुरानी होने के कारण एवं बहुत ही जीर्ण-शीर्ण होने के कारण आधिकांश गांव पेयजल आपूर्ति से वंचित हो गये हैं जबकि शासन की यह जिम्मेदारी है कि इन पाइपलाइनों को समय समय पर ठीक कराया जाए और हैंड पंप्स की गहराई बढ़ाई जाए जिससे उपलब्ध संसाधनों को समुचित रूप से इस्तेमाल किया जा सके। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि शासन इसमें आविलम्ब कार्रवाई करने की कृपा करे।

**श्री गणेश सिंह (सतना) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहां एक आति महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। भगवान श्रीराम का जीवन चरित्र जिसका वर्णन रामायण महाकाव्य में लिपिबद्ध है, त्रेता युग में भगवान श्रीराम की कथा का पूरा जीवन दर्शन बताया गया है तथा पूरी दुनिया को पता है कि भगवान श्रीराम ने अपने चौदह वर्ष के वनवास के समय में से साढ़े ग्यारह वर्ष चित्रकूट में बिताये थे। आज भी वहां उनकी महिमा कण-कण में विराजमान है। लाखों लोग वहां आते-जाते हैं। भगवान श्रीराम का जीवन-दर्शन लोग बहुत ही नजदीक से देखना चाहते हैं। श्रीराम को सिर्फ भगवान के रूप में न देखते हुए, उनके आदर्श जीवन का अनुपालन करना हर मानव के लिए आज जरूरी है। उन सभी घटनाक्रमों को रामायण महाकाव्य की चौपाइयों के साथ, उनकी आकृति-चिन्हों सहित, एक रामायणम परिसर बनाये जाने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है। कुरुक्षेत्र में महाभारत तथा चित्रकूट में रामायण दोनों का ऐतिहासिक परिसर वहां बनाना अत्यंत आवश्यक है। पर्यटन एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह अत्यंत उपयोगी होगा। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रालय से मांग करता हूँ कि वह आविलम्ब इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दे ताकि वहां पर एक नया रामायणम परिसर विकसित हो सके।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ. किरिट पी.सोलंकी को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) :** माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम वर्ष में बहुत आधिक रहते हैं। बड़े कृषि फार्मों में सब्जी उत्पादक खुद ही साधन बना लेते हैं लेकिन ग्रामीण अंचलों में निवासरत सब्जी उत्पादक जिन्हें मरार पटेल कहा जाता है जिसे बाड़ी कहते हैं, उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं होता। जो अत्यंत गरीब होते हैं और अपनी सब्जियां सिर पर रखकर गांव-गांव घूमकर बेचते हैं। पहले ये कुंआ खोदकर सिंचाई करते थे जिसके लिए शाकम्बरी योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है परंतु अब जल स्तर काफी नीचे जा चुका है। इनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में बोर व पंप के अलावा कोई अन्य साधन इनकी सिंचाई के लिए नहीं हो

सकते। अतः केन्द्र शासन व राज्य शासन द्वारा ट्यूबवैल खनन व सबमर्सिबल पंप के लिए शत प्रतिशत अनुदान ऐसे सब्जी उत्पादक कृषकों को तत्काल प्रदान करने की कृपा करो।

[अनुवाद]

**श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर):** महोदया, मैं अप्रैल के महीने में ओलावृष्टि और तेज बारिश के कारण राज्य में हुई क्षति के लिए केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य को मुआवजा जारी करने में देरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा। कर्नाटक में अप्रैल के महीने में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। इस कारण से, कर्नाटक राज्य के आठ जिले गंभीर और बुरी तरह प्रभावित हुए। परिणामस्वरूप, 64,462 हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं।

इस संबंध में, कर्नाटक राज्य के राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री जी ने 15 दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ एक मिलने का समय लिया था और एक ज्ञापन दिया था। केन्द्र सरकार ने फसल के नुकसान के विश्लेषण के लिए आज तक एक टीम नहीं भेजी है। राज्य में अनुमानित कुल नुकसान लगभग 422.36 करोड़ रुपये है क्योंकि वहां भारी नुकसान हुआ है।

चूंकि केंद्रीय दल का अभी भी इंतजार है, इसलिए मैं केंद्र सरकार से प्रतिकर जारी करने के साथ-साथ स्थिति का विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीय दल भेजने का आग्रह करूंगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा को श्री आर. ध्रुवनारायण द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्री एस. पी. मुद्दाहनुमेगौड़ा (तुमकुर):** महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सभी उसके साथ जुड़े हुए हैं।

**श्री एम.वीरप्पा मोइली (चिक्काबल्लापुर):** अध्यक्ष महोदया, मुझे रेशम पालन किसानों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

वास्तव में, यू.पी.ए. शासन के दौरान भी, यह एक बार 30 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया था। तब यह मामला इस सदन के समक्ष आंदोलित था, और सभी रेशम उत्पादन करने वाले किसान -- न केवल कर्नाटक में, बल्कि बाकी जगहों में भी -- इस मामले पर उत्तेजित थे, और मुझे लगता है कि एक या दो रेशम उत्पादन करने वाले किसानों ने आत्महत्या भी कर ली। अतः इस मुद्दे पर विचार करने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने वास्तव में आयात शुल्क को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। इसके बाद, कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री जी ने वस्त्र मंत्री और वित्त मंत्री जी के साथ भी इस मामले को उठाया।

वास्तव में, माननीय वस्त्र मंत्री जी ने शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू को भी एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि: "रेशम उत्पादन करने वाले किसानों, रीलरों, बुनकरों और रेशम वस्त्र उद्योग के विभिन्न हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण के रूप में कच्चे रेशम के आयात पर सीमा शुल्क को वर्तमान 15 प्रतिशत के स्तर पर रखना उचित प्रतीत होता है।" वास्तव में बुनकरों और रेशम उत्पादकों के बीच संतुलन बना रहा, लेकिन अचानक वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2015 के अपने वित्त विधेयक में "इस प्रक्रिया को फिर से उलट दिया और कहा कि: 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए, मैं कच्चे रेशम पर बुनियादी सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।" इनहोंने वास्तव में रेशम की खेती करने वाले किसानों को चौंका दिया है।

'मेक इन इंडिया' के नाम पर किसानों की कीमत पर इस तरह का निर्णय कैसे लिया जा सकता है? ... (व्यवधान) महोदया, मैं बस समाप्त करूंगा। जब हम कहते हैं कि वे कॉरपोरेट जगत के लिए काम कर रहे हैं, तो वे कहते हैं कि हम उन पर आरोप लगा रहे हैं। यह इतना स्पष्ट है। वास्तव में, ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** 'शून्य काल' में, किसी भी भाषण की अनुमति नहीं है।

... (व्यवधान)

**श्री एम.वीरप्पा मोइली:** हां, महोदया। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ ... (व्यवधान)

**श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा :** महोदया, कर्नाटक में रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के संबंध में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ... (व्यवधान)

**श्री आर.ध्रुवनारायण:** महोदया, यह कर्नाटक राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** हाँ, मुझे यह पता है। मैं इसकी अनुमति दे रही हूँ।

... (व्यवधान)

**श्री एम.वीरप्पा मोइली:** वास्तव में, कच्चे रेशम की कीमतों में तेज गिरावट आई है; कोकून बाजारों में कोकून की कीमतों में तेज गिरावट; कोकून और कच्चे रेशम की कीमतों में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप सीधे तौर पर शहतूत के बगीचों को उखाड़ दिया गया है; और रीलर्स और सेरिकल्चुरिस्टों द्वारा निवेश की गई पूंजी का नुकसान, जिसने सभी रेशम उत्पादन किसानों को प्रभावित किया है और वे सड़कों पर हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इसे कम करना होगा। मुझे नहीं पता कि इसे 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के लिए उन्हें अचानक किस बात ने उकसाया। सरकार से मेरी अपील है कि 30 प्रतिशत नहीं तो इसे 15 प्रतिशत तक बहाल किया जा सकता है।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा और श्री आर. ध्रुवनारायण को श्री एम. वीरप्पा मोइली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर):** महोदया, जिस तरह से क्राइम करने वाले नाबालिगों की उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि आज कल घरों में "स्कूटी" का बहुत ज्यादा चलन हो गया है। हमारी बच्चियां कालेज जाती हैं तो स्कूटी का प्रयोग करती हैं। 18 वर्ष से कम आयु होने की वजह से पुलिस वाले उनका चालान करते हैं या अरेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास उनके आभिभावकों के फोन आते हैं और हम उन्हें छुड़वाते हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि लाइसेंस बनवाने की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी जाए, जिससे कि बच्चियां स्कूल तक आराम से जा सकें। इसके साथ-साथ घरों का सामान लेने के लिए महिलाएं भी स्कूटी का बहुत प्रयोग करती हैं। चूंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, इस कारण पुलिस वाले उन्हें परेशान करते हैं। मैं चाहता हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 वर्ष की आयु की जगह 16 वर्ष का प्रावधान किया जाए, चाहे तो उसमें कुछ अलग से लिख दिया जाए कि सिर्फ लोकल एरिया में ही उसे चलाने की इजाजत हो।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री अजय मिश्रा टेनी को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्री आर.के.सिंह (आरा):** महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, हमने कल टीवी पर यह खबर सुनी कि भारत पाकिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज खेलने जा रहा है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड, हफीज सईद को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी है। पाकिस्तान ने अभी-अभी जमानत पर लखवी को रिहा किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने उस जमानत के खिलाफ अपील की है, लेकिन वह अपील कहीं नहीं जा रही है। वर्ष 1993 मुंबई बम विस्फोट के मास्टरमाइंड और मुख्य सूत्रधार, दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान में है, जैसा कि गृह मंत्री जी ने अभी कहा है।

**मध्याह्न 12.00 बजे**

एक ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलने का क्या मतलब है जो उन आतंकवादियों को शरण दे रहा है जिन्होंने आप पर हमला किया है और आपके खिलाफ बम विस्फोट किए हैं? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। आपके उस देश के साथ मैत्रीपूर्ण, सामान्य संबंध नहीं हैं, जो प्रतिदिन नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों को भेजता है, और यही वे कर रहे हैं।

इसलिए, मैं सरकार से इस संबंध में लिए गए निर्णय पर बहुत गंभीरता से पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूँ ... (व्यवधान)

**श्री के.सी.वेणुगोपाल:** नियमों के अनुसार, मैंने एक नोटिस दिया है, लेकिन आपने मुझे अनुमति नहीं दी, महोदया।

**माननीय अध्यक्ष:** मैं आपको अनुमति दूंगी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री निशिकांत दुबे, श्री अरविंद सावंत और श्री पी.पी. चौधरी को श्री आर.के. सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री रामा किशोर सिंह (वैशाली) :** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ।

महोदया, अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में जाना, वहां एक रैली को सम्बोधित करना और 24,000 करोड़ रुपये के एमओयू करना आदि सराहनीय पहल हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी के दौरे से पूर्व नक्सलियों द्वारा 1200 से अधिक ग्रामीणों को अगवा करना और प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद उनमें से एक की हत्या करना देश के लिए एक दुखद त्रासदी है, क्योंकि एक ओर हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ मुट्टी भर लोग विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने रात में ही पुलिस को सूचना दी, लेकिन विवश पुलिस द्वारा कोई सहायता न की गयी। दौरे के पूर्व रेल पटरी उखाड़ना, पुल निर्माण स्थल पर कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनों में आग लगाने की घटना और कार्यस्थल पर तैनात 17 कर्मचारियों का अपहरण आदि घटनाएं काफी गंभीर विषय हैं। हमारा संसदीय क्षेत्र वैशाली भी उग्रवाद प्रभावित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, उन लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं और वहां पर विकास के कार्यों में तेजी

लाई जाए। हमारे क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के सम्पादन के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) :** धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मेरे संसदीय क्षेत्र में वर्ष 2015 में बेमौसम वर्षा की वजह से किसानों की स्थिति बहुत खराब है। साथ ही, वहां पर जो बैंक्स हैं, उन्होंने किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड्स से छः प्रतिशत के हिसाब से पैसा निकाल लिया है। वहां पर इलाहाबाद बैंक लीड बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक आदि अन्य बैंकों ने किसानों के केसीसी कार्ड से पैसा निकालने के बाद प्रीमियम का सारा पैसा आईसीआईसीआई बैंक के साथ लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भेजा गया है। किसानों के खातों में अभी भी पैसा नहीं आया है और उस कंपनी का कहना है समय से इन बैंकों ने पैसा नहीं दिया है, इसलिए यह पैसा किसानों के खाते में नहीं भेजा जा सकता है।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जो बैंकों ने समय से प्रीमियम लेने के बाद समय से बीमा कंपनियों को पैसा नहीं भेजा है, उसकी जांच कराई जाए। जांच कराने पर जो दोषी पाया जाए, चाहे कंपनी दोषी हो या बैंक हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों को जो बीमा का पैसा मिलना चाहिए, वह दिलाया जाए। ऐसी 160 ग्रामसभाएं हैं, जिनमें लगभग 12000 किसान हैं, उनको इसका लाभ मिले।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री पी.पी.चौधरी को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) :** मैडम, मैं आपके माध्यम से, देश की आजादी की लड़ाई में सिर्फ 19 वर्ष की छोटी उम्र में फांसी का फन्दा चूमने वाले पंजाब के बहादुर कौमी सपूत शहीद करतार सिंह सराभा, जिन्होंने 16 नवम्बर, 1915 को लाहौर जेल में फांसी का फन्दा चूमा, उनकी कुर्बानी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1896 में लुधियाना जिले के गांव सराभा में करतार सिंह ने जन्म लिया और देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए अमेरिका में अपनी बहुत ही छोटी उम्र में, 15 सितम्बर, 1914 में पढ़ाई छोड़कर गदर लहर में कूदे। यहां

आकर उन्होंने गदर पार्टी के क्रान्तिकारी अखबार की प्रिंटिंग की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपनी पोयट्री और आर्टिकल्स के माध्यम से देशवासियों को जागृत करना शुरू किया और विदेशी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष शुरू करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। इस दौरान वह अपने अलग-अलग साथियों के साथ अलग-अलग कैंटोनमेंट में जाकर सैनिकों को विदेशी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित करते रहे। उन्हें लाहौर में 13 सितम्बर, 1915 को फांसी की सजा सुनाई गई। बड़ी बात यह है कि शहीद करतार सिंह सराबा, जिन्होंने बहुत बड़ी देशभक्ति की मिर्वष पेश की, जब भगत सिंह जी को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उनकी जेब में शहीद करतार सिंह सराबा की फोटो थी। भगत सिंह जी ने कहा था कि मैं करतार सिंह सराबा जी को अपना गुरु मानता हूँ। इतनी बड़ी करतार सिंह जी की देशभक्ति के प्रति भावना थी। मेरी सरकार से गुजारिश है और मांग है कि करतार सिंह सराबा जी को शहीद हुए 100 वर्ष हो रहे हैं, अतः सरकार उनकी याद में एक डाक टिकट जारी करे। इसके साथ ही उनकी फोटो वाला एक सिक्का भी जारी करे। उन्होंने देश की खातिर शहादत की है इसलिए उनकी याद में एक ब्रेवरी एवार्ड उनकी तस्वीर के साथ घोषित करे।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री निशिकांत दुबे, श्री शशि थरूर, श्री भगवंत मान, डॉ.ए. सम्पत, श्री बदरुद्दीन अजमल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री रवनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** अध्यक्ष महोदया, इस सदन में हमेशा किसानों के बारे में बात होती है। किसान समस्या में हैं और उनकी आत्महत्या लगातार बढ़ रही है। हम उन्हें सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। लगातार क्लाइमेट चेंज के कारण जो परेशानी हो रही है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी बेमौसम बारिश होती है, जिसकी वजह से उनकी फसल क्षतिग्रस्त होती है। इस सदन में हमेशा चर्चा होती है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए। लेकिन किसान का लागत मूल्य निर्धारित नहीं हो पाता है। कई किसान नहर से पानी ले रहे हैं, तो कई ट्यूबवैल्स द्वारा पानी ले रहे हैं और बिजली तथा डीजल से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। जब-जब इस देश में अकाल आया, सन् 1901 में एक इरीगेशन कमीशन बना था। उसके बाद सन् 1967-1968 में जब पूरा किसान परेशान था, तो इरीगेशन कमीशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन राज्यों के बीच काफी

समस्याएं थीं कि किसके पास कौन सा पानी जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। आज क्लाइमेट चेंज के कारण और किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा राज्यों के बीच डिस्प्यूट चल रहे हैं कि कहां डैम बनाना है कहां नहीं बनाना है। इस वजह से आजादी के इतने सालों के बावजूद भी हम किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि जिस तरह 1901 में और फिर 1969 में इरीगेशन कमीशन बने, आज फिर से 45-50 वर्ष बाद उसकी आवश्यकता महसूस होनी चाहिए और सरकार को एक नया इरीगेशन कमीशन बनाना चाहिए, जिससे हम सभी किसानों के खेतों में पानी मुहैया करा सकें।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री पी.पी. चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्री एम.बी. राजेश (पलक्कड़):** महोदया, मैं इस सरकार और सभा का ध्यान हमारे देश में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाई में वित्तीय गबन के एक बहुत ही गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। भारतीय टेलीफोन उद्योग एक प्रमुख सी.पी.एस.यू. है। आई.टी.आई. एक संघ का सदस्य है जो भारत सरकार की दो प्रमुख परियोजनाओं - गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के कार्यान्वयन के लिए है। इसलिए, आई.टी.आई. उन संघ के सदस्यों में से एक है जिसे इन परियोजनाओं को लागू करने का काम सौंपा गया है।

वर्ष 2010 और वर्ष 2015 के बीच, भारत सरकार ने इन दो परियोजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से रु. 1,160 करोड़ की राशि स्वीकृत और जारी की थी। इस रु. 1,160 करोड़ में से, रु. 539.83 करोड़ इन दो परियोजनाओं के लिए उपयोग करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए थे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे इन दोनों परियोजनाओं - एन.पी.आर. और सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना - के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यह रुक गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पलक्कड़ की आई.टी.आई. इकाई को इन दो परियोजनाओं का कार्य सौंपा गया है। इसलिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह

मंत्रालय और यहां तक कि ऊपर की सरकार ने भी आई.टी.आई. इकाई, पलक्कड़ को नोटिस जारी किए हैं वे आई.टी.आई., पलक्कड़ से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) ने पहले ही धन के इस हेरफेर और गबन की जांच शुरू कर दी है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि सी.वी.ओ. की जांच और निजी विक्रेताओं की मदद करने सहित उनके खिलाफ अन्य गंभीर आरोपों के बावजूद सी.एम.डी. सहित जो लोग इस गबन और धन के हेरफेर के लिए जिम्मेदार हैं, वे अपने कार्यालय में बने हुए हैं।

महोदया, मुझे यह दिखाने के लिए दस्तावेजी सबूत मिले हैं कि कैसे उन्होंने कुछ निजी विक्रेताओं की मदद की है और कैसे सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें पैसे जारी किए गए हैं। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करने के बावजूद पद पर बने रहने की अनुमति दे रही है और उन्हें महीने दर महीने विस्तार मिल रहा है। यह सरकार सुशासन की बात कर रही है। क्या यह सुशासन, भ्रष्ट अधिकारियों, भारतीय टेलीफोन उद्योग के भ्रष्ट सी.एम.डी. को विस्तार देने का उदाहरण है?

महोदया, मैं सी.एम.डी. को तत्काल हटाने और भारतीय टेलीफोन उद्योगों के इस पूरे मामले की व्यापक जांच, व्यापक पूछताछ की मांग करता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. ए. संपत, श्री मो. बदरुद्दोजा खान और श्री पी. के. बीजू को श्री एम. बी. राजेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे देश में मछुआरा समुदाय से संबंधित बहुत ही आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले को उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदया, इस सरकार द्वारा ट्रेवलिंग प्रतिबंध को 47 दिनों से बढ़ाकर 61 दिन कर दिया गया है और भारतीय समुद्र के 12 नॉटिकल मील से बढ़ाकर 200 नॉटिकल मील कर दिया गया है। इसने भारत में मछुआरा समुदाय के बीच बहुत आशंका पैदा की। सरकार की स्थिति यह है कि यह कार्रवाई सईदा राव-गोपालकृष्णन समिति की सिफारिश के अनुसार की गई है। सईदा राव के सेवानिवृत्त होने के बाद, गोपालकृष्णन जी ने समिति की अध्यक्षता की।

मेरे पास सईदा राव समिति का प्रतिवेदन है। डॉ. सईदा राव, जो समान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के पक्ष और विपक्ष का अध्ययन करने वाली विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे, ने समिति की विवादास्पद सिफारिश से खुद को अलग कर लिया है। इस बीच, राव की सेवानिवृत्ति के बाद समिति के प्रमुख डॉ. ए. गोपालाकृष्णन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उस प्रतिवेदन को फिर से प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी, जिस पर प्रतिबंध आधारित था। विकास ने एक समान मछली पकड़ने के प्रतिबंध के वैज्ञानिक आधार को चुनौती दी है, जो मछुआरों के रुख को साबित करता है।

हालिया विवाद के जवाब में, डॉ. सईदा राव, जो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक हैं, ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जुलाई, 2013 में संस्थान के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्ति ली थी और अंततः मछली पकड़ने के प्रतिबंध के वैज्ञानिक आधार का आकलन करने वाली विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष पद से हट गए थे। उन्होंने विशेषज्ञ समिति की केवल एक बैठक बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता बाद में वर्तमान निदेशक ने की थी। "इसके बाद, मेरा प्रतिवेदन तैयार करने से कोई लेना-देना नहीं था, न ही उन्होंने कभी किसी भी पहलू पर मुझसे परामर्श किया। राव जी ने कहा "मुझे सुनने में आया है कि उक्त प्रतिवेदन में मेरा नाम भी शामिल है और यह बात अक्सर प्रेस में आती रहती है।"

उन्होंने आगे कहा कि पहले उनका विचार था कि ट्रेलिंग प्रतिबंध अंडे देने के मौसम पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, "2010 में, मेरी अध्यक्षता में एक समिति ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि भारत में समुद्री मछलियों के मुख्य अंडे देने का मौसम मार्च-अप्रैल और सितंबर-अक्टूबर था, न कि जून-जुलाई। इसलिए ट्रेलिंग प्रतिबंध अवधि निर्धारित करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। मैंने जुलाई 2013 में समिति की पहली बैठक में भी यही रुख अपनाया था।

यहां तक कि मछुआरा संगठनों ने विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की तीखी आलोचना की, समिति के अध्यक्ष गोपालकृष्णन ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर स्वीकार किया कि प्रतिवेदन में गंभीर खामियां थीं। अध्यक्ष ने स्वयं बताया कि गंभीर चूक हुई है और समिति को अपनी सिफारिशों पर फिर से काम करने और फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। एक क्षमाप्रार्थी पत्र में उन्होंने

स्वीकार किया कि समिति ने इस तथ्य की अनदेखी की कि पेलाजिक मछलियों की चरम प्रजनन अवधि अप्रैल-मई थी और डिमर्सल मछलियों की प्रजनन अवधि अक्तूबर-नवंबर थी। प्रतिवेदन में केरल मानसून मत्स्य (पेलाजिक) संरक्षण अधिनियम का संज्ञान नहीं लिया गया है। यह केरल अधिनियम के भी विरुद्ध है।

महोदया, यह स्थिति अब केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है। किसानों के बाद मछुआरे इस सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस आदेश को वापस लिया जाए। सरकार का कहना है कि समिति की प्रतिवेदन के अनुसार यह आदेश जारी किया गया है। लेकिन समिति के अध्यक्ष, पूर्व और वर्तमान कह रहे हैं कि यह उनकी राय नहीं थी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस आदेश को वापस लिया जाए। मुझे सरकार से आश्वासन चाहिए।

जब प्रो. के.वी. थोमस, मैंने और श्री प्रेमचन्द्रन जी ने पिछली बार इस मुद्दे को उठाया था, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह एक बैठक बुलाने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। महोदया, आपसे मेरा सरल अनुरोध है कि सरकार को तत्काल कार्रवाई करने और प्रतिबंध वापस लेने का निर्देश दें। अन्यथा भारत का पूरा तटीय क्षेत्र इस सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेगा।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री शशि थरूर और श्री पी.के. बीजू को श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

**श्री के. सी. वेणुगोपाल:** महोदया, सरकार को जवाब देना चाहिए। ... (व्यवधान)

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** सरकार ने एक आश्वासन दिया था। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप केवल जुड़ सकते हैं।

... (व्यवधान)

**श्री के. सी. वेणुगोपाल:** यह एक गंभीर मामला है। हम सरकार से जवाब चाहते हैं। ... (व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: सरकार को जवाब देना होगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते।

... (व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: कृपया सरकार से जवाब प्राप्त करें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या श्री अंशुल वर्मा जी वहाँ हैं? नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या श्री राम मोहन नायडू वहाँ हैं? नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, श्री संतोक सिंहा

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)...<sup>5\*</sup>

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती।

... (व्यवधान)

---

<sup>5\*</sup> कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

**श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) :** मैडम, मैं आपका ध्यान एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूँ ... (व्यवधान) मैडम स्पीकर, दोआबा रीजन पंजाब प्रांत का एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है और जालंधर जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपकी पार्टी के सदस्य आपको परेशान कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)...<sup>6\*</sup>

**माननीय अध्यक्ष:** केवल श्री संतोक सिंह जो कहते हैं, वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

... (व्यवधान)... \*

**माननीय अध्यक्ष:** आप अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दे रहे हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता।

... (व्यवधान)

---

<sup>6\*</sup>कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

**श्री संतोख सिंह चौधरी:** महोदय, जालंधर जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, वह दोआबा रीजन का एक महत्वपूर्ण इलाका है। ... (व्यवधान) मैडम हाउस आर्डर में करें। ... (व्यवधान) यह महत्वपूर्ण स्थान दोआबा रीजन का सैन्टर है और पंजाब का सैन्टर है। लेकिन यह रीजन हमेशा ही स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहा है। इस स्थिति को देखते हुए 1994 में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और सरदार बेअंत सिंह की गवर्नमेंट थी। उस वक्त उस सरकार ने फैसला किया कि ... (व्यवधान) मैडम, कृपया हाउस आर्डर में लाइए।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया बैठ जाएं। मैं सरकार को 'शून्यकाल' में दबाव में नहीं डाल सकती।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री संतोख सिंह चौधरी :** मैडम, कृपया हाउस आर्डर में लाइए।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)... <sup>7\*</sup>

**माननीय अध्यक्ष:** केवल श्री संतोख सिंह का भाषण ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

... (व्यवधान)... \*

[हिन्दी]

---

<sup>7\*</sup>कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री संतोख सिंह चौधरी :** मैडम, कृपया हाउस आर्डर में लाइए, यह बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ लेकिन वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** क्या श्री हरिनारायण राजभर जी वहाँ हैं? नहीं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री संतोख सिंह चौधरी:** मैडम, जैसे मैंने पहले कहा कि दोआबा रीजन पंजाब का एक महत्वपूर्ण रीजन है।

...(व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** श्री भारत सिंह - उपस्थित नहीं। श्री अरविंद सावंत।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री संतोख सिंह चौधरी :** मैडम, अभी तो बात भी पूरी नहीं की। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप सभी बैठिये।

... (व्यवधान)

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) :** बिधूड़ी जी, आप बैठिये।

**माननीय अध्यक्ष :** बिधूड़ी जी, आपका क्या किसी इश्यू से कोई संबंध है? आप बैठिये।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)...<sup>8\*</sup>

**माननीय अध्यक्ष:** हाँ, श्री अरविंद सावंत।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री अरविंद सावंत :** मैडम स्पीकर, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी माननीय सदस्यों से मेरी विनती है कि कृपया बैठ जाँ। ... (व्यवधान) बिधूड़ी जी, आप बैठ जाँ। ... (व्यवधान) मुझे तो बोलने दो। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। अरविंद सावंत जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** यह क्या है? यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री महोदय, कृपया उनसे पूछें कि क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वह कुछ क्यों कह रहे हैं?

... (व्यवधान)

---

<sup>8\*</sup>कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, अगर आप एक सेकंड के लिए अनुमति देते हैं तो मैं कुछ कहना चाहूंगा ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं समझ सकती हूं, लेकिन यह तरीका नहीं है। मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे खेद है।

... (व्यवधान)...<sup>9\*</sup>

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत : मेरी विनती है आपसे। यह ज़ीरो आवर है। ... (व्यवधान) हमारे बाद आप बोलिये। अभी इनका भी हुआ नहीं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उन्होंने कहा कि वह बोल नहीं पा रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको उसके बाद अनुमति दूंगी। कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: वह आपको अनुमति दे रहीं है। ... (व्यवधान)

<sup>9\*</sup> कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदया जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवादा...(व्यवधान)

**श्री राजीव प्रताप रूडी:** स्पीकर मैडम, हम सब चाहते हैं कि सभी सदस्य बोलें। अभी संतोख सिंह चौधरी जी बोल रहे थे, आप उनकी बात सुन रही थीं। के.सी. वेणुगोपाल साहब ने अपनी बात रख ली। अब स्वयं वेणुगोपाल साहब ने कांग्रेस के सदस्यों को बोलने से रोका और उसमें डिस्टरबेंस पैदा किया...(व्यवधान) अगर इस प्रकार से ये सदस्य आपस में करते रहेंगे तो फिर मैं बिधूड़ी जी को कैसे रोक सकता हूँ?...*(व्यवधान)* जब ये लोग बोलना चाहें तो वे चीख-चीख कर बोलेंगे और जब हमारी पार्टी के माननीय सदस्य कोई विषय उठाना चाहें तो आप उन्हें बोलने न दें।...*(व्यवधान)* फिर हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं?...*(व्यवधान)*

महोदय, इसमें बैलेंस आपको करना होगा।...*(व्यवधान)* संतोख सिंह चौधरी जी बोल रहे थे और वेणुगोपाल जी उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जब कांग्रेस के सदस्यों को एकजुट होना होता है तो वे एकजुट हो जाते हैं, लेकिन श्री वेणुगोपाल श्री चौधरी को परेशान क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से श्री चौधरी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा था? ...*(व्यवधान)* आपने उन्हें परेशान क्यों किया? यह बार-बार हो रहा है। यही स्थिति है। महोदया, हम अपने सदस्यों को तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि वे अच्छा व्यवहार करना शुरू नहीं कर देते। हम उन्हें रोक नहीं सकते। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** बैठिए।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मेरी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) :** यह इनका मुद्दा था, इसलिए वे बोल रहे थे। उनका क्या मुद्दा था?... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ज्योतिरादित्य जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** यह सब कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)...<sup>10\*</sup>

**माननीय अध्यक्ष:** सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 12.21 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न बारह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।*

---

<sup>10\*</sup> कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अपराह्न 12.30 बजे**

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** 'शून्य काल' बाद में लिया जाएगा।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मुझे यह कहते हुए खेद है कि आपके अपने सदस्य परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको अनुमति दूँगी। हम इस प्रकार से 'शून्यकाल' नहीं रख सकते। अब हम विधायी कार्य करेंगे।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं अनुमति नहीं दूँगी। मैं आपको भी अनुमति दे रही थी। लेकिन यह सही तरीका नहीं है। मैंने आपको अनुमति देने का वादा किया था। लेकिन अब मैं आपको अनुमति नहीं दूँगी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब आप शाम को बोल सकते हैं।

... (व्यवधान)

**अपराह्न 12.31 बजे****विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 - जारी...**

**माननीय अध्यक्ष:** अब, हम मद सं. 4 - विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 पर आगे चर्चा करेंगे।  
अब, माननीय मंत्री जी जारी रखें।

**विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा):** महोदया, यह उन कृत्यों को निरस्त करने की कवायद है जो अप्रचलित और अनावश्यक हैं। 14 वर्ष बीत जाने के बाद, इस कवायद को इस सरकार ने शुरू किया है। पहले, यह वर्ष 2001 में लाया गया था... (व्यवधान).

**अपराह्न 12.32 बजे**

*इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकार सभा पटल के निकट खड़े हो गए।*

**श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा:** इसलिए, इसलिए, यह सरकार द्वारा कानून की किताब को साफ करने का एक अच्छा प्रयास है, जो कुछ अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों के बोझ से दबी हुई है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कानूनी प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह आम आदमी के लिए अधिक सुलभ हो सके... (व्यवधान)। सरकार ने जटिल पंजीकरण को सरल बनाने, अतिव्यापी पंजीकरण को बदलने, अप्रभावी कानूनों को निरस्त करने आदि के लिए कई पहल की हैं। ... (व्यवधान)

इस संबंध में सरकार के समक्ष कई समितियों के प्रतिवेदन हैं। यहां तक कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1 सितंबर, 2014 को अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने की समीक्षा के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया था.... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** हम शाम को 'शून्यकाल' लेंगे और अभी नहीं। केवल मंत्री जी का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

... (व्यवधान)... <sup>11\*</sup>

[अनुवाद]

**श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा:** यहां तक कि विधि आयोग ने भी वर्ष 2000 में इन कानूनों को निरस्त करने के लिए 248<sup>वीं</sup>, 249<sup>वीं</sup>, 250<sup>वीं</sup> और 251<sup>वीं</sup> संख्या में चार प्रतिवेदन दिए थे... (व्यवधान) अब तक हमने लगभग 1741 ऐसे कानूनों की पहचान की है जो बेमानी और अप्रचलित हो गए हैं। वर्ष 1998 में भी, पी.सी. आयोग ने अपने प्रतिवेदन में पहचान की थी कि संसद द्वारा पारित 700 से अधिक विनियोग अधिनियम या तो अप्रासंगिक या निष्क्रिय हो गए हैं। इसलिए, विधि आयोग ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इन कानूनों को कानून की पुस्तक में रखने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए, उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपनी स्थानों पर वापस जाएं। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के लिए एक सूचना भी दी थी। मैंने उन्हें अनुमति देने का वादा किया था।

... (व्यवधान)

**श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा:** इसलिए, हमारी सरकार ने वर्ष 2012 तक विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने का वर्तमान प्रस्ताव शुरू किया है। हमने वर्ष 1950 से वर्ष 2012 तक विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने के संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ-साथ रेल मंत्रालय से भी परामर्श किया है।

<sup>11\*</sup> कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हाल ही में, राज्य सभा की एक प्रवर समिति ने लोक सभा द्वारा पारित निरसन और (संशोधन) विधेयक, 2014 की जांच करते हुए इन विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने का समर्थन किया था। ये अधिनियम लगातार जमा हो रहे हैं और अनावश्यक रूप से कानून की पुस्तक में रह गए हैं... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपको अपने सदस्यों को नियंत्रित करना होगा।

... (व्यवधान)

**श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा:** प्रवर समिति ने इन अप्रचलित और अनावश्यक अधिनियमों को निरस्त करने की भी सिफारिश की थी। प्रवर समिति ने एक स्वचालित निरसन खंड को शामिल करने के लिए एक विचार होने की संभावना तलाशने की सिफारिश की है। तदनुसार, हमने इसकी जांच की है और अगले वर्ष से सभी विनियोग अधिनियमों में, हम यू.के. द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार एक निरसन खंड लाएंगे।

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

... (व्यवधान)

**श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा:** अब ऐसे उपयुक्त अधिनियमों की कुल संख्या की पहचान की गई है। इस विधेयक में, मैंने लगभग 750 अधिनियम लाए हैं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड 2 के संदर्भ में वर्ष 1952-1976 के दौरान संसद द्वारा अधिनियमित 111 राज्य उपयुक्त अधिनियम शामिल हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मुझे खेद है। कृपया पहले अपने स्थान पर जाएं।

**अपराह्न 12.35 बजे**

इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** आप सभी कृपया मुझे समझें। मैंने कहा था कि मैं वर्ड देती हूँ तो मैं वर्ड का पालन भी कर रही हूँ और इसीलिए आपका भी एडजर्नमेन्ट मोशन था, मैंने उनको मौका दिया था, मगर आप भी जानते हो कि शून्य काल में अगर कोई व्यक्ति कुछ बात उठाता है, मैं मंत्री जी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। आप इसे मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से, आप सब लोग ही सदन चला रह हो, आप इस बात को जानते हो। इसलिए मैंने आपको बार-बार मौका दिया था। मैंने आपको कहा था और मैं आपको मौका दे भी रही थी। मैंने सबको कहा था। मुझे सबके प्रश्न मालूम हैं। मैंने सबको कहा था कि एक-एक करके, जिन लोगों के मैटर आज जीरो आवर में लगे थे। बीच-बीच में भी, मैं आपको अनुमति देती रहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब होने बाद मैं आपको एलाऊ कर रही हूँ। मैं बीच-बीच में एडजस्टमेन्ट कर रही हूँ और एडजस्ट करके सभी को मौका देने का कोशिश करती हूँ। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हाउस में इस तरीके से करें। आपका फीशरमैन का इश्यू पहले भी उठ चुका था, फिर भी फीशरमैन के विषय के लिए मैं पहले मौका देती हूँ। मैंने यह मौका दिया है। अब ऐसा नहीं होता है। मैंने दीपेन्द्र जी आपको भी कहा था कि मैं आपको मौका दूंगी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं आप सभी को बोलने के लिए मौका दे रही हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप चीजों को हल्के में लेते हुए कुछ भी करते रहें। मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ। मैं आपको समायोजित करने की कोशिश कर रहीं हूँ। मैं हर समय बोलने का मौका दे रही हूँ। मैं अभी आपको बोलने के लिए उचित मौका पा कर समय दे दूंगी और मैं आपको एक मौका दे रहीं हूँ लेकिन अभी नहीं। यह कोई तरीका नहीं है। मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** फिर वही बात हो रही है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** संसदीय लोकतंत्र में ऐसी बातें हमेशा होती रहती हैं। श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री के.सी. वेणुगोपाल ने भी स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** फिर आपने कहा था कि यह लिया जाएगा। क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्वाभाविक रूप से आपको इसकी अनुमति देनी चाहिए। यह एक मुद्दा है। दूसरी बात, अध्यक्ष और नियम 115 के हमारे अपने निर्देशों के अनुसार,...

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** अभी उसकी बात नहीं हो रही है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** यह गृह मंत्री जी के स्पष्टीकरण पर है कि उन्होंने दूसरी सभा में क्या कहा और इस सभा में क्या कहा है। सब कुछ सदन के नियमों के अनुसार किया जाता है। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमें बोलने क्यों नहीं दिया जाता। ... (व्यवधान) महोदया, आपने बताया कि इसे नियमों के अनुसार लिया जाना चाहिए। केवल नियमों के अनुसार, स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया गया है। केवल नियमों के अनुसार, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन फिर भी हमें बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें बोलने की अनुमति दें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। आप कृपया हमें किसी भी रूप में अनुमति दे सकती हैं - शायद 'शून्य काल' या ऐसा कुछ क्योंकि हम आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। हम तीन दिन के लिए सत्र बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : हमने लैजिसलेटिव बिजनस शुरू किया है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम सदन में तीन दिन बैठने को तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं आप सभी को बोलने के लिए मौका दे रही थी।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम सब बातें आपकी मान रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यह नहीं बोलिए कि मैं आप को बोलने के लिए मौका नहीं देती हूँ।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जो नोटिस आया है, आपको उसे मान्यता देनी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शाम को उसके लिए अवसर दिया जायेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : हाँ, माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदया, कृपया अपनी शब्दों से पीछे न हटें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हट रही हूँ। मैं आपको शाम को अनुमति दूंगी।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** मैं शाम को बोलने के लिए ऐलाऊ करूंगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** मामला उठाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। मुझे खेद है। मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगी।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** केवल माननीय मंत्री जी का बयान कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

... (व्यवधान)...<sup>12\*</sup>

**श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा:** इसलिए, सरकार ने वर्ष 1950 से वर्ष 2012 तक विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। ... (व्यवधान) विनियोग अधिनियमों की कुल संख्या लगभग 758 है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड 2 के संदर्भ में वर्ष 1950 से वर्ष 1976 के दौरान संसद द्वारा अधिनियमित 111 राज्य विनियोग अधिनियम शामिल हैं। संविधान में 42<sup>वें</sup> संशोधन के बाद, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों को केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए। वर्ष 1976 तक, हमें अधिकार मिला है। इसलिए, हम उन्हें निरस्त कर रहे हैं। इसलिए, हम 758 अधिनियम ले रहे हैं जो अप्रासंगिक हो गए हैं। वे निष्क्रिय हो गए हैं। चूंकि विनियोग अधिनियम स्वयं वित्त विधेयक पारित होने के बाद पैसे खर्च करने के लिए होते हैं, इसलिए इस विधेयक में एक बचाव अनुच्छेद भी शामिल किया गया है ताकि पिछले लेनदेन को सुरक्षित रखा जा सके क्योंकि कुछ लेनदेन की बाद में जांच की जाएगी। इस कारण से, एक विशिष्ट बचत खंड भी बनाया जाता है। इसलिए, लगभग 14 वर्षों के अंतराल के बाद, विधेयक को सामने लाया गया है। आयोगों के लगभग सभी प्रतिवेदनों और यहां तक कि समिति के प्रतिवेदनों में कहा गया है कि इन

<sup>12\*</sup> कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

विनियोग अधिनियमों को कानूनी पुस्तक से समाप्त करने की आवश्यकता है। आहरित धन के खर्च होते ही विनियोजन कार्य अपना महत्व खो देते हैं। इसलिए, इन अधिनियमों को लगातार कानून पुस्तिका में बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। यह एक ऐसा विधेयक है जो वास्तव में कानून पुस्तिका से इतने सारे विनियोग अधिनियमों को हटा देता है।

मुझे उत्साहपूर्वक आशा है कि पूरा सदन इस विधेयक का तहे दिल से और पूरी तरह से समर्थन करेगा।

**माननीय अध्यक्ष:** अब, श्री अभिजित मुखर्जी जी।

... (व्यवधान)

**प्रो. के.वी. थोमस (एर्नाकुलम):** महोदया, मैं सिर्फ एक मिनट लेना चाहूंगा।

**माननीय अध्यक्ष:** आपकी पार्टी के सदस्य इस विधेयक पर बोल रहे हैं। क्या केवल आप इस विधेयक पर ही बोल रहे हैं?

**प्रो. के.वी. थोमस:** जब सरकार ने तीन दिनों के लिए सत्र बढ़ाने का निर्णय लिया, तो हम सभी ने सुझाव दिया कि सदस्यों ने पहले ही आने वाले दिनों के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई है। यह बजट सत्र है। जब से संसदीय कार्य मंत्री जी ने जोर दिया, तब से सदन का समय बढ़ गया। महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए आ रहे हैं। सत्ताधारी दल के कितने सदस्य हैं? सदन में उपस्थिति कितनी है? मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। अगर सरकार गंभीर है, तो उसे उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी और सदन की गरिमा बनाए रखनी होगी। ... (व्यवधान) कृपया कार्यसूची देखें। ये सभी विषय चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। वे सदन कैसे चलाएंगे?

**माननीय अध्यक्ष:** यह मुद्दा नहीं है।

**प्रो. के.वी. थोमस:** यह एक मुद्दा हो सकता है।

**माननीय अध्यक्ष:** अब, श्री अभिजित मुखर्जी बोलिए।

**श्री अभिजित मुखर्जी (जंगीपुर):** महोदया, मैं आपका भी आभारी हूँ और हमारे नेता जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी। मैं केवल चार बिंदु या समुक्ति कर रहा हूँ।

यह मूल रूप से काले धन, सामाजिक क्षेत्र के व्यय, सब्सिडी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों और उर्वरक सब्सिडी पर है।

**माननीय अध्यक्ष:** क्या आप विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक पर बोल रहे हैं? यह क्या है?

**श्री अभिजित मुखर्जी:** हाँ।

**माननीय अध्यक्ष:** यह विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक के बारे में है। आपका नाम यहाँ आ गया है।

क्या आप इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** रूडी जी, यह तरीका नहीं है। नहीं।

कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)... <sup>13\*</sup>

**माननीय अध्यक्ष:** श्री पी.पी. चौधरी

---

<sup>13\*</sup> कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री पी.पी. चौधरी (पाली):** अध्यक्ष महोदया, मुझे विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उक्त विधेयक का समर्थन करता हूँ। वर्ष 1950 से या उससे पहले भी, हम दो प्रकार के अधिनियमों को लागू कर रहे हैं जिनका जीवनकाल सीमित है। एक विनियोग अधिनियम है, और दूसरा संशोधन अधिनियम है। जहां तक विनियोग अधिनियम का संबंध है, इसमें एक वित्तीय वर्ष का अवधि है। जहां तक संशोधन अधिनियम का संबंध है, इसकी अवधि केवल कुछ सेकंड की है।

संशोधन अधिनियम के मामले में, एक बार उस अधिनियम की अधिसूचना के कारण संशोधन किया जाता है, तो, मूल अधिनियम में संशोधन तुरंत किया जाता है। उस संशोधन के लागू होने के कारण, उस संशोधन अधिनियम की महत्ता और पवित्रता समाप्त हो जाती है। मूलतः, यह स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है।

विनियोग अधिनियम के मामले में, जो इस सम्मानित सदन के समक्ष है, तथा एक बार जब वह वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, तो विनियोग अधिनियम लागू नहीं रहता है, और यह अप्रचलित हो जाता है। उस अधिनियम को अलग, स्वतंत्र और विशिष्ट के रूप में बनाए रखना अनावश्यक है। मूलतः, निरसन का उद्देश्य अतिप्रवाहों और अनावश्यक कानून को हटाना है। यदि इन विनियोग अधिनियमों को कानून पुस्तिका या ग्रंथालय से नहीं हटाया जाता है, तो यह अनावश्यक रूप से बढ़ते जाएंगे और भ्रम पैदा करेंगे। वर्ष 1950 से, कई विनियोग अधिनियम हैं। वर्ष 1950 के बाद से, यह पहली बार है जब यह अभ्यास किया जा रहा है। इसलिए, मैं माननीय विधि मंत्री जी को सभी विनियोग अधिनियमों की पहचान करने और एक समग्र निरसन विधेयक लाने हेतु इस कठिन कार्य को करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मूल रूप से, विनियोग अधिनियम एक वर्ष की अवधि के लिए है। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के बाद यह अपने उद्देश्य को पूरा करता है। एक वर्ष के विनियोग अधिनियम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह अपनी उपयोगिता खो देता है। यह सही समय है कि हमें इस तरह के विधेयक को निरस्त करने के लिए लाना चाहिए।

इसके अलावा, विधेयक के खंड 3 में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बचत खंड के इस आशय का उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियम का निरसन किसी अन्य अधिनियम को प्रभावित नहीं

करेगा जिसमें निरसित अधिनियम लागू किया गया है, निगमित किया गया है या निर्दिष्ट किया गया है; और यह अधिनियम पहले से की गई या पीड़ित किसी भी चीज की वैधता, अयोग्यता, प्रभाव या परिणाम, या पहले से अर्जित, उपार्जित या उपगत किसी अधिकार, स्वामित्व, दायित्व या दायित्व, या उसके संबंध में कोई उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, दंड, दायित्व, दायित्व, दावा या मांग, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पिछले कार्य या चीज के प्रमाण को प्रभावित नहीं करेगा।

"न ही यह कानून के किसी सिद्धांत या नियम, या स्थापित अधिकार क्षेत्र, दलील के रूप या तरीके, अभ्यास या प्रक्रिया, या मौजूदा विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, कार्यालय या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, भले ही उन्हें क्रमशः किसी भी तरह से पुष्टि या मान्यता दी गई हो या किसी अधिनियम द्वारा या उससे प्राप्त किया गया हो, जिसे इसके द्वारा निरस्त किया गया हो;

और न ही इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियम का निरसन किसी अधिकार क्षेत्र, पद, दायित्व, अधिकार, उपाधि, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य मामले या चीज को पुनर्जीवित या पुनर्व्यवस्थापित करेगा जो अब मौजूद या लागू नहीं है;

और न ही इस अधिनियम द्वारा अधिनियमों का निरसन लेखापरीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अन्वेषण, जांच या किसी प्राधिकरण द्वारा उसके संबंध में की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई को प्रभावित करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, जांच, जांच या कार्रवाई की जा सकती है और या जारी रखी जा सकती है जैसे कि उक्त अधिनियम इस अधिनियम द्वारा निरसित नहीं किए गए हैं।"

माननीय मंत्री जी को मेरा विनम्र सुझाव है कि हमारे पास सामान्य खंड अधिनियम है और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 (क) इस स्थिति का ध्यान रखती है, चाहे वह विनियोग अधिनियम हो या संशोधन अधिनियम। एक बार जब मूल अधिनियम में संशोधन किया जाता है और एक बार जिस उद्देश्य के लिए इसे अधिनियमित किया गया है, वह पूरा हो जाता है या अस्तित्व में नहीं रहता है, तो इसे निष्क्रिय माना जाएगा। इसलिए, मेरे विनम्र विचार में इस तरह के लंबे खंड को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, बार-बार आशंका व्यक्त की गई है कि क्या निरसन मूल अधिनियम में किए गए संशोधन को निरस्त कर देगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 (क) में हमने पर्याप्त सावधानी बरती है और एक बार मूल अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद, जो भी संशोधन किया जाता है, वह उसे निरस्त नहीं करेगा। इस प्रकार, विनियोग अधिनियम में, एक बार जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, तो इसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है और यह अस्तित्व में नहीं रहता।

संशोधन अधिनियमों के साथ-साथ विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने के प्रश्न पर, प्रशासनिक कानून की समीक्षा आयोग ने वर्ष 1998 में सुझाव दिया कि बड़ी संख्या में विनियोग अधिनियम संविधि पुस्तक में हैं, वे वर्ष 1950 से ग्रंथालय में हैं और वे बहुत भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह पहली बार है कि हमारे माननीय विधि मंत्री जी द्वारा इस तरह का प्रयास किया गया है क्योंकि ये विनियोग अधिनियम वर्ष 1950 से संविधि पुस्तक में पड़े हैं और वे अप्रासंगिक और निष्क्रिय हैं। इसके अलावा, भारत के विधि आयोग ने अपने 248<sup>वें</sup> प्रतिवेदन में यह राय दी है कि तत्काल निरसन की आवश्यकता वाले अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए माननीय विधि मंत्री जी संशोधन अधिनियमों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक लाए और अब वे विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक के साथ आगे आए हैं। वर्ष 2014 में, निरसन और संशोधन विधेयक, 2014 की जांच करते समय, राज्य सभा की प्रवर समिति ने सूर्यास्त खंड प्रदान करने के लिए सिफारिश की। पहली बार, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने सुझाव दिया है कि इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष हर बार एक निरसन विधेयक लाने और सभा का मूल्यवान समय लेने के बजाय, हमारे पास संशोधन अधिनियम में ही या विनियोग अधिनियम में ही एक सूर्यास्त खंड होना चाहिए कि एक बार

जिस उद्देश्य के लिए वे अधिनियमित किए गए हैं, वह समाप्त हो जाने के बाद, वे अपने आप स्वयं को निरस्त कर देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा मामला सम्माननीय सभा के समक्ष है और हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या हम सूर्यास्त खंड प्रदान कर सकते हैं और हम इस विशेष कानून को किस तरह से लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन सभी कानूनों, लगभग 1,200 एक साथ लेते हैं, तो हमें एक-एक करके जांचने की आवश्यकता होती है। तब यह एक कठिन कार्य होगा और यह संभावना है कि हम गलती कर सकते हैं। इसलिए, उस उद्देश्य के लिए, प्रवर समिति द्वारा सिफारिश की गई थी कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और उन्हें स्वचालित निरसन के लिए एक सूर्यास्त खंड प्रदान किया जाना चाहिए। उस सिफारिश के आधार पर, मुझे खुशी है कि सरकार ने इस मुद्दे की जांच की है और सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में जब भी वे विनियोग अधिनियम, 2016 लाएंगी, तो उस अधिनियम के स्वतः निरस्तीकरण के लिए एक सूर्यास्त खंड प्रदान किया जाएगा।

पुनः, हमें अपने कानून ग्रंथालय में सभी कानूनों को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे देश में एक मात्र उदाहरण नहीं है। लेकिन यू.के. और ऑस्ट्रेलिया में, यह अभ्यास किया जा रहा है। स्वचालित निरसन के लिए सूर्यास्त खंड प्रदान किया जाता है। संयुक्त राज्य में, सभी विनियोग अधिनियमों में आमतौर पर एक निरसन प्रावधान होता है जो विशेष रूप से पुराने विनियोग अधिनियमों को निरस्त करता है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया का संबंध है, कानून अधिनियम, 2001 है। वहां, 302 धाराएं प्रदान की गई हैं और इस तरह के कानून के स्वतः निरसन के लिए ध्यान रखा गया है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में हमें यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः निरस्तीकरण खंड संशोधन अधिनियम या विनियोग अधिनियम में निहित किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** महोदया, मैं विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 का समर्थन करता हूँ। मैं इस प्रयास के लिए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। यह इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे सरकार का काम एकत्रित हो जाता है और कई गुना बढ़ जाता है। संसद में हम जो भी अधिनियम पारित करते हैं, उसे केंद्रीय कानून पुस्तिका में छापना होता है। सरकार न केवल पारित केंद्रीय कानूनों को प्रकाशित करती है, बल्कि निजी कानून की पुस्तकें भी उन्हें प्रकाशित करती हैं। बेकार में ये विनियोग अधिनियम शामिल हैं।

जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सरकार भारत की संचित निधि से धन तब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक कि इसे एक उचित विनियोग अधिनियम द्वारा विनियोजित नहीं किया जाता है। लेकिन विनियोग अधिनियम की वैधता केवल एक वर्ष के लिए है। वित्तीय वर्ष के अंत में, विनियोग अधिनियम का अर्थ और वैधता समाप्त हो जाती है। जो हो रहा है वह यह है कि वर्षों के बीच, सदन में चार विनियोग अधिनियम पारित हो रहे हैं। यदि आप याद करते हैं, तो एक वोट-ऑन-अकाउंट विनियोग है। दूसरा वास्तविक विनियोग है। फिर रेलवे वोट-ऑन-अकाउंट विनियोग और फिर रेलवे विनियोग विधेयक है। इसलिए, प्रति वर्ष चार विनियोग किए जा रहे हैं। वर्ष 1950 से, ये सभी विनियोग विधेयक, केंद्रीय कानूनों की मोटी पुस्तिका जो प्रकाशित होती है, में शामिल हैं। इससे पहले किसी ने उसे निरस्त करने की परवाह नहीं की।

वर्ष 1998 में, सरकारी कामकाज का अध्ययन करने के लिए एक समिति थी। उन्होंने सिफारिश की कि इन सभी को समाप्त किया जाना चाहिए या निरस्त किया जाना चाहिए। तब विधि आयोग ने भी कहा, हाँ, निरसन किया जाना चाहिए। राज्य सभा की एक स्थायी समिति इस मामले में गई। उन्होंने सिफारिश की कि विनियोग अधिनियम में एक स्वतः निरसन खंड होना चाहिए, जिसके अनुसार विनियोग अधिनियम के अंत में एक खंड होगा कि यह अधिनियम अमुक वर्ष के 31 मार्च के अंत में निरसित हो जाएगा।

उद्देश्य और कारणों के बयान में - जिसका हमने अध्ययन किया है - मंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का उल्लेख किया है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्वचालित निरसन खंड है; यह एक राष्ट्रमंडल देश है। यू.के. ने उन्हें समय-समय पर कुछ हिस्सों में निरस्त कर दिया। हम यू.के. विधि का पालन कर रहे हैं जिसमें हम खंडों को निरस्त करेंगे। अब, क्योंकि कई राज्य राष्ट्रपति शासन के तहत जाते हैं, इसलिए, वर्ष 1976 तक, 42<sup>वें</sup> संशोधन

से पहले, राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के बजट को संसद में भी विनियोगित किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप, उन पर भी कार्रवाई की गई। तो, कुल मिलाकर 758 ऐसे विनियोग अधिनियम हैं जिनमें से 111 राज्य विनियोग अधिनियमों से संबंधित हैं। अब हम इन सभी अधिनियमों को एक बार में निरस्त करने जा रहे हैं। मंत्री जी ने पहले भी पुरातन कानूनों को निरस्त करने के लिए कुछ पहल की हैं। आप देखते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की है। हमारे सभी कानून ब्रिटिश काल से हैं। वहाँ पुलिस अधिनियम हैं, सैकड़ों अधिनियम हैं जो निरर्थक हो गए हैं। एक अध्ययन किया जाना चाहिए या विधि आयोग का प्रतिवेदन मांगा जाना चाहिए और इन बेकार अधिनियमों को हटा दिया जाना चाहिए, हमारी कानून पुस्तिका से निरस्त किया जाना चाहिए।

### **अपराह 01.00 बजे**

इसलिए, कोई भी सरकार की अपनी कागजी कार्यवाही को कम करने में आपत्ति नहीं कर सकता। अंत में, कानून ऑनलाइन होना चाहिए। अगर आप किसी वकील के चैंबर में जाते हैं, तो वह आपसे फीस मांगता है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि उसके चैंबर में कितनी AIR और कितनी कानून की किताबें हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी कानून ऑनलाइन हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इन महंगी कानून की पुस्तकों को खरीदे बिना भी इनका उपयोग कर सकता है, क्योंकि यदि केवल अधिनियम की कीमत 200 रुपये है, तो उसके व्याख्यात्मक संस्करण की कीमत 1000 रुपये होगी। इसलिए, किसी भी कानून का अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाता है।

मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी हमारे कानूनों को सरल बनाएं। कानून बनाने की प्रक्रिया और पूरा प्रणाली को सरल बनाएं ताकि सामान्य व्यक्ति को केवल वकीलों के माध्यम से ही कानूनी प्रणाली से संवाद करने की आवश्यकता न रहे। सरल कानूनों के लिए, आम आदमी को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें सरल बनाना संभव है। मुझे खुशी है कि विधि मंत्री जी ने पहल शुरू की है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कानूनों की यह पुरातन भाषा खत्म हो जाएगी, आधुनिक भाषा लाई जाएगी और कानून की पुस्तक से सभी अनुपयोगी कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** महोदया, मैं विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 से संबंधित चर्चा में भाग लेने के लिए यहां खड़ा हूँ।

जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती श्री चौधरी जी और रॉय जी ने पहले से ही उल्लेख किया है, इस निरसन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य और मंत्री जी द्वारा भी यही है कि मृत विषयक को हटाएँ, अतिरिक्तताओं को काटें और ऐसे अनावश्यक कानूनों को कानून पुस्तिका से हटा दें ताकि स्पष्टता लाई जा सके। इस विचार को पिछले 20 या 25 वर्षों के लिए रखा गया है और पहला प्रयास वर्ष 2001 में किया गया था जब इस तरह के अनावश्यक कानूनों की एक बड़ी संख्या में छंटाई की गई थी और कानूनी पुस्तक से हटा दिया गया था।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्राचीन कानूनों को हटाने की आवश्यकता है। हमारी कानून बनाने की प्रणाली 100 वर्ष से अधिक पुरानी है। कई कानून ऐसे हैं जो वास्तव में अप्रभावी हो गए हैं; वे प्राचीन हो गए हैं; और उन्हें हटाने की आवश्यकता है। विधि आयोग ने भी बार-बार इस बात का उल्लेख किया है कि वे कौन से कानून हैं जिन्हें हटाने की आवश्यकता है। तदानुसार, मैं उम्मीद करूँगा कि विधि मंत्री जी भी उसी प्रभाव को लेकर कुछ संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

यह विधेयक व्यावहारिक रूप से, जबकि कोई इसे पढ़ता है, केवल खंड 2 तक ही सीमित है जो कहता है:

"पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों को इसके चौथे कॉलम में उल्लिखित सीमा तक निरसित किया जाता है।"

यह विधेयक का कुल योग है। लेकिन खुद विधेयक में केवल 22 पंक्तियाँ हैं और मुझे लगता है कि 22 मिनट के भीतर हम इस विधेयक को पारित कर देंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि इसमें 65 वर्ष या 62 वर्ष शामिल हैं, जो कि विनियोग बोझ के बारे में सटीक होने के लिए है, जिसे बंद किया जा रहा है। यह इस विधेयक की मुख्य चिंता है। समिति के दो प्रतिवेदनों का भी उल्लेख किया गया है। राज्य सभा की प्रवर समिति ने विशेष रूप से उल्लेख किया है और इस बारे में विस्तार से बताया है कि इसे क्यों हटाया जाना चाहिए। वे दो देशों के

कामकाज में चले गए हैं, एक संयुक्त राज्य है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि यह प्रकृति में अधिक व्यापक है। लेकिन जैसा कि सौगत दा द्वारा उल्लेख किया गया था, संयुक्त राज्य में, यह चरणों में जाता है। इस विधेयक में यह प्रावधान रखा गया है कि हम संयुक्त राज्य की पद्धति को अपनाने जा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि हम ऑस्ट्रेलियाई पद्धति को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसा कि उल्लेख किया जा रहा था, सूर्यास्त खंड के साथ जो इसे स्वचालित रूप से हटा देंगे? हम इस संयुक्त राज्य की विधि को क्यों अपना रहे हैं जिससे विनियोग दो वर्ष तक कानून में बना रहेगा और उसके बाद ही इसे हटाया जाएगा? समिति का विचार था कि बहुत समय बचाया जा सकता है और तत्काल जनहित के मुद्दों पर उपयोग किया जा सकता है जो विधायिका के पास लंबित हैं।

लेकिन यहां, ऑस्ट्रेलियाई प्रावधान, जो एक व्यापक कानून है - लेजिस्लेशन अधिनियम, 2001, में 302 धाराएँ और अन्य उपबंध होते हैं, जो कानून के जीवनकाल को व्यवस्थित करते हैं, अर्थात्, वित्तीय वर्ष, इसकी संरचना और सामग्री को सुधारते हैं और संभावना होने पर उसकी प्रावधानों को सरल बनाते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 89 कुछ कानूनों और प्रावधानों के 'स्वचालित निरसन' से संबंधित है। इसकी उप-धारा 2 में कहा गया है कि 'वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन विनियोग अधिनियम स्वतः निरसित हो जाता है।'

हम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि संयुक्त राज्य के संस्करण को स्वीकार करने का कोई वास्तविक कारण है, जो व्यवस्थित रूप से विनियोग अधिनियम को निरस्त करता है, और जो आमतौर पर दो सत्रों की देरी से होता है, तो हम संयुक्त राज्य की प्रणाली को क्यों अपना रहे हैं न कि ऑस्ट्रेलियाई प्रणाली को? इसे समझाने की जरूरत है।

दूसरा बिंदु, जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा, वह यह है कि विनियोग केवल हमारी चिंता नहीं है - लोक सभा या संसद की चिंता नहीं है, राज्य विधानसभाओं में विनियोग विधेयक भी पेश किए जा रहे हैं। क्या हम संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार, एक विधेयक पेश नहीं कर सकते हैं, जो एक मॉडल बन सकता है? इसलिए, विनियोग विधेयक के बारे में, संबंधित राज्य सरकारें भी विचार करती हैं। इसलिए, एक बार जब हम

अनुच्छेद 252 में आगे बढ़ेंगे, तो संबंधित राज्य सरकारों का बोझ भी एक आदर्श विधेयक के रूप में इसका पालन करेगा। वे भी अपने-अपने राज्यों में ऐसा ही करेंगे। इसलिए, इससे प्रत्येक राज्य इस बोझ से मुक्त हो जाएगा, जो वास्तव में कुछ पुराना है और इसे बदलने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** अब, सभा 2.10 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 01.17 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।*

**अपराह्न 02.13 बजे**

लोक सभा अपराह्न दो बजकर तेरह मिनट पर सामवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : देख तेरे संसार की हालत क्या हो गयी भगवाना। सदन को देखिए।

माननीय अध्यक्ष : आ जाएंगे, खाना खा रहे हैं। आ जाएंगे।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सत्तापक्ष का काम है हाउस को चलाना...(व्यवधान)

**अपराह्न 02.14 बजे****विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015-जारी...**

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** सदन विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक पर आगे विचार करेगा।

**श्री अभिजित मुखर्जी (जंगीपुर):** धन्यवाद महोदया, मैं पहले हुई विफलता के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। मुझे इसके लिए खेद है और मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ।

मुझे यह अवसर देने के लिए मैं अपने वरिष्ठों और आप सभी का भी आभारी हूँ।

महोदया, कई वक्ता पहले ही इसी विधेयक पर बोल चुके हैं। कुछ अधिनियम हैं जो 65 वर्ष पुराने हैं और निरर्थक हो गए हैं। उन्होंने अपना उद्देश्य समाप्त कर दिया है। इसलिए, इसे हटा दिया जाना चाहिए या छोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए, मैं विधि मंत्री और सरकार से सहमत हूँ।

हालांकि विधेयक सरल दिखता है, पर ऐसा है नहीं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधि मंत्रालय ने इस विधेयक में सूचीबद्ध विभिन्न अधिनियमों को लगाने के लिए कई प्रयास किए हैं। नौकरशाही और सरकार का मूल्यवान समय लगा दिया गया है, जिसे एक खंड को शामिल करके टाला जा सकता है जो स्वचालित रूप से किसी भी कानून को समाप्त कर देगा, जो अनावश्यक है। यह आयोग द्वारा वर्ष 1998 में अपने प्रतिवेदन में प्रशासनिक कानून की समीक्षा पर इंगित किया गया है। इसके अलावा, भारत के विधि आयोग ने अपनी 248<sup>वें</sup> प्रतिवेदन में अप्रचलित कानूनों पर तत्काल निरसन की वारंटी देते हुए कहा कि कानून पुस्तिका को मंजूरी देने के लिए 'विनियोग अधिनियम' को निरस्त किया जाना चाहिए।

पहले बोलने वाले सदस्यों ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं की ओर इशारा किया है। ऑस्ट्रेलिया में, विधेयक, जो समाप्त हो गए हैं या अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे। यू.के. में इसे समय-समय पर संसद के माध्यम से एकत्रित किया जाता है और हटा दिया जाता है। मुझे लगता है कि जो कानून बहुत पुराने हैं और उपयोग में नहीं हैं, उन्हें अपने आप समाप्त हो जाना चाहिए।

जिस तरह कानून बनाना संसद का प्राथमिक कर्तव्य है, उसी तरह संसद के बोझ को कम करना भी सरकार का काम है। सभा के काम करने का हर मिनट सरकारी खजाने के लिए एक लागत है। यह करदाताओं के पैसे हैं जो इस सदन को चलाने की लागत वहन करते हैं। इसलिए, यदि हम ऑस्ट्रेलिया की तरह एक समान प्रणाली का पालन करते हैं, तो नीति निर्माताओं के रूप में, हम सार्वजनिक खजाने पर बोझ कम करेंगे।

महोदया, हमने इस सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च में भारी कमी देखी है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जबकि इस सरकार ने सामाजिक क्षेत्र का त्याग किया है, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वह सरकारी खजाने पर बोझ को बचाने के लिए अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए अधिक कुशल प्रणाली का पालन करने के लिए तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।

इसके साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और महोदया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

**श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई सेंट्रल):** माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं पहले के फैसले के निरसन और हमारे आदरणीय नेता, *मानबुमिगु मक्कलिन मुदलवर अम्मा* के वापसी पर अपनी अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।

मैं तमिलनाडु के लोगों को न्याय के लिए सर्वशक्तिमान से अपील करने के लिए उनकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं अध्यक्ष महोदया को इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो उचित है।

यह 2015 का वर्ष है। अब हम वर्ष 1950 से कानून की पुस्तकों में शेष 758 विनियोग अधिनियमों को निरस्त कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश वर्ष 1950 और वर्ष 2012 के बीच रेलवे के लिए विनियोग से संबंधित हैं। महोदया, 111 विनियोग अधिनियम वर्ष 1950 से 1976 तक राष्ट्रपति शासन के तहत विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं। विनियोग अधिनियम किसी विशेष मंत्रालय या राज्य के लिए वित्तीय आबंटन हैं। इस तरह के अधिनियम एक विशेष वित्तीय वर्ष के बाद खुद को व्यय करते हैं।

भारत के विधि आयोग के 248<sup>वें</sup> प्रतिवेदन में बड़ी संख्या में विनियोग अधिनियमों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि वे अर्थ खो चुके हैं और अभी भी कानून की पुस्तकों में दिखाए गए हैं। यह सुनिश्चित करना कि इन अधिनियमों के तहत वैध रूप से की गई कार्रवाइयों पर उनका कोई नकारात्मक प्रभाव न हो, इन 758 अधिनियमों को अब निरस्त कर दिया गया है।

देर होने पर भी हमें कभी-कभी अच्छी राहत मिलती है। अब हमने एक लंबी देरी के बाद अपने सबसे प्रिय नेता अम्मा को राहत दिलाई है। इसी तरह, हमारी कानून की किताबें कई वर्षों से वहां पड़े इन विनियोग अधिनियमों से मुक्त हो जाएंगी। वे एकत्रित करना जारी रखते हैं और निरस्त होने तक प्रभावी रहते हैं। यह लंबे समय तक चलने वाले छोटे मुकदमों को जन्म दे सकते हैं।

दूसरे सभा की प्रवर समिति ने अपना विचार व्यक्त किया कि इन अधिनियमों के निरसन से हमें बहुत समय बचाने में मदद मिलेगी और इसका उपयोग तत्काल जनहित के मुद्दों पर किया जा सकता है।

किसी को आश्चर्य हो सकता है कि जब ऐसे विनियोग अधिनियम एक वित्तीय वर्ष के लिए हैं तो कोई स्वचालित निरसन खंड क्यों नहीं है। ऐसे विधानों का 'जीवन चक्र' एक वर्ष से अधिक समय तक चलता है ताकि हितधारक ऐसे अधिनियमों के प्रावधानों का उपयोग कर सकें। लेकिन फिर भी रेल मंत्रालय या केंद्रीय कानून मंत्रालय या केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भारी मात्रा में कर संग्रह से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए थी।

'पुरानी व्यवस्था उपज देने वाली जगह को नए में बदल देती है' हमारी दुनिया की व्यवस्था है। हर वर्ष नए रेलवे और वित्त विनियोग अधिनियम पेश किए जाते हैं। जब तक निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक पिछले वर्षों के विनियोग अधिनियम प्रभावी रहते हैं। अन्य विधेयकों में समान खंडों की शुरुआत का पता लगाना भी आवश्यक है। इसलिए, अब उन पुराने कानूनों को निरस्त करने का एक तरीका निकाला गया है जो एक वित्तीय वर्ष के बाद अप्रासंगिक हैं।

संयुक्त राज्य और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, स्वचालित निरसन प्रथाएं हैं। यू.के. में, जिस क्षण एक नया विनियोग अधिनियम पेश किया जाता है, पुराने अधिनियम को स्वचालित रूप से निरस्त कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, विनियोग अधिनियम स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है। यह विधेयक पुराने विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका मॉडल को अपनाने का प्रस्ताव करता है।

इस अवसर पर मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ कानूनों की पहचान की जाए जिनमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। ऐसे विधेयक न्यायालयों के समक्ष विधि की व्याख्या में विलंब का कारण बनते हैं। कंप्यूटर युग में भी, कुछ संशोधन और पुनर्व्याख्याएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि कानून की पुस्तक में प्रत्येक अधिनियम की समीक्षा करने वाला एक व्यापक कानून बनाया जाए।

मैं माननीय अध्यक्ष को मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने आदरणीय नेता मानबुमिगु मक्कलिन मुतालवर, पुरात्वी थलाइवी अम्मा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सदन में आने में सक्षम बनाया। धन्यवाद।

**श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा):** धन्यवाद, महोदया, मैं विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल शासन में बाधा डालने वाले पुराने कानूनों को समाप्त करने के निर्णय के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं माननीय विधि मंत्री श्री सदानन्द गौड़ा को भी इस विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 को लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो लगभग 758 विनियोग अधिनियमों को निरस्त कर देगा, जो प्रासंगिकता खो चुके हैं और कुछ रेलवे (विनियोग) अधिनियमों और वित्त विनियोग अधिनियमों सहित अप्रचलित, निरर्थक या निष्क्रिय हो गए हैं। गैर-वर्तमान कानूनों को निरस्त करना पी.सी.जैन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। यह एक सकारात्मक कदम होगा और देश की कानूनी प्रणाली में सुधार लाने में मदद करेगा।

अतीत में पारित बड़ी संख्या में विनियोग अधिनियमों में से, कई केवल कानून पुस्तकों तक ही सीमित हैं। विनियोग अधिनियमों का उद्देश्य एक सीमित अवधि के लिए संचालित करना है, एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए व्यय को अधिकृत करना है, जो आमतौर पर केंद्रीय अधिनियमों की किसी भी सूची में शामिल नहीं होते हैं।

यह विधेयक वर्ष 1950 और वर्ष 1976 के बीच संसद द्वारा अधिनियमित 111 राज्य विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने का भी प्रावधान करता है। ये अधिनियम राज्यों को बजटीय सहायता प्रदान करते हैं। जब राज्य राष्ट्रपति शासन में थे, तब उन्हें अधिनियमित किया गया था। आंध्र विनियोग अधिनियम, 1954, आंध्र विनियोग अधिनियम, 1955 और आंध्र विनियोग (लेखा पर वोट) अधिनियम, 1955 जैसे कुछ अधिनियम वर्तमान राजनीतिक प्रणाली में अपनी प्रासंगिकता पूरी तरह से खो चुके हैं।

वर्ष 1976 के बाद, इस तरह के विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने का अधिकार राज्यों को दिया गया था। यह पहल सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए. पी. शाह की अध्यक्षता वाले भारत के 20<sup>वें</sup> विधि आयोग के प्रतिवेदन और पुराने अधिनियमों को निरस्त करने के लिए राज्य सभा की प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुरूप भी है। देश में लगभग 1741 कानून अनावश्यक हो गए हैं लेकिन फिर भी वे अस्तित्व में हैं।

मैं सरकार से यह भी सिफारिश करूंगा कि विनियोग अधिनियमों में एक निरसन खंड रखा जाए जो वर्तमान कानूनी प्रणाली में नए सुधार लाने में मदद करेगा और पुराने अधिनियमों को समाप्त कर देगा, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। विनियोग अधिनियमों का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष या उससे कम के लिए व्यय को अधिकृत करने के लिए सीमित अवधि के लिए संचालित करना है।

इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि विनियोग अधिनियमों, जिनकी शर्तें समाप्त हो चुकी हैं, को निरस्त करने से इन अधिनियमों के तहत वैध रूप से की गई कार्रवाइयों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर देने के लिए पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ।

**श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड):** धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। माननीय विधि मंत्री श्री गौड़ा जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 का समर्थन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मुझे लगता है कि सभा के किसी भी हिस्से पर कोई विरोध या विरोधाभास नहीं है क्योंकि विधेयक आज की जरूरत बन गया है। कई अनावश्यक कानून हैं जो न्यायिक क्षेत्र में जमा हुए हैं। इस मुद्दे पर तर्कसंगत रुख रखने के लिए मंत्री जी द्वारा की गई पहल की मैं सराहना करता हूँ।

महोदया, स्थिति बदलने के साथ कुछ कानून पुराने हो जाते हैं और उनमें से कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए, हमें इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। महोदया, हमें कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में फिर से सोचना चाहिए जो हम आजकल कर रहे हैं। यह मेरा नजरिया है। यद्यपि संसद विधान पर चर्चा करती है, हम केवल आधे भाग पर चर्चा करते हैं जबकि आधे भाग को नौकरशाहों द्वारा या संबंधित मंत्रालय के सचिव स्तर के सदस्यों द्वारा नियमों, विनियमों, उप-नियमों आदि के संबंध में पूरा किया जाता है। यह सच है कि ये नियम और विनियम इस सदन के समक्ष रखे गए हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि मंत्री जी या सदस्य भी इन नियमों से नहीं गुजर रहे हैं। कभी-कभी, ये नियम वास्तव में मूल अधिनियम के भी विरोधाभासी हो जाते हैं। इसलिए, यह बहुत मुश्किल हो जाता है और आम लोगों के लिए कठिनाई लाता है। यदि वे न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें आगे की परिभाषा या स्पष्टीकरण के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाना होगा। ऐसे मामले में, कानून के माध्यम से न्याय प्राप्त करना एक महंगा मामला बन जाता है। आम लोगों के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाना संभव नहीं है। नतीजतन, क्या होता है कि हालांकि मंत्री स्वयं या संसद स्वयं सोचती है कि कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन नियमों में दोष के कारण, यह वास्तव में आम लोगों के लिए बहुत कठिनाई लाता है और उनके लिए न्याय प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए, जहां तक विधि निर्माण प्रक्रिया का संबंध है, इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे पास ऐसे कई अनुभव रहे हैं जहां अनेक स्वतंत्रता सेनानी जेल में थे। यह कानून के नाम पर भी किया गया था। चूंकि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, जहां तक ब्रिटिश सरकार का संबंध था, यह उनके हित के खिलाफ था। इसलिए, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। यह

केवल ब्रिटिश शासन के समय में नहीं हुआ था। इसके बाद भी हमें ऐसे अनुभव मिले हैं। इस सदन के पहले विपक्ष के नेता, श्री ए.के. ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद भी गोपालन लंबे समय तक जेल में रहे। वह न्यायालय में पेश हुए और खुद के लिए बहस की। मैं कहना चाहूंगा कि अपने पहले भाषण में जो उन्होंने अपने सदन में दिया था, उन्होंने कहा था कि 'मैं एक स्नातक नहीं हूँ, लेकिन मैं टूटे हुए नियमों की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं टूटी हुई अंग्रेजी में बोल सकता हूँ।' यह पहला वाक्य है जो उसने बनाया था। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में अपने मामले के लिए तर्क दिया था और वह चार्टर - ए.के. गोपालन बनाम मद्रास उच्च न्यायालय - कानून के छात्रों के लिए अध्ययन का एक पाठ बन गया है। यह श्री संपत के मामले में भी सच है, जो एक सदस्य हैं। उनके पिता श्री अनिरुद्धन जी भी इस सभा के सदस्य थे। वह भी लंबे समय से जेल में बंद थे। आखिरकार, यह कहा गया कि उसके खिलाफ कोई मामला नहीं था। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम दे सकते हैं।

जहां तक कानून का प्रश्न है, लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे वे बड़े हों या गरीब, लेकिन हम देखते हैं कि कई मामलों में कानून इस तरह से लागू नहीं होता है। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां हम देख सकते हैं कि कानून को अलग तरीके से लागू किया जाता है, जैसा कि श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर जी ने पहले कहा था, मुस्लिम युवाओं और पिछड़े लोगों के मामले में, क्योंकि वे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपने मामलों के लिए तर्क करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए, जहां तक आम लोगों का प्रश्न है, यह धारणा है कि कानून लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है, बल्कि यह अमीरों के पक्ष में है। यहां हमें सोचना होगा कि जहां तक कानून बनाने की प्रक्रिया का संबंध है, इस तरह की सतर्क कवायद होनी चाहिए।

यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस सभा में कई विधेयक आते हैं और हम कहते हैं कि उन्हें स्थायी समिति को भेजना होता है। यह राजनीतिक आधार पर नहीं पूछा जाता है। जहां तक संभव हो विधेयकों की विस्तार से जांच की जानी चाहिए। इस पर चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि सभा में हमारे पास बहुमत है या सभा में अल्पमत है। दूसरे विधेयक के संबंध में हमारे पास अनुभव है। जब हमने कई संशोधन प्रस्तुत किए, तो वे अस्वीकृत हो गए। जब विधेयक राज्य सभा में गया तो संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया।

यह इस सभा में वापस आया और फिर, उसे यहां भी स्वीकार किया गया। इसलिए, इस सभा और संसद को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, चाहे हमारे पास बहुमत हो या अल्पमत, और जहां तक कानून बनाने की प्रक्रिया का संबंध है, योग्यता पर विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा, हमें फिर से उन कई कानूनों को निरस्त करना होगा जो हमने पारित किए हैं।

मैं वास्तव में मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्तमान में इसे तर्कसंगत बनाने के लिए यह प्रयास किया है, लेकिन साथ ही, जहां तक कानून बनाने की प्रक्रिया का संबंध है, एक सचेत प्रयास होना चाहिए। इसे केवल बहुमत या अल्पमत के कारण नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही, कानून की भावना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री एस.एस. अहलुवालिया (दार्जिलिंग):** अध्यक्ष महोदया, मैं 'द एप्रोप्रिएशन एक्ट्स (रिपील) बिल, 2015' के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, जैसे देखा जाए तो यह रिपील बिल, जो लॉ कमीशन की 248वीं रिपोर्ट के तहत लाया गया है, इसमें हम उन एप्रोप्रिएशन बिल्स को रिपील कर रहे हैं, जो वर्ष 1950 से लेकर 2012 तक आम बजट और रेल बजट के लिए लाए गए थे। साथ ही साथ, उस वक्त जहां-जहां राष्ट्रपति शासन थे और राज्यों के लिए भी जो एप्रोप्रिएशन बिल्स लाए गए थे, उन्हें हम इस बिल के माध्यम से रिपील कर रहे हैं। अगर हम देखें तो लॉ कमीशन ने इसके पहले अपनी 18वीं, 21वीं, 81वीं, 96वीं, 148वीं और 159वीं रिपोर्टों में बहुत सारे कानूनों को रिपील करने के लिए कहा है।

महोदया, जब हमें आज़ादी मिली थी, उस वक्त वर्ष 1834 से लेकर वर्ष 1949 तक जो कानून इनैक्ट हुए थे, उनकी संख्या करीब 2,910 थी। उसमें से हम आज तक 2,530 सेंट्रल एक्ट को रिपील कर चुके हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे एक्ट्स ऑब्सॉलीट और रिडन्डेंट थे, जिसकी जरूरत ब्रिटिश साम्राज्यवाद या कोलोनियल रूल को चलाने के लिए थी। हमने उन कानूनों को समाप्त किया। हम वर्ष 1950 से लेकर अक्टूबर, 2014 तक 3,702 सेंट्रल एक्ट्स पास कर चुके हैं। उसमें भी करीब 1,301 कानूनों को हम रिपील कर चुके हैं। आज जो कानून स्टैच्युरी बुक पर हैं, उनकी संख्या 2,401 है। इसका मतलब करीब 6,612 सेन्ट्रल एक्ट्स हैं, जिनके माध्यम से हमारा देश चल रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सातवीं अनुसूची के माध्यम से जब लिस्ट-I में केन्द्र सरकार अर्थात् पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसमें सिर्फ 97 विषय हैं। लिस्ट-II के माध्यम से जब राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं कानून बनाती हैं, उसमें 66 विषय हैं। लिस्ट-III में समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जो राज्यों में भी चल रहे हैं और राज्यों के स्टेट लॉज की किताबें भी बहुत बढ़ गयीं हैं। वहां पर भी बहुत ज्यादा कानून हैं। जब तक हम उन कानूनों को भी

रिपील नहीं करेंगे तब तक ज़मीनी हक़ीकत में बदलाव नहीं होगा। हम केवल लाइब्रेरी का आकार छोटा करने के लिए इसे नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, जिन्हें समाप्त करने के लिए हम इस बिल को ला रहे हैं। जो लोग किसी को न्याय मिलने में कानूनी अड़चनें पैदा करते हैं, वे इन कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। इसे ही रोकने के लिए हमने यह किया है। इसलिए वर्ष 1998 में पी. सी. जैन कमेटी बनाई गई थी। पी. सी. जैन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर यह सब कुछ हुआ।

महोदया, हमारे संविधान में आज सौवां संशोधन हुआ है। इसमें भी कई संशोधन ऐसे हैं, जो सिर्फ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए किए गए थे। पर, जिन कानूनों के आधार पर जनता को न्याय मिलता है, वैसे कानूनों की संख्या 100 भी नहीं है, बल्कि उससे कम है। वैसे जो कानून हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जब हम एप्रोप्रिएशन बिल्स को रिपील कर लेते हैं या अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर देते हैं, इनको रिकॉर्ड में से निकालने की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इन्हें सर्वदा के लिए न जलाएं। जो डिजिटल इंडिया बन रहा है, उसमें आर्काइव में रखें कि आने वाली पुश्तें उसे देख सकें। मैं आज अगर एक शोध करने बैठूं कि जिस वक्त इस देश में राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके पहले निजीकरण था। उस निजीकरण को समाप्त करके राष्ट्रीयकरण हुआ और आज राष्ट्रीयकरण को समाप्त करके फिर निजीकरण हो रहा है, तो क्या अवस्था उस वक्त थी और क्या अवस्था अब है? बीच में जो राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उस समय कितना शोषण और दोहन हमारी भारतीय संपदाओं का हुआ है, उसका अगर उल्लेख करने के लिए, शोध करने के लिए कोई छात्र बैठेगा तो उसे ये सारे कागजात नहीं मिलेंगे।

महोदया, मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप रोज यहां विधेयक पास करती हैं। विधेयक पास करते वक्त आप किसी सदस्य का नाम पुकार आप कहती हैं कि आपने अमेंडमेंट नंबर 44 दिया है, तो वह उस अमेंडमेंट मूव करता है। आप उसे आइज और नोज बोलकर निगेटिव कर देती हैं। दूसरे दिन मैं अगर प्रोसीडिंग में ढूंढना चाहूं कि वह 44वां अमेंडमेंट क्या था, वह प्रोसीडिंग का हिस्सा है या नहीं, तो वह नहीं होता है। हमारी क्या मांग थी, किसको निगेटिव किया गया और किसको पॉजीटिव किया गया, वह लिखा नहीं होता है। अगर वह नहीं लिखा होता है तो वह आधार नहीं बनता है। कल जब संविधान के बारे

में या कानून बनाने की पद्धति के बारे में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को लेकर कोई शोध करने के लिए छात्र या छात्रायें बैठेंगी तो उनको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि इनको रिपील करते वक्त इनको आर्काइव में भी डालकर रखें।

दूसरा, मैं दार्जिलिंग क्षेत्र से आता हूँ, उसमें सिलीगुड़ी, नक्सलबाड़ी, फासीदेवा भी है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद में एक दार्जिलिंग इंप्रूवमेंट फंड नाम से एक रूल बनाया था। वह रूल आज भी विद्यमान है। सब जगह जमींदारी खत्म हो गई, किन्तु वहां जमींदारी अभी तक नहीं खत्म हो पाई है। उसका जो रेंट था, लीज पर जो बाजार दिए गए थे, हाट दिए गए थे, दुकानें दी गई थीं या मकान दिए गए थे, उसका आर्बिट्रेटली वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या राज्य का कानून उसका रेंट बढ़ा देते हैं। मेरा कहना है कि डी.आई. फंड को रिपील करके आज के हिसाब से लैंड रिफार्म्स के अनुसार नया कानून आना चाहिए। इसीलिए जब भी रिपील करने की बात होती है, तो जमीनी हकीकत को भी जानने की जरूरत है। सिर्फ क्रोनोलॉजिकल कोड ऑफ एक्ट्स से लिस्ट उठाकर उसे रिजेक्ट नहीं करना है। अगर यह समिति हर एक जगह जाकर वहां के लोगों की बात सुनकर अगर कानूनों में संशोधन करेगी, रिपील करेगी तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं, जिनको उठाने की जरूरत है। यही कहकर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और अगर हो सके तो मंत्री जी इस पर जवाब दें।

[अनुवाद]

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** महोदया, मुझे इस विधेयक के संबंध में अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विनियोग अधिनियमों (निरसन) विधेयक, 2015 का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ।

महोदया, विधेयक की विषय-वस्तु में प्रवेश करने से पहले, मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें अपने भारतीय संविधान के निर्माताओं के साथ-साथ लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के निर्माताओं के सामने अपना सिर झुकाना होगा। यह दुनिया का सबसे अच्छा लिखित संविधान है। जहाँ तक लोक सभा के नियमों का संबंध है, वे विश्व की संसदीय परिपाटियों से संबंधित सर्वोत्तम नियम हैं। सरकार से मेरा पहला निवेदन यह है कि हमें संविधान के प्रावधानों का पालन करना होगा और साथ ही लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का पालन करना होगा। संविधान और नियमों के कारण ही हमारे देश में यह संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और बेहतर तरीके से प्रचलित है। वर्ष 1950 के बाद से, अगर हम देखें, तो निश्चित रूप से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ तक कि एक सरकार से दूसरी सरकार में सत्ता का परिवर्तन-वाजपेयी सरकार के 13 दिनों की, उसके बाद श्री देवेगौड़ा जी की सरकार और बाद में दूसरी सरकार द्वारा-यह निरंतरता के संदर्भ में एक श्रृंखला है और पूरी प्रक्रिया को बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से संभाला जा रहा है। हम संविधान की वजह से ही देश में अपनी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा कर पा रहे हैं। संसदीय प्रक्रियाएं भी लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के कारण ही सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसलिए, मेरा निवेदन है कि हमें संविधान के प्रावधानों का पालन करना होगा, चाहे हमारे देश में जो भी राजनीतिक स्थिति हो, और इस सदन की प्रक्रिया के नियमों का भी पालन करना होगा। अन्यथा, व्यवस्था कमजोर हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप हमारे देश की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली कमजोर हो जाएगी।

इस विधेयक के संबंध में बात करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का पूरा समर्थन करता हूँ। क्योंकि कई अनावश्यक विधेयक कानून की पुस्तक में लंबित हैं। हमें निरर्थक विधेयकों को कानून की किताब से हटाना होगा ताकि उन विधेयकों को लागू करना बहुत आसान हो। मैंने अपने संविधान के प्रावधानों के साथ-

साथ विधेयक को भी देखा है। यह एक अद्भुत बात है। हमें अनुदान की मांगों के माध्यम से भारत की संचित निधि से खर्च किए जाने वाले प्रत्येक पैसे के लिए मतदान करना होगा। इतना ही नहीं। भले ही इस सदन द्वारा मांग पर मतदान किया जा रहा है, फिर भी सरकार के पास पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमें धन के उचित उपयोग के लिए एक विनियोग विधेयक या एक कानून पारित करना होगा। इसका मतलब है कि सरकार को एक पैसा भी लेने का अधिकार तभी है जब हम एक विनियोग विधेयक पारित करें। बिना किसी खामी के इसे कितना पक्का और सख्त बनाया जा रहा है? इसलिए, मैं कह रहा हूँ कि हमें संविधान निर्माताओं के साथ-साथ इस सदन के नियमों के निर्माताओं के सामने अपना सिर झुकाना होगा।

इस विनियोग विधेयक की बात करें तो इन सभी कानूनों को हटाना अच्छी बात है। एक अन्य बिंदु जिस पर चर्चा की जानी है, वह स्वचालित निरसन खंड के बारे में है। राज्य सभा प्रवर समिति ने एक विशिष्ट सिफारिश की है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा सुझाव है क्योंकि विनियोग अधिनियम के विधानों के इस बंडल के बजाय, विनियोग अधिनियम के साथ स्वचालित निरसन खंड होना बेहतर है। निश्चित रूप से यह सरकार के लिए भी आसान होगा और हम अनावश्यक कानून बनाने से भी बच सकते हैं।

साथ ही, जब मैं स्वतः निरसन खंड का समर्थन करता हूँ, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वित्त विधेयक के संदर्भ में भी सोच रही है। हमने इतने सारे वित्त विधेयक पारित किए हैं। वे वित्त विधेयक भी एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए हैं। यह भी लंबित है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उस दिशा में भी सोच रही है। जहाँ तक वित्त अधिनियम का संबंध है, इतने सारे वित्तीय दायित्व हैं; इतने सारे मामले और परिणामी अधिनियम भी हैं। इसलिए, वित्त अधिनियम के संबंध में यह मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक विनियोग विधेयक का संबंध है, यह केवल सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार देता है। इसलिए, विनियोग विधेयक के साथ एक स्वचालित निरसन खंड होना बेहतर है ताकि इस सभा का समय बचाया जा सके।

इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस तरह का विधेयक लाने के लिए मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

**विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा):** अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन किया है। समर्थन एक बात है लेकिन पूरे दिल से समर्थन दूसरी बात है। इसलिए, इस विधेयक पर बोलने वाले सभी सदस्यों ने कुछ सुझावों के साथ इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन किया है। इसे और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए। कानून को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि यह आम आदमी के लिए सुलभ हो सके और यह देखा जा सके कि सख्त कानूनों को कानून की पुस्तक से बाहर निकाला जाए जो अप्रचलित और अनावश्यक हो गए हैं।

यह माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण है। हमने यह पहल की है। निरस्त करने के लिए लगभग 1,741 अधिनियमों की पहचान की गई है। इनमें से दो विधेयक पहले ही पेश किए जा चुके हैं और पारित किए जा चुके हैं। एक में 35 अधिनियम हैं और दूसरे में 90 अधिनियम हैं। आज, इस विधेयक में 758 विनियोग अधिनियम हैं। 187 अधिनियमों वाला एक और विधेयक तैयार है। मैं निकट भविष्य में इसे पेश करने जा रहा हूँ। कुल मिलाकर, 1,741 में से, लगभग 1,700 अधिनियम जो अप्रचलित और अनावश्यक और निष्क्रिय हैं, इस नई सरकार के एक वर्ष की छोटी अवधि के भीतर कानून पुस्तिका से हटा दिए जाएंगे।

इससे पहले यह कार्य पिछली बार वर्ष 2001 में माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल के दौरान किया गया था। बेशक, इन निरस्तीकरण और संशोधन अधिनियमों को लगभग दस गुना लिया गया है और लगभग 1,291 अप्रचलित कानूनों को पहले ही निरस्त कर दिया गया है।

बेशक, हमारे सदस्यों ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे माननीय मित्र श्री पी.पी. चौधरी मुझे सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6क में संशोधन करने का सुझाव दे रहे थे। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6क व्यावहारिक रूप से विनियोग अधिनियमों पर लागू नहीं होती है। धारा 6 एक सामान्य प्रावधान है जो अधिनियमों के निरसन के प्रभाव से संबंधित है। जहां तक 6क का संबंध है, यह विनियोग अधिनियमों पर लागू नहीं होता है। इसलिए, वह मामला इसके दायरे में नहीं आएगा।

बेशक, हमें कुछ विधायी पूर्वोदाहरणों का पालन करना होगा। इस कारण से वर्ष 1901 से ही हम ब्रिटेन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर रहे थे। यहां तक कि कुछ निरस्तीकरण अधिनियम भी वर्ष 1901 और 1903 के दौरान किए गए हैं, जहां यह देखने के लिए एक बचत खंड प्रदान किया गया है कि कुछ खंड भविष्य के दिनों में भी लागू होंगे। इसी तरह, यहां भी हमने यह देखने के लिए एक बचत खंड बनाया है कि यदि, क्योंकि यह एक विनियोग अधिनियम है, जिसमें श्री प्रेमचन्द्रन जी द्वारा सही रूप से कहा गया है, हम भारत के समेकित निधि से पैसा खींच रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे देखने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य सौगत रॉय और भर्तृहरि महताब ने मेरे ध्यान में लाया कि हमने यह कदम क्यों नहीं उठाया है, बेशक हमने इस स्वतः निरसन खंड को शामिल किया है, अगले वर्ष से सभी 2016 विनियोग अधिनियमों में निरसन खंड स्वतः ही शामिल हो जाएगा। दो वर्षों के बकाया मामलों के लिए स्वचालित निरसन उपबंध होगा। 2013 विनियोग अधिनियम को 2016 विनियोग अधिनियम में निरसित किया जाएगा। इसलिए, खर्च के लिए एक वर्ष, और यदि कोई पैसा बचा रहता है तो इसे अगले विनियोग विधेयक में अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए, स्वचालित रूप से वर्ष 2016 से लगातार सभी विनियोग अधिनियम जो वर्ष 2013 से लागू होंगे, स्वचालित रूप से क्लियर हो जाएंगे। यह सूर्यास्त खंड की तरह होगा।

बेशक हमने ऑस्ट्रेलियाई विधान अधिनियम 2001 और यू.के. प्रक्रिया की जांच की जिसका पालन किया जाता है जिसे हम स्वीकार करते हैं। यह न केवल हमारे द्वारा, यहां तक कि विधि आयोग द्वारा भी स्वीकार किया जाता है, यहां तक कि स्थायी समिति ने भी विस्तार से जांच की और कहा कि यू.के. मॉडल हमारे लिए विचार करने के लिए सही मॉडल है, इसलिए हमने इसे लिया है। जहां तक ऑस्ट्रेलियाई कानून अधिनियम का संबंध है, यह एक बहुत ही व्यापक अधिनियम है। बेशक इसमें लगभग 302 खंड और अन्य संलग्नक भी हैं। बेशक एक धारा 89 जो स्वचालित निरसन के लिए प्रदान करता है, उसमें लगभग 12 उप-धाराएं हैं। उसे उन सभी अधिनियमों की विस्तार से समीक्षा करनी होगी जिन्हें निरस्त किया जाना है। तो, यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिए, हमारी स्थायी समिति के साथ-साथ कानून आयोग और हमारे कानूनी विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर

पहुंचे कि यू.के. मॉडल सही मॉडल है। इसलिए, हम यू.के. मॉडल का चयन कर रहे हैं और यह भविष्य में लागू होगा।

माननीय सदस्य भर्तृहरि महताब जी ने यह टिप्पणी की कि क्यों धारा 252 को संशोधित नहीं किया गया ताकि राज्यों को भी इसका लाभ हो सके। जहां तक अनुच्छेद 252 का संबंध है, राज्य सरकार से एक संकल्प लेना होगा। दो या दो से अधिक राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजना होता है। तभी केंद्र सरकार इस मामले को देख सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य भर्तृहरि महताब जी के सुझाव का इसके द्वारा पालन किया जाएगा क्योंकि इस अधिनियम को पारित करने के बाद आने वाले समय में राज्य सरकारें भी इसी प्रक्रिया का पालन करेंगी। मुझे लगता है कि यह राज्य सरकारों के लिए भी एक मॉडल होगा। उनके पास आने वाले दिनों में उनके विनियोग अधिनियमों में सूर्यास्त खंड रख सकते हैं।

बिल्कुल, वर्ष 1950 से 1976 तक राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा पारित किए गए 111 राज्य विनियोग अधिनियमों को ध्यान में रखा गया था। 42<sup>वें</sup> संशोधन के बाद, शक्ति राज्य सरकारों के पास निहित थी।

हमारे मित्रों ने कुछ और सुझाव दिए हैं, जिनका निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा। विधि आयोग ने अपने 248<sup>वें</sup> प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने से, जिनकी शर्तें समाप्त हो गई हैं, किसी भी तरह से इस अधिनियम के तहत मान्य रूप से की जाने वाली कार्रवाइयों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी अध्ययन किया कि मृत कानून की अस्तित्व से जीवित कानून के अस्तित्व में भ्रम पैदा होता है और इसे समझने में भी उलझन उत्पन्न होती है। इसलिए, यह कानून के सरलीकरण का मामला है और यह बहुत स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जीवित कानूनों और कुछ कानूनों के साथ भ्रम नहीं होना चाहिए जो वास्तव में अप्रचलित हैं।

अंत में, अध्यक्ष महोदया, कानून, मनुष्यों के विपरीत, कानूनों के संभावित अपवाद के साथ एक प्राकृतिक मृत्यु नहीं मरते हैं, जिनका जीवन उनके अधिनियमन के समय कानून द्वारा पूर्व निर्धारित किया जाता है। तो,

यह एक ऐसा कदम है जहाँ हम प्राकृतिक मृत्यु को अधिनियमों में डाल रहे हैं जो निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसा कि पहले से ही सभी सदस्यों ने इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन किया है, मैं सराहना करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

### **खंड 2 और 3**

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।*

*अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक को पारित किया जाए।

**श्री डी.वी.सदानन्द गौड़ा:** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**अपराह्न 02.53 बजे****अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015**

**माननीय अध्यक्ष:** अब हम मद सं. 5 - अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015 पर विचार करेंगे।

**वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली):** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों के लिए, ऐसी आय और आस्तियों के संबंध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया के लिए उपबंध करने तथा भारत से बाहर धारित किसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति पर कर अधिरोपण का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**माननीय अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों के लिए, ऐसी आय और आस्तियों के संबंध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया के लिए उपबंध करने तथा भारत से बाहर धारित किसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति पर कर अधिरोपण का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक):** महोदया, हमने इस विधेयक पर नोटिस दिया था... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** हाँ, आपने अपना नोटिस दिया है। अब, मैं निर्णय दूँगी।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** महोदया, हमने जो नोटिस दिया है, वह इस संबंध में है कि इस विधेयक को निधि विधेयक माना जाए या वित्त विधेयक... (व्यवधान) हम जानते हैं कि आपके सामने चुनौती देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। आप जो भी निर्णय देते हैं वह अंतिम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार ने जो किया है वह वास्तव में अनुचित है, यदि आप संविधान के कानूनों को देखते हैं, यदि आप संविधान के अनुच्छेदों को देखते हैं जहां धन विधेयक और वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित केवल प्रावधान हैं, अर्थात् अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या किसी भी कर के विनियमन। जबकि एक धन विधेयक केवल संविधान के अनुच्छेद 110 (1) के तहत निर्दिष्ट मामलों से संबंधित है, एक वित्त विधेयक विशेष रूप से उक्त अनुच्छेद के तहत निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले से संबंधित नहीं है। अर्थात् यह कहना है कि इसमें कुछ अन्य प्रावधान भी हो सकते हैं।

एक धन विधेयक में केवल वही प्रावधान होते हैं। सरकार इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में उचित ठहराने का एकमात्र तरीका यह कहना है कि विधेयक में शामिल अभियोजन तत्व में दंडात्मक पाठ्यक्रम को करों के अधिरोपण के साथ 'आनुषंगिक' की परिभाषा में शामिल किया गया है क्योंकि 'आनुषंगिक' की अनुमति है। लेकिन अन्यथा ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सरकार इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में सही ठहरा सके। सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 117 (1) के तहत परिभाषित एक वित्तीय विधेयक है क्योंकि संविधान यही कहता है।

संविधान निर्माताओं ने जब अनुच्छेद 117(1) में यह प्रावधान किया था, तो उन्होंने ऐसी स्थिति की कल्पना की थी जिसमें विधेयक धन विधेयक के समान ही होगा, लेकिन उसमें कुछ अन्य तत्व भी होंगे। यह इसमें शामिल एक बहुत बड़ा दंडात्मक तत्व है। धन शोधन अधिनियम और फेमा में भी संबंधित तत्व हैं जो इस

पूरे कानून का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यही कारण है कि संविधान में इस विशेष अनुच्छेद का प्रावधान है, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत इस विधेयक को अधिक विधायी जांच के लिए एक संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। इस मामले में, आपराधिक न्यायशास्त्र के कानूनों के भीतर, हमें उच्च स्तर की विधायी जांच के अधीन होने के लिए इस तरह के भारी दंडात्मक और अभियोजन अधिरोपण के साथ ऐसा विधेयक भेजना होगा। यही कारण है कि यह अनुच्छेद एक प्रकार के धन विधेयक के लिए प्रदान किया जाता है जिसमें कुछ अन्य तत्व भी हैं। अतः मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विधेयक के साथ हो रहे व्यवहार पर धन विधेयक के रूप में पुनर्विचार किया जाए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। आप संविधान के अनुच्छेद 117 का उपयोग करते हैं जो यह सुनिश्चित करेगा कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को भेजकर अधिक विधायी जांच की जाएगी। यह आपसे एक अनुरोध है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** महोदया, मुझे लगता है कि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अपने भाषण में, वह चीजों को भी समझायेंगे।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह आवश्यक नहीं है कि सभी बोलें। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ अलग है?

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** हां, लेकिन यह इससे संबंधित है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं इस पर एक निर्णय दूँगी।

**श्री भर्तृहरि महताब:** वह इसको स्थायी समिति में भेजने के लिए कह रहे हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** उन्होंने कहा है कि यह एक धन विधेयक नहीं है।

**श्री ई. अहमद (मलप्पुरम):** श्री हुड्डा जी द्वारा उठाया गया मामला भी हमारे लिए चिंता का विषय है। ...

(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपको केवल एक मिनट इंतजार करना होगा।

**श्री भर्तृहरि महताब:** यह नया विधेयक है।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** महताब जी, मैं पहले उनकी बातों पर कुछ रूलिंग दे दूँ, फिर आप बोलें तो बेहतर होगा।

[अनुवाद]

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** महोदया, मंत्री जी जवाब दे सकते हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने एक पत्र दिया है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** बोलते समय, वह जो भी शेष है उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अभी, केवल धन विधेयक के हिस्से के लिए, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह यह है।

... (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** उस मुद्दे पर, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** उन्होंने पत्र दिया है और अब उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015 धन विधेयक नहीं है। इस संदर्भ में मुझे सभा को सूचित करना है कि इस विधेयक का आशय अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों के ऐसी आय और आस्तियों के संबंध में कार्यवाही करने कि प्रक्रिया हेतु उपबंध करने तथा भारत से बाहर धारित किसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति पर कर अधिरोपण का उपबंध करना है।

विधेयक के खंड 3 में निर्धारिती को उसकी कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में कर प्रभारित किए जाने का उपबंध है। खंड 60 में उपबंध है कि भारत से बाहर अव्यवस्थित अप्रकटित और उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर खंड 59 के अधीन घोषित आस्ति पर इस विधेयक के आरंभ होने की तारीख को ऐसी अप्रकटित आस्ति के तीस प्रतिशत की दर से कर प्रभारित किया जाएगा। विधेयक के अध्याय तीन, चार, पांच और छह क्रमशः कर प्रबंध, दंड, अपराध और अभियोजन एवं कर अनुपालन से संबंधित हैं। अध्याय सात में विधेयक के कार्यान्वयन से संबंधित सामान्य उपबंध अंतर्विष्ट हैं।

अनुच्छेद 110 की खंड (1) में प्रावधान है कि यदि किसी विधेयक में केवल उन उपबिंदुओं (क) से (छ) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित प्रावधान हैं, तो उसे धन विधेयक माना जाएगा। अनुच्छेद 110 (1) में 'केवल' शब्द के महत्व के दायरे पर निर्णय देते हुए, उस समय के माननीय अध्यक्ष, श्री मावलंकर ने टिप्पणी की:

### **अपराह्न 03.00 बजे**

"मुझे लगता है, प्रथम दृष्टया, कि 'केवल' शब्द सामान्य शब्दों के दायरे पर प्रतिबंधक नहीं है। यदि कोई विधेयक मूलतः किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन आदि से संबंधित है, तो विधेयक में अन्य प्रावधानों को शामिल करने मात्र से, जो उस कर के प्रशासन के लिए आवश्यक हो सकते हैं या, मैं कह सकता हूँ, उस विशेष विधेयक के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो सकते हैं, विधेयक को धन विधेयक की श्रेणी से नहीं हटाया जा सकता। विधेयक के उद्देश्य को देखना होगा। इसलिए, यदि विधेयक के मुख्य

प्रावधानों का उद्देश्य किसी कर को लगाना, समाप्त करना आदि है, तो अन्य प्रावधान आकस्मिक होंगे और उनके शामिल होने से इसे धन विधेयक की श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता है।"

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** यही आपत्ति है, महोदया।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** जो रिमेनिंग बात है उसे बाद में मिनिस्टर एक्सपलेन करेंगे।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा, "जब तक कोई 'केवल' शब्द को इस तरह से नहीं समझता है, तब तक यह अनुच्छेद 110 को अमान्य बना सकता है। कोई भी कर उसके मूल्यांकन, संग्रह, प्रशासन, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को संदर्भित करने आदि के लिए प्रावधान किए बिना नहीं लगाया जा सकता है, कोई भी विधेयक में मुख्य कर लगाने वाली केवल एक धारा की कल्पना कर सकता है और पचास अन्य धाराएँ हो सकती हैं जो उस कर लगाने के दायरे, विधि, तरीके आदि से निपट सकती हैं।"

अध्याय तीन से सात में अंतर्विष्ट उपबंधों के परिणामस्वरूप खंड 3 और 60 के अधीन कर लगाया जाएगा। अतः उपबंध आय और आस्ति पर कर अधिरोपण, विनियमन आदि से संबंधित हैं। इस प्रकार, ई अध्यायों के उपबंधों पर संविधान के अनुच्छेद 110(1)(क) के उपबंध लागू होते हैं।

अतः, मैंने इस विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के अर्थ के भीतर धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया है।

अब, श्री महताब जी, यदि आप कोई बात रखना चाहते हैं तो कृपया रखें।

**श्री भर्तृहरि महताब:** महोदया, अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015, जिसे आज विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, 88 खंडों वाला एक पूरी तरह से नया विधेयक है और यह अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के मुद्दों से संबंधित है। बहुत लंबे समय से काला धन, जो विदेशों में छिपा हुआ है, सार्वजनिक चर्चा में है और एक नया कानून बनाने की जनता की मांग कर रही है।

लेकिन, इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि कोई सार्थक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। हमारे पास फेमा है जो एक निवासी को विदेशी संपत्ति को स्वतंत्र रूप से रखने की अनुमति देता है बशर्ते कि ये तब अर्जित किए गए हों जब कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर रह रहा हो। विधेयक में कहा गया है कि विदेशों में अप्रकटित आय पर अब आयकर अधिनियम के तहत कर नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, घरेलू काला धन धारक आयकर अधिनियम से बच सकते हैं। यह विधेयक के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। यदि काले धन को तट से तट पर स्थानांतरित किया जाता है तो यह विधेयक कम सजा के साथ मध्यस्थता का अवसर पैदा करता है। यह किसी कानून का उद्देश्य नहीं हो सकता है।

अंत में, विधेयक में जमा धन को वापस लाने की शक्ति कहां है? वह गायब है।

जब यह विधेयक का मामला है, तो मेरी राय है, महोदया, कि इसे विचार-विमर्श के लिए वित्त की स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए जो निश्चित रूप से विधेयक के इरादे की प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है।

**डॉ. पी.वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर):** महोदया, यह एक नया विधेयक है। इसमें विदेशी एजेंसियों के अलावा कई न्यायिक मंच भी शामिल हैं। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय के कार्यों को ओवरलैप करने वाले नए वैधानिक निकाय के निर्माण की आवश्यकता है। इसलिए, यह विधेयक एक स्थायी समिति द्वारा गहन अध्ययन का आह्वान करता है। इसलिए, महोदया, आप इस महत्वपूर्ण कानून को त्रुटिहीन बनाने के लिए इस विधेयक को स्थायी समिति को भेज सकते हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मैं सभा को सूचित कर सकता हूँ कि विधेयक के प्रभारी मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने 25 अप्रैल, 2015 के पत्र के माध्यम से मुझसे अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को नहीं भेजने का अनुरोध किया था। ऐसा अनुरोध करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा था कि काले धन के खतरे से निपटने के सरकार के प्रयास के तहत इस विधेयक को लोक सभा में पेश किया गया है। इस नए कानून को तत्काल लागू करने की आवश्यकता है ताकि विदेशों में अपनी आय और आस्ति को छिपाने वाले अपराधियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की जा सके। विधेयक में उन व्यक्तियों के लिए सीमित अवधि के लिए एक बार अनुपालन का अवसर भी प्रदान किया गया है, जिनके पास कोई विदेशी संपत्ति है जिसका आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खुलासा नहीं किया गया है। अनुपालन प्रावधानों को लागू करने के लिए जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है। यह विधेयक पारित होने के बाद ही किया जा सकता है।

माननीय मंत्री जी द्वारा बताए गए कारणों को देखते हुए, मैंने विधेयक को स्थायी समिति को नहीं भेजा था।

अब, माननीय मंत्री जी।

[अनुवाद]

**श्री अरुण जेटली:** महोदया, आपने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सरकार ने निर्णय लिया था और जैसा कि बजट के दौरान ही घोषणा की गई थी कि हम गैरकानूनी धन के खिलाफ कुछ कठोर उपाय करना चाहते हैं जो विदेशों में लोगों द्वारा जमा किए गए हैं।

[हिन्दी]

सरकार ने घोषणा की थी कि विदेशों में विदेशी बैंकों में या विदेश में जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सम्पत्ति रखते हैं, उसको देश में लाना और उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु, सरकार इस पर जो उपयुक्त कार्रवाई हो सकेगी, करेगी। यह कानून उसके तहत बनाया गया है। यह कानून संविधान में परिभाषित है, धारा 110 के तहत मनी बिल है, क्योंकि कानून क्या है? सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो यह ऐसा कानून है कि इस देश के इतिहास में पहली बार यह आया है कि जिस किसी ने कोई सम्पत्ति जिसकी घोषणा नहीं की है या कोई इंकम गैर-कानूनी तरीके से बिना घोषणा किए देश के बाहर रखी है, तो इस कानून के पारित होने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी और उसके साथ साथ 30 प्रतिशत पैनल्टी लगेगी। चूंकि यह टैक्स पहली बार उसके ऊपर लगाया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति की सम्पत्ति बाहर है या जिसकी आमदनी बाहर है,...(व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :** मैडम, 30 प्रतिशत पहले प्रथम वर्ष में थी।...(व्यवधान)

**श्री अरुण जेटली :** मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कृपया, मुझे बस दो मिनट दें। आप समझ जाएंगे। आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह एक धन विधेयक है। चूंकि यह केवल फॉरेन एसैट्स के लिए है, इस कानून का डॉमैस्टिक ब्लैक मनी से कोई संबंध नहीं है। डॉमैस्टिक ब्लैक मनी से जो संबंध है, उसके लिए अन्य कानून है जिसे हम अलग से देखेंगे। जो विदेशों में गैर कानूनी तरीके से बिना घोषणा किये, अनडिक्लेअर्ड है, यानी जिस व्यक्ति ने आरबीआई की अनुमति से डिक्लेअर करके सम्पत्ति रखी है, उसके लिए डरने का कोई कारण नहीं है। लेकिन जिसने अनलॉफुली, अनडिस्कलोज्ड सम्पत्ति बाहर रखी है, उसके ऊपर पहली बार इस कानून के

तहत टैक्स लगेगा जो सैक्शन 3 है, वह चार्जिंग सैक्शन है। चार्जिंग सैक्शन में 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा और 30 प्रतिशत के ऊपर पैनल्टी, हर्जाना लगेगा क्योंकि आपने संपत्ति गैर-कानूनी तरीके से रखी है। उसके लिए एक समय सीमा दी जाएगी और उस समय सीमा में जिसको कम्प्लायेंस विंडो कहते हैं, वह व्यक्ति घोषणा कर दे कि यह मेरी आमदनी या मेरी सम्पत्ति बाहर है और उस कम्प्लायेंस विंडो के तहत उस व्यक्ति को उसके ऊपर टैक्स और पैनल्टी देने का समय दिया जाएगा। वह टैक्स और पैनल्टी उसके ऊपर दे दे तो वह टैक्स देने के बाद अपने आपको अन्य किसी कार्रवाई से अलग कर सकता है। लेकिन एक बार रूल्स के तहत सरकार जो नोटिफाइ करेगी, उसकी अवधि क्या रहेगी, मैं स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ क्योंकि जो नियम बने हैं, यह उसके तहत होगा।

मान लीजिए आपको दो महीने का समय इसे डिक्लेयर करने का और कुल छह महीने का समय कम्प्लायेंस विंडो के तहत टैक्स और पैनल्टी देने के लिए मिलता है। आप टैक्स और पैनल्टी दीजिए। यदि एक बार कम्प्लायेंस विंडो बंद हो जाती है तो फिर आपको टैक्स या पैनल्टी देने का कानूनी अवसर जो आपको मिला था, वह अवसर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको तीस परसेंट टैक्स जो हर व्यक्ति को पहले ही देना पड़ता है और 120 परसेंट पैनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तीस परसेंट प्लस तीस परसेंट अब बढ़कर तीस परसेंट प्लस 120 परसेंट हो जाएगा। 120 परसेंट का मतलब तीस परसेंट का चार गुना है। टैक्स के ऊपर आपको इतना देना पड़ेगा और उसके साथ-साथ आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलेगा जिसमें तीन वर्ष कम से कम और दस वर्ष की सजा हो सकती है।

सरल भाषा में इस कानून का सार यह है। अगर यह कानून अलग से न बनता और केवल इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही चैप्टर बना लेते तो इनकम टैक्स के अनुसार ऐसा होता है कि आपको टैक्स देने का समय दिया जाता है। अगर आप उस समय में टैक्स नहीं देंगे तो आपको पैनल्टी देनी पड़ेगी। आप पर प्रोसिक्यूशन भी चल सकता है। दीपेन्द्र जी ने कहा कि पीनल्स प्रोविजन्स हैं। इनकम टैक्स एक्ट में भी पीनल्स प्रोविजन्स हैं। हर वर्ष फाइनेंस बिल के माध्यम से हम इनकम टैक्स के बीसियों प्रावधान बदलते हैं। वह मनी बिल होता है इसलिए जब हम उसे बदलते हैं तो उसे बदलने के बाद ही फाइनेंस बिल ही अपने आप में रहता है। आपने कहा

कि मनी बिल की परिभाषा में नहीं आता है। यह कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन और विनियमन और इसके किसी भी अन्य प्रासंगिक उद्देश्य के लिए एक विधेयक है। आप पर पहली बार टैक्स लगाया गया है। मैंने पहले फिगर्स बताई थीं। मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो कम्प्लायेंस विंडो के तहत टैक्स देंगे, उन्हें 30 प्लस 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा और जो कम्प्लायेंस विंडो के तहत टैक्स नहीं भरेंगे और बाद में पकड़े जाएंगे, उन्हें 30 प्लस 90 यानी टोटल 120 परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, मैंने पहले 30 परसेंट प्लस 120 परसेंट कहा था, लेकिन 30 प्लस 90 यानी टोटल 120 परसेंट है और इसके साथ-साथ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होगा। यह कानून केवल टैक्सेशन लॉ है। एक कराधान कानून भारत के बाहर रखी जा रही जो कि अघोषित आय पर कर लगाता है। पहली बार, कर लगाया जा रहा है। इसलिए, एक अनुपालन विंडो है और एक बार अनुपालन विंडो बंद होने के बाद, जुर्माना और अभियोजन अधिक कठोर होगा। बाकी जितने इसके प्रोविजन्स हैं, वे सारे इंसिडेंटल हैं। मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ जैसा कि दीपेन्द्र जी ने कहा कि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। आप आर्टिकल 110 पढ़िए। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया होता है कि वह लोक सभा में इंट्रोड्यूस होगा। लोक सभा में पारित होगा, उसके बाद राज्य सभा में जाएगा और राज्य सभा में वोटिंग नहीं होगी। यह विधेयक लोक सभा में सुझाव के साथ या बिना किसी सुझाव के वापस किया जाएगा। तो, शीर्षक 'धन विधेयक' है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 विधेयकों की सहमति पर है। जैसा कि दीपेन्द्र जी ने आर्टिकल 117 की बात कही है, आर्टिकल 117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है। शायद, आप इस धारणा के अधीन हैं कि - क्योंकि अब उपयोग किए जा रहे शब्द वित्तीय विधेयक हैं - वित्तीय विधेयक को धन विधेयक के विपरीत के रूप में देखा जाता है, तो दोनों अलग-अलग हो जाते हैं।

[अनुवाद]

अब, पदार्थ को पढ़ें। सीमांत नोट या शीर्षक इसे नहीं बदलता है। यह विनिमेय है क्योंकि भाषा कहती है:

"अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के लिए कोई उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिशों के अतिरिक्त प्रस्तुत या पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।"

[हिन्दी]

आर्टिकल 110 में जो बिल है।...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) :** माननीय वित्तमंत्री जी, आज सदन को केवल इतना पता चल जाए कि ब्लैक मनी हिन्दुस्तान में कितनी है और विदेश में कितनी है? कई बार इस पर बहस हो चुकी है, कई बात प्रश्न उठ चुके हैं। ...(व्यवधान) अभी तक आप इतने देशों में गए हैं...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री मुलायम सिंह यादव जी, आप जब बोलेंगे, तब इसके बारे में कहिए।

... (व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** इतना पता चल जाए कि हिन्दुस्तान में कितनी ब्लैक मनी है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री मुलायम सिंह यादव जी, प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री अरुण जेटली:** श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, अनुच्छेद 117 के तहत, जिसे लेख के शरीर में वित्तीय विधेयक के रूप में संदर्भित किया जाता है, वास्तव में, यह अनुच्छेद 110 को संदर्भित करता है। तो, यह स्वयं एक धन विधेयक है। यह केवल एक प्रक्रिया निर्धारित करता है कि धन विधेयक पेश करने से पहले, इसे परिचय से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी। एक सामान्य विधेयक पारित होने के बाद इसकी आवश्यकता

होती है। इसमें पहले भी एसेन्ट चाहिए होगी और बाद में भी चाहिए होगी। दूसरी बात यह है कि, इसे केवल लोक सभा में पेश किया जाएगा, न कि राज्य सभा में। दोनों सदनों में कोई अन्य विधेयक पेश किया जा सकता है। इसलिए, अनुच्छेद 117 केवल अनुच्छेद 110 के तहत विधेयकों के संबंध में एक प्रक्रिया है जिसे केवल लोक सभा में पेश किया जाना है। ये विधेयकों की दो अलग श्रेणियां नहीं हैं - धन विधेयक और वित्तीय विधेयक।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वें हार मान रहें हैं। आप लोग चुप रहिए, आपको रूल्स नहीं मालूम हैं।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** महोदया, एक और महत्वपूर्ण अंतर है। आप सही हैं कि धन विधेयक की तरह, वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोक सभा में पेश किए जा सकते हैं। लेकिन, हालांकि, धन विधेयक के संबंध में अन्य प्रतिबंध इस श्रेणी के विधेयकों पर लागू नहीं होते हैं, अर्थात्, संविधान की धारा 117 (1) के तहत वित्तीय विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजे जा सकते हैं। यही कारण है कि, संविधान निर्माताओं ने इस विशेष अनुच्छेद के लिए प्रावधान किया क्योंकि इस अनुच्छेद में वे कहते हैं कि वित्त विधेयकों के मामले में, धन विधेयकों की तरह, उनके पास करों से निपटने के प्रावधान होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन, करों के साथ-साथ, यदि करों के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, तो उस विशेष विधेयक को उच्च स्तर की विधायी जांच प्रदान करनी होगी। यही कारण है कि, इस विशेष खंड को लेख में पेश किया गया था। यही मेरा तर्क है। आप तर्क दे सकते हैं कि यह एक धन विधेयक है। आप सही हो सकते हैं क्योंकि यह एक धन विधेयक है। लेकिन, एक वित्तीय विधेयक अनिवार्य रूप से उस अर्थ में धन विधेयक की एक उप-धारा है। लेकिन इसमें इसे संयुक्त समिति में भेजने का प्रतिबंध या क्षमता नहीं है। तो, केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

**श्री अरुण जेटली:** एक बार जब हम स्पष्ट हो जाते हैं, तो यह कानून भारत के बाहर रखी गई अघोषित आय पर कर लगाने के लिए ही एक कानून है। नया टैक्स होने के कारण अनुपालन का मौका दिया जा रहा है। जो लोग अवसर चूक जाएंगे उनके लिए दंडात्मक प्रावधान और मुकदमा चलाया जाएगा। संक्षेप में यही विधेयक है। जो लोग बाहर रहते हैं और उसका लाभ नहीं उठाते हैं और अंततः उन्हें दंडित किया जाता है, जो श्री मुलायम

सिंह यादव जी कह रहे थे कि उनके जो भारत में एसेट्स हैं, फिर वह रिकवरी उनके अगेन्स्ट भी हो सकती है, यह भी इसमें प्रावधान है। आर्टिकल 117 में केवल स्पेशल प्रॉविजन है कि राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। अब प्रश्न आया कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं भेजना चाहिए।

महोदया, इसे स्थायी समिति में नहीं जाना चाहिए, इसके तीन अच्छे कारण हैं। आप पहले ही इस पर निर्णय दे चुके हैं। लेकिन मैं इसे स्पष्ट कर दूँ क्योंकि श्री महताब जी ने इसे उठाया है। अवैध संपत्तियों का पलायन बहुत तेज है। आज आपको भौतिक रूप से एक देश से दूसरे देश तक पैसा ले जाने की जरूरत नहीं है। केवल अपने लैपटॉप या हथेली पर हाथ रखकर बैठने से कुछ ही मिनटों 120 या 150 देशों में पैसा आ सकता है। इसलिए पूंजी का पलायन होता है। यह इस देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और हमें इस पलायन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

एक बार जब हमने यह विधेयक पेश कर दिया, तो यदि आप लोगों को महीनों और वर्षों का समय देंगे कि फलां कानून आने वाला है, तो हम केवल पूंजी के पलायन और अज्ञात स्थानों की ओर उड़ान भरने की सुविधा ही प्रदान करेंगे।

दूसरे, चालू वर्ष के भीतर कराधान खोने का खतरा भी बना रहेगा, और क्योंकि कर हमेशा उसी वर्ष के लिए लागू किए जाते हैं, यही कारण है कि हमारे यहां यह परंपरा है कि धन विधेयकों को हम आम तौर पर स्थायी समिति के पास नहीं भेजते हैं। तीसरा कारण है। चूँकि हम सब एक स्वर में बोल रहे हैं और दूसरी तरफ़ बैठे मेरे मित्र भी हमें ताना मारने में लगे हैं कि हम क्या कदम उठा रहे हैं; जब हम कदम उठाएँ तो कृपया घबराएँ नहीं। फिर आपको खड़े होकर उन कदमों का समर्थन करना चाहिए। पिछले 11 महीनों से, आप बहुत साहसपूर्वक कह रहे हैं, आप कदम क्यों नहीं उठाते हैं? हमने कदम उठाए हैं। कृपया अब क्रियान्वयन की बात करना शुरू करें और उन कदमों का समर्थन करें, बल्कि उन्हें स्थायी समिति को संदर्भित करने की तकनीकी बातों में न जाएं।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं अंत में कहना चाहूँगा कि मैं इस विधेयक को माननीय सदन की स्वीकृति हेतु  
अनुशंसित करता हूँ

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :** क्या मुझे बोलने का राइट नहीं है...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपकी साइड से दीपेन्द्र जी बोल रहे हैं, आप बाद में स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** जेटली जी अगर थोड़ा ध्यान दें तो मैं उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहूंगा। उन्होंने इस बिल के बारे में कहा कि हमारा कोई इंटेरेस्ट नहीं है, सिर्फ उन्हीं का है, क्योंकि वह लोगों के हित में इसे लाना चाहते हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** ऐसा नहीं है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** यह असत्य बात है, सभी को इंटेरेस्ट है, सभी लोग इस बात से सहमत हैं। लेकिन जो प्रोसिजर आप एडॉप्ट कर रहे हैं इस बिल को पास कराने का, उस प्रोसिजर के बारे में चर्चा चल रही है, उसके मैरिट या डीमैरिट पर नहीं है। प्रोसिजर पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का जो मुद्दा उठाया था, उसके बारे में आपको कहना चाहिए। मैडम, इसके बावजूद भी आपको आधिकार है, आर्टिकल 110 (सी) में आपको पूरी पावर है कि इस बिल को मनी बिल कंवर्ट किया जाए या नहीं, आप खुद ही कह सकती हैं। इसमें इतनी बड़ी वकालत करने की जरूरत नहीं है।

**माननीय अध्यक्ष:** मैंने रूलिंग दे दी है। अभी श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बोलेंगे।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, हमने आर्ग्यु किया कि यह बिल फाइनेंशियल बिल की केटेगरी में आ सकता था। सरकार की तरफ से जवाब आया और आपने उस पर अपनी तरफ से रूलिंग दी। हम पर वह रूलिंग बाध्य है और हम उसे स्वीकार करते हैं।

इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। समर्थन इसीलिए कि हम नहीं चाहते कि कल को सरकार यह कहे कि लोगों के 15 लाख कालेधन के और सरकार के बीच में विपक्ष खड़ा है। मगर हम समर्थन करने के साथ-साथ सरकार को जरूर सचेत करना चाहते हैं और इस बिल को लेकर हमारे कुछ संशय हैं।

[अनुवाद]

सबसे पहले, हमें नहीं लगता है कि यह विधेयक देश में पर्याप्त काला धन वापस पाने के लिए पर्याप्त प्रभावी होने जा रहा है, जैसा कि वादा किया गया है। यह इस विधेयक के बारे में हमारा पहला भय है। दूसरे, इसमें यह कोई भी प्रावधान नहीं है कि हम वापस लाए गए काले धन को सुनिश्चित करें कि वास्तव में इसे भारत में नागरिकों के खातों में भेजा जाता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा था। तीसरा, हमें डर है कि इस विधेयक से हमारे देश के कई करदाताओं, कानून का पालन करने वाले निर्दोष निवासियों और नागरिकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं अपने विचार-विमर्श के दौरान इनमें से प्रत्येक मुद्दे, इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बात करूंगा।

6 नवंबर, 2014 को राज्य सभा में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमें काले धन को एन.डी.ए. बनाम यू.पी.ए. का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वास्तव में, उन्होंने सभा में उस भाषण को जारी रखा जब हमने हाल ही में जी.एस.टी. पर बहस की थी और उस समय उन्होंने सभा से दलगत लाइनों से ऊपर उठने और संघ में जी.एस.टी. का समर्थन करने का अनुरोध किया था। अब, मुझे यह पूछने दें। जब वह हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं, तो राजनीति कौन कर रहा है? किस पार्टी ने जी.एस.टी. का विरोध किया था जब वे विपक्ष में थे और अब वे इसका समर्थन कर रहे हैं? विपक्ष में रहते हुए किस दल ने असैन्य परमाणु समझौते का

विरोध किया और अब वे इसका समर्थन कर रहे हैं? किस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए बीमा में एफ.डी.आई. का विरोध किया और अब वे इसका समर्थन कर रहे हैं? वास्तव में, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने जिस एक विधेयक का समर्थन किया वह था भूमि अधिग्रहण विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक का हमारा संस्करण और अब वे अपना स्वयं का संस्करण ला रहे हैं और हमारे संस्करण का विरोध कर रहे हैं। इसलिए, उनका तर्क यह प्रतीत होता है कि आप राजनीतिक लाइनों से ऊपर उठते हैं, आप आंशिक लाइनों से ऊपर उठते हैं और हमारे विधेयकों का समर्थन करते हैं, जबकि हम राजनीतिक अवसरवाद और अंक प्राप्त करने में डूबने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। इसे एन.डी.ए बनाम यू.पी.ए मुद्दा किसने बनाया?

[हिन्दी]

इसमें कोई संशय और संदेह नहीं होना चाहिए। पूरे देश में और पूरी दुनिया में काले धन को लेकर सब के दिमाग में बहुत चिंता है। यह एक बड़ा मुद्दा है। हम भी चाहते हैं और सारा देश चाहता है कि काला धन वापस आए। मगर इस इश्यू पर वित्त मंत्री जी से जब राज्य सभा में पूछा गया कि 15 लाख रुपये का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसे यूपीए और एनडीए के विषय के रूप में न देखा जाए। मगर इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे का रूप किसने दिया? लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हुए हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, मार्च 31, 2009 को खारियार, ओडिशा में पिछले आम चुनाव के समय में कहा कि उनकी जानकारी के हिसाब से 25 लाख करोड़ रुपये का काला धन विदेशों में जमा है। अगर वह वापस आ गया तो चार करोड़ रुपये हर गांव के बांटे में आएगा। यह वर्ष 2009 के चुनावों से पहले कहा गया था। उसके बाद आडवाणी जी की 38 दिन की जनचेतना यात्रा हुई। वर्ष 2011 में इसी लोक सभा में एडजर्नमेंट मोशन भी आया। एडजर्नमेंट मोशन में आडवाणी जी की बात हमने सुनी और प्रणब मुखर्जी जी का भी जवाब हम लोगों ने उसमें सुना। बीजेपी ने एक टास्क फोर्स बनायी, जिसमें गुरुमूर्ति जी, आजित डोवल जी, जो आजकल हमारे एनएसए हैं, वे उसमें सदस्य थे और श्री महेश जेठमलानी ने काले धन का एस्टीमेट लगाया और कहा- अब मामला सुलझा लिया गया है। विदेशों में काले धन की राशि रु.30 लाख करोड़ और यह एक निश्चित संख्या है। उन्होंने कहा कि 500 अरब अमेरिकी डॉलर विदेश में काला धन है और यह एक निर्णित मुद्दा है। यह आखिरी फिगर है। मगर वह आखिरी फिगर नहीं थी। उसके बाद भी

इसको बढ़ाया गया। राजनाथ सिंह जी ने 17 अप्रैल, 2013 में लखनऊ में कहा कि डेढ़ सौ दिन में काला दिन वापस आएंगे। बाबा रामदेव जी ने अगस्त माह में कहा कि पांच सौ लाख करोड़ रुपये का काला धन है। आखिर में इन सब बातों का निष्कर्ष मोदी जी ने निकाला और मोदी जी ने कांकेड़ में 7 नवम्बर, 2013 को कहा कि इतना काला धन है कि अगर वापस आ गया तो हर एक के बांटे में 15 से लेकर 20 लाख रुपये आ जाएंगे। यह निष्कर्ष उन्होंने निकाला। मगर कितना काला धन है? पिछले एक वर्ष से इनकी सरकार है। पिछले हफ्ते राज्य सभा में एक ओरल प्रश्न आया, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय से मिला। लेकिन क्या जवाब मिला? आप लोगों ने अलग-अलग फिगर्स दिए कि इतने-इतने लाख करोड़ रुपये का काला धन है। लेकिन पिछले एक वर्ष की सरकार की तरफ से जवाब आया- "देश में उत्पन्न काले धन की राशि के बारे में कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है।" यह एक लिखित कथन है। पिछले हफ्ते 5 मई, 2015 को राज्य सभा में वित्त मंत्रालय की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि अभी इसका कोई अनुमान नहीं है। उसके साथ-साथ तीन गवर्नमेंट की एजेंसीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से रिपोर्ट आयी कि इन एजेंसीज को जो कि गवर्नमेंट के थिंग टैंक्स हैं, उनको वर्ष 2012 से लगाया गया है यानी यूपीए ने लगाया था। यह जवाब आपकी सरकार ने दिया है कि वर्ष 2012 से तीन थिंग टैंक्स को काला धन का आकलन करने के लिए लगाया गया है। इनकी रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट को सरकार दिखवा रही है। उसको दिखवाने की क्या जरूरत है? मैं अपने दल की तरफ से मांग करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने वर्ष से कभी 25 लाख करोड़ रुपये कहा, कभी 30 लाख करोड़ रुपये कहा, कभी पांच सौ लाख करोड़ रुपये कहा, कभी 15 लाख रुपये हर आदमी के बांटे में आ जाएंगे, यह कहा, कभी यह कहा कि चार करोड़ रुपये हर गांव के बांटे में आ जाएंगे। आज आपके पास रिपोर्ट आ गयी है जिस जानकारी को लेने की शुरुआत हमने की थी, वह सरकारी आंकड़ा आपके पास आ गया है। आप उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कीजिए, उसको दिखवाने की क्या बात है। उसको सार्वजनिक करने की मांग आज हम आपसे करना चाहते हैं। जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मुझे इस विशेष विधेयक का विस्तार से विश्लेषण करने में थोड़ा समय लगाने दीजिए।

[अनुवाद]

मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। इस विधेयक का मूल उद्देश्य उन सभी लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करना है जिनके पास काला धन है, उन सभी लोगों पर जिनके पास काला धन पाया गया है। लेकिन, यह प्रश्न उठता है कि यह 1961 के आयकर अधिनियम से किस तरह अलग है। वित्त मंत्री जी ने अभी-अभी बताया कि इस विधेयक में पहली बार इतनी सारी चीजें हो रही हैं। क्या ऐसा है? अगर हम इस विधेयक को हर खंड में देखें, तो यह वास्तव में आयकर अधिनियम से कुछ मायनों में बहुत अलग नहीं है। अगर मैं कहीं गलत हूँ, तो कृपया मुझे सुधारें। आयकर अधिनियम 1961 के तहत पहले से ही भारतीय निवासियों को अपनी वैश्विक आय का खुलासा करना आवश्यक है। उन्हें अपनी भारतीय आय के साथ-साथ विदेशी आय का भी खुलासा करना होगा - यह पहले से ही कानून में है - और उस पर उचित कर का भुगतान करना होगा। यह पहला मुद्दा है। कर की दर दोनों श्रेणियों, घरेलू और विदेशी आय के लिए समान है; यह 30 प्रतिशत है। इस विधेयक में 30 प्रतिशत कर का प्रस्ताव भी है; इसलिए कोई अंतर नहीं है। विदेशी परिसंपत्तियों के अनिवार्य प्रकटीकरण की आवश्यकता, जैसा कि विदेशी बैंकों के खातों आदि में है, वर्ष 2013 से आयकर विवरणी में जोड़ा गया है। पहले से ही, आयकर में, पिछले दो-तीन वर्षों से, यू.पी.ए. व्यवस्था के तहत, इसे जोड़ा गया था। आपको पहले से ही अपने विदेशी बैंक खातों का खुलासा करना होगा। तो, उस प्रावधान में भी कुछ नया नहीं है।

अब, इस विधेयक पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के बारे में क्या कहा जाए डिया इसे एक नई और क्रांतिकारी पहल के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मैं इस सदन को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि कर योग्य आय को, चाहे वह देशीय हो या विदेशी, छिपाना पहले से ही हमारे कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति कर योग्य आय को छिपाता है, तो उस पर चुराए गए कर का 300 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। और यदि यह राशि 25 लाख रुपए से अधिक है, तो सात वर्षों तक की कठोर कारावास की सजा का भी प्रावधान पहले से मौजूद है — जैसा कि स्वयं माननीय वित्त मंत्री जी ने भी उल्लेख किया। इस विधेयक का उद्देश्य केवल इस सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करना है। मैं उनकी बात से

सहमत हूं। यह अपराधों को गैर-संचारी बनाने का भी प्रावधान करता है। मैं भी इससे सहमत हूं। ये दो छोटी-छोटी बातें हैं जो इस विधेयक में की गई हैं।

जबकि कानून वर्ष 1975 से क्रम में हैं और फिर भी हम काले धन की मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। यदि काले धन से निपटने में काला धन रखने वालों को सात वर्ष का सश्रम कारावास नहीं दे पाया तो दस वर्ष की सजा कैसे उनको रोकेगी? यह एक प्रश्न है जो आपको पूछना चाहिए।

इस विधेयक का दूसरा प्रावधान धन शोधन निवारण अधिनियम और फेमा से संबंधित है। दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, पहला, धन शोधन अधिनियम के तहत विदेशी आय को छुपाने को एक पूर्वानुमानित अपराध बनाया जाएगा और दूसरा, फेमा में संशोधन किया जाएगा। मूल रूप से, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम और फेमा की रोकथाम में ये दो संशोधन कर अधिकारियों को विदेशी संपत्ति के साथ-साथ घरेलू संपत्ति को कुर्क करने की शक्तियां देंगे। फिर से, मैं कहूंगा, आयकर अधिनियम किसी व्यक्ति की भारतीय संपत्ति को कुर्क करने की व्यापक शक्तियां भी प्रदान करता है। अब, आप अतिरिक्त रूप से विदेशी परिसंपत्तियों को कुर्क कर पाएंगे। वह शक्ति इस विधेयक में दी जा रही है। लेकिन, कुल मिलाकर आपने जो किया है, आपने आयकर अधिनियम के प्रासंगिक भागों को लिया है, जो पहले से ही कानूनों में हैं, और शान शोधन अधिनियम को लिया है; आपने उन्हें एक साथ रखा है और आप उन्हें एक नई चीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे आप लाने जा रहे हैं।

इस विधेयक का एक और पहलू है जिसे मैं विशेष रूप से उजागर करना चाहूंगा, और वह यह है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। वह माफी के बारे में है। यह एक वर्ष की अवधि का पहलू है। आप इसे माफी नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह एक वर्ष की अवधि है जिसमें कर 60 प्रतिशत है। हम सभी भारत में क्षमा योजनाओं के इतिहास को जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद, वर्ष 1949 से वर्ष 1997 तक 12 क्षमा योजनाएँ आयोजित हुई हैं, महोदया, आपको याद होगा जब लोक सभा में थीं, तब 'स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना' लाई गई थी। इसे कर अधिकारियों द्वारा अंतिम अवसर के रूप में सराहा गया था और यह संयोग से सबसे सफल भी थी जैसा कि आयकर विभाग ने दावा किया था। उस योजना में, लगभग 4,50,000 प्रकटीकरण या घोषणाएं हुई थीं। केवल 0.4 प्रतिशत लोग उस वर्ग में आते हैं जिनकी आय 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक है। तो, वास्तव में

क्या हुआ? बाद में कैंग जनरल ने इस पर गौर किया क्योंकि भाजपा का मानना है कि सी.ए.जी. के सभी प्रतिवेदन पूरी तरह पवित्र होती हैं। इसलिए, उन्हें इसे सुनना चाहिए। सी.ए.जी. ने वी.आई.डी.एस. को देखा 1997 जो आखिरी क्षमा योजना थी। सी.ए.जी. ने निष्कर्ष निकाला कि उस योजना का पूरी तरह से बेनामी नामों से घोषणाएँ करने के लिए दुरुपयोग किया गया था। मैं सी.ए.जी. प्रतिवेदन से उद्धृत कर रहा हूँ।

अब, आपने आयकर अधिनियम और धन शोधन अधिनियम से कुछ कानून हटा दिए हैं, उन्हें एक कानून में एक साथ रखा है और क्षमा के एक खंड पर जोर दिया है। आप इसे कैसे रोकेंगे? मैं वित्त मंत्रालय को चेतावनी देना चाहूंगा और उन्हें इस प्रावधान के किसी भी दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने चाहिए।

एक बहुत गंभीर चिंता है, जिसे मैंने हाल ही में माननीय वित्त मंत्री जी के साथ भी साझा किया है। वह चिंता 'निर्धारती' की परिभाषा से संबंधित है। अब जो होने जा रहा है वह यह है कि आपने आयकर अधिनियम की धारा 3, खंड 6 के अनुसार गैर-निवासियों को छोड़कर सभी भारतीय निवासियों को 'निर्धारती' के रूप में परिभाषित किया है। मूल रूप से, इसका क्या मतलब है कि:

"[(6) किसी व्यक्ति को किसी भी पूर्व वर्ष में भारत में "सामान्यतः निवासी नहीं" कहा जाता है यदि ऐसा व्यक्ति है -

(क) ऐसा व्यक्ति जो पिछले दस वर्षों में से नौ वर्षों में भारत में अनिवासी रहा है..."

वास्तव में इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो या तो विदेश में पढ़ने वाला भारतीय छात्र है, जो पिछले आठ वर्षों में विदेश गया है, या कामकाजी पेशेवर है- मुझे पता है कि वित्त राज्य मंत्री जी स्वयं कई वर्षों से विदेश में रह रहे हैं, इसलिए वे उनमें से कुछ छात्रों से जुड़ेंगे - जब वे विदेश जाते हैं, तो उन्हें अपना खाता खोलना पड़ता है। वे कुछ संपत्ति प्राप्त करते हैं। अब, उन्हें हर वर्ष भारत में अपना आयकर विवरणी दाखिल

करना होगी। उन्हें अपनी संपत्तियों की घोषणा करनी होगी, कर के पत्र रखने होंगे, वेतन का हिसाब रखना होगा और कर अधिकारियों को उचित हिसाब देना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर, वे अभियोजन और दस वर्षों के कारावास सहित भारी दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं। मेरा दिल उन लोगों के लिए दुखी है जो मैडिसन स्क्वायर पर मोदी, मोदी का नारा लगा रहे थे। कल्पना करिए, मैडिसन स्क्वेयर में एक व्यक्ति था जो 'मोदी, मोदी' के नारे लगा रहा था और वह भारत लौटना चाहता है, या कोई एन.आर.आई. देशभक्ति में आकर भारत लौटना चाहता है, तो अब, आपकी कानून के अनुसार, उसे सब अपनी संपत्तियों और सभी चीजों की घोषणा करनी होगी। इतना ही नहीं, वर्तमान विधेयक की धारा 2 (11) में कहा गया है कि विदेशी परिसंपत्ति, भले ही आयकर विवरणी में प्रकट की गई हो, कर अधिकारी द्वारा अप्रकटित विदेशी संपत्ति के रूप में माना जाएगा यदि वह उस निर्धारिती द्वारा प्रदान किए गए उस निर्धारण के निवेश के स्रोत से संतुष्ट नहीं है। इतना ही नहीं, यदि कर अधिकारी जुर्माना लगाता है, तो निर्धारिती के पास स्थगन की मांग करने का कोई प्रावधान नहीं है और उसे राशि का भुगतान करना होगा। इसलिए, मूल रूप से, यह कर अधिकारियों को उन भारतीय छात्रों को परेशान करने के लिए बेलगाम शक्तियां देता है जो विदेशों में पढ़ने गए हैं और जो भारतीय पेशेवर विदेशों में काम कर रहे हैं और पिछले आठ वर्षों से वहां रुके हुए हैं। यदि कोई एन.आर.आई. वापस आता है, तो उसे अर्जित की गई सभी परिसंपत्तियों का उचित धन ट्रेल प्रदान करना होगा। यदि कर अधिकारियों द्वारा पेपर ट्रेल को ठीक से सत्यापित नहीं किया जाता है, तो कल्पना करें, उस एन.आर.आई. का क्या होगा? इसलिए, सरकार को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो मोदी, मोदी जप कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि वे इस विधेयक को सही भावना से नहीं लेंगे।

इसके अलावा, एफ.ए.टी.सी.ए. से सबक सीखा जा सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने एक भाषण में एफ.ए.टी.सी.ए. के बारे में बात की थी। मैं आपके कुछ भाषण पढ़ रहा था। एफ.ए.टी.सी.ए. एक समान कानून है जिसे संयुक्त राज्य ने दो वर्ष पहले अधिनियमित किया था। लेकिन यह कुछ मूर्तियों जैसे वित्तीय संस्थानों में थोड़ा अधिक कठोर है क्योंकि यह उन पर 30 प्रतिशत कर लगाता है। हमने वह नहीं किया है। मुझे लगता है, हमें ऐसा करने पर विचार करना चाहिए। एफ.ए.टी.सी.ए. की एक सबसे बड़ी कमी थी, जिसने पिछले वर्ष संयुक्त

राज्यों को परेशान किया है, मैं इस सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में विदेश में रहने वाले अधिकतम अमेरिकी नागरिकों ने अपना अमेरिकी पासपोर्ट इसलिए छोड़ा क्योंकि एफ.ए.टी.सी.ए. को ताया गया था।

अब, हमने उन्हीं कुछ प्रावधानों को आयात किया है। हमारे यहां बहुत बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी हैं। मैंने विदेश में भी अध्ययन किया है; इसलिए, मैं उनके बारे में स्वतंत्र रूप से बात कर सकता हूँ। अब, हम नहीं चाहते कि हमारे छात्र, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में विदेश में पढ़ रहे हैं, वापस आएँ या हम अनिवासी भारतीय के लिए दरवाजे बंद नहीं करना चाहते हैं, जो वहां अपना जीवन त्याग कर वापस आकर भारत के लिए योगदान देना चाहते हैं।

महोदया, दो चीजें हैं जिनका सबसे अधिक समाधान करने की आवश्यकता थी, यदि वे काले धन को प्राप्त करने के बारे में गंभीर हैं। ये बातें (1) विभिन्न देशों से जानकारी प्राप्त करने से संबंधित हैं, जैसा कि वित्त मंत्री जी जानते हैं; और (2) साक्ष्य सुरक्षित करने से संबंधित हैं। सही जानकारी प्राप्त किए बिना और साक्ष्य को सुरक्षित किए बिना, वे बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल बचाव बढ़ाने और 10 वर्ष की कैद आदि का खतरा बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले, उन्हें जानकारी प्राप्त करनी होगी।

महोदया, कुछ वर्ष पहले, जानकारी प्राप्त करने के लिए, एकमात्र सिद्धांत जो काम करता था, वह 'दोहरे अपराध का सिद्धांत' था। अगर दूसरा देश भी यह सोचता है कि वह अपराधिक धन - मादक पदार्थ व्यापार या आतंकी धन है, और भारत भी ऐसा सोचता है, तो हम जानकारी आपस में आदान-प्रदान कर सकते हैं। हाल ही में पिछले सात से आठ वर्षों में, काले धन की चिंता पर, हमने दुनिया भर में एक नई व्यवस्था विकसित होती देखी है, जो कर संधियों पर आधारित कर सूचना का आदान-प्रदान है। अब, कर संधियों में संशोधन किया गया है। नई कर संधियाँ आई हैं। यहां तक कि दोहरे कराधान परिहार समझौतों (डी.टी.ए.ए.) पर भी बातचीत की गई है जो हमारे पास विभिन्न देशों के साथ हैं। एक नया खंड जोड़ा गया है, जिसे खंड 28 के रूप में जाना जाता है, जो हमें इन देशों से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। स्विट्जरलैंड से हमें जो सूची मिली या लिकटेंस्टीन से जो सूची मिली, उन नए दोहरे कराधान परिहार समझौतों का परिणाम थी, जिनमें वह खंड

शामिल था, जो हमें सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। नए कर सूचना विनिमय समझौते भी तैयार किए गए हैं। यह नया प्रोटोकॉल है। यह अनुरोध पर आधारित है। हम अनुरोध करते हैं और हम कुछ सबूत प्रदान करते हैं, तो वे हमें जानकारी देते हैं।

मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा, और मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे राष्ट्र को यह सच बताएं कि 130 कर संधियों में से, जिनके तहत हमें जानकारी प्राप्त करने जक अधिकार है, उनमें से 103 पर यू.पी.ए. के समय में बातचीत हुई थी। वही हम कर रहे थे। भारत के पास आज 130 कर संधियाँ हैं; इनमें से 103 की नेगोशिएशन यू.पी.ए. द्वारा की गई थी; सत्रह कर संधियाँ ऐसी थीं जिनकी नेगोशिएशन यू.पी.ए. से पहले हुई थी या जो पहले से मौजूद थीं.. मुझे माननीय मंत्री जी से पूछना चाहिए कि वे देशों के साथ कितनी कर संधियों पर बातचीत कर पाए हैं। हमने स्विट्जरलैंड और बहामास के साथ कर संधि नेगोशिएट की है। हम सभी टैक्स हेवेन्स पर कार्रवाई कर पाए। लेकिन दुनिया भर में कितनी कर संधियाँ हैं जिन पर वे बातचीत करने में सक्षम हैं? यह जानकारी हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है।

महोदया, अब, भविष्य में देखते हुए, सूचना का अगला चरण स्वचालित सूचना विनिमय है। फिलहाल, हमें एक अनुरोध करना होगा और सबूत देना होगा। भविष्य में, वर्ष 2017 से शुरू होकर, दुनिया एक ऐसी व्यवस्था देखना चाहती है जिसमें स्वचालित रूप से, देश कुछ जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे। इसके लिए, मैं सदन को यह भी बता दूँ कि उस समय यू.पी.ए. सरकार के साथ भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम वर्ष 2012 में कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय सम्मेलन के पहले हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक बन गए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, महोदया। इस सम्मेलन को ओ.ई.सी.डी. और जी20 दोनों द्वारा समर्थित किया जा रहा है। हम पहले देश थे, जिन्होंने वर्ष 2010 में कान में जी-20 में आवाज उठाई थी, जब डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था:

"जी20 देशों को कर चोरी या कर धोखाधड़ी के लिए अतीत या वर्तमान जैसे कृत्रिम अंतरों के बावजूद एक-दूसरे के साथ कर संबंधी जानकारी के स्वचालित आदान-प्रदान के लिए सहमत होने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि बैंक गोपनीयता का युग समाप्त हो गया है।"

यही बात डॉ. मनमोहन सिंह ने कही। यही हमारी प्रतिबद्धता थी। यही वह जगह है जहाँ वे दुनिया का नेतृत्व करते थे; और हमने यू.पी.ए. के समय दुनिया का नेतृत्व किया था। यू.पी.ए. के समय, भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा था; और इसे उस दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने के रूप में मान्यता दी गई थी।

जहां तक कर की जानकारी प्राप्त करने, साक्ष्य हासिल करने और जांच का संबंध है, वर्तमान सरकार ने क्या किया है? हमने सी.बी.डी.टी. में आपराधिक जांच निदेशालय बनाया। यह वर्ष 2012 में यू.पी.ए.-2 द्वारा किया गया था। हमने निदेशालय बनाया। लेकिन इन्होंने क्या किया है? यदि मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक...<sup>14\*</sup> ने 1 मई को माननीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में क्या कहा? महोदया, 1 मई को प्रवर्तन दिवस है।

**माननीय अध्यक्ष:** उन व्यक्तियों के नाम न लें, जो यहां नहीं हैं।

**श्री दीपेंद्र सिंह हुडा:** महोदया, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि इस एजेंसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस विशेष अधिनियम से निपटने तथा काले धन की जांच के मामलों से निपटने के लिए जिम्मेदार एजेंसी में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं तथा पिछले वर्ष के दौरान स्टाफ सदस्यों की संख्या में भारी गिरावट आई है

तो, एक ओर आप हमें काला धन वापस लाने का वादा दे रहे हैं और दूसरी ओर, ई.डी. में कर्मचारियों की भारी गिरावट है। ई.डी. आपसे कुछ कर्मचारी देने की गुहार लगा रहा है ताकि हम मामलों की जांच कर सकें।

<sup>14\*</sup> कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अंत में, बी.जे.पी. के पास इस विधेयक को लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब, वे इस विधेयक को वर्ष 2012 के बहुपक्षीय सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में समर्थन दे रहे हैं।

महोदया, बहुपक्षीय सम्मेलन पर वर्ष 2012 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह यू.पी.ए. समय के दौरान हस्ताक्षर किया गया था। बहुपक्षीय सम्मेलन मूल रूप से आवश्यक है, जैसा कि ओ.ई.सी.डी. अधिकारी कहते हैं, कर जानकारी के स्वचालित आदान-प्रदान की प्रभावशीलता तभी आएगी जब मानक को घरेलू कानूनों में अनुवादित किया जाएगा। इसके लिए, सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को वर्ष 2017 की समय सीमा से चिपके रहने के लिए समान घरेलू कानूनों का पालन करना होगा और लाना होगा। बहुपक्षीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर करके, हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वादा किया कि हम एक घरेलू कानून लाएंगे। इसलिए, आपको यह विधेयक लाना होगा। यह एक विधेयक था जिस पर यू.पी.ए. ने हस्ताक्षर किए थे। भारत ने इसे वर्ष 2012 में हस्ताक्षरित किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक वादा किया। आपके पास यह विधेयक लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आपने क्या किया? यह एक चूका हुआ अवसर है क्योंकि आपने कुछ प्रावधान आयकर अधिनियम से, कुछ प्रावधान धन क्षोदन निवारण अधिनियम से और कुछ प्रावधान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा से ले लिए थे। आपने उन्हें एक साथ मिलाकर एक नए विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आपने इस विधेयक पर मुहर लगाने के लिए सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया जैसे कि यह एक नया कानून है। हम आपको चेतावनी देते हैं कि यह विधेयक देश के लिए कोई लाभकारी परिणाम नहीं देगा और इससे हमें काला धन वापस लाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। यह केवल कठिनाइयों को बढ़ाएगा। आपने जो किया है वह दुनिया के संदेहहीन, कानून का पालन करने वाले, कर देने वाले नागरिकों के लिए कठिनाइयों को बढ़ाने वाला है।

[हिन्दी]

मैडम, आखिर में कांकलूड करते समय मैं कहूंगा कि आज हम इस बिल के समर्थन में खड़े हुए हैं। ...

<sup>15\*</sup> ने एक टी.वी इंटरव्यू में कहा कि वह जुमला था।

<sup>15\*</sup> कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**माननीय अध्यक्ष :** आप सबके नाम ले रहे हैं, यह ठीक नहीं है और वे लोग यहां पर प्रेजेंट नहीं हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** आपको नामों के उल्लेख से बचना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :** मैडम, इसे एक्सपंज कर दीजिए। ... (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि जुमला था। ... (व्यवधान) मैडम, दिमाग तो कहता है कि वह ठीक कह रहे थे, मगर दिल कहता है कि मोदी जी ठीक कह रहे थे। वह जुमला नहीं था, वह मोदी जी की जुबान थी। 15 लाख आएं, ऐसा दिमाग कहता है, लेकिन दिल नहीं मान रहा है। दिमाग तो कह रहा है कि ... <sup>16\*</sup> ने जो कहा कि वह जुमला था, वही ठीक है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** आप फिर से नाम ले रहे हैं। कोई नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं और यदि व्यक्ति सभा का सदस्य नहीं है तो वे नाम अभिलिखित नहीं होने चाहिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :** मैडम, बहुत हो गई मन की बात, अब करिए कुछ धन की बात। ... (व्यवधान) यह कहते हुए, वित्त मंत्री जी को शुभकामनाएं देते हुए कि ये हमारे देश का काला धन वापस लेकर आए। हम सबके खाते में, जो आपने 100 दिन की बात कही थी, हम आपको पांच वर्ष भी देने के लिए तैयार हैं। पांच वर्ष आपको

<sup>16\*</sup> कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जनता ने दिए हैं ...(व्यवधान) काला धन वापस आए, यह कहते हुए हम इस बिल का समर्थन करते हैं  
...(व्यवधान)

**डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) :** अध्यक्ष महोदया, काले धन का स्वागत हो रहा है और हमारे मित्र दीपेन्द्र सिंह जी ने भी कालेधन का स्वागत किया। ... (व्यवधान) कई सालों से करते रहे हैं। पहले ये काले धन का स्वागत करते थे, हम काले धन को वापस लाना प्रारम्भ कर रहे हैं। हमारे मित्र की कमिटमेंट के बारे में, कांग्रेस पार्टी के संबंध में उनके जो भाव हैं, उनके बारे में शंका किसी के मन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी पुरानी यह पार्टी है, उतनी ही पुरानी काले धन की समस्या है। समस्या पुरानी है और भाषण भी पुराने हैं। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा। वर्ष 1946 में पहली बार इसी प्रकार के भाषण हुए थे। फिर वर्ष 1951 में भाषण हुए, फिर वर्ष 1965, 1975, 1985, और 1992 में भाषण हुए, यह चलते ही आ रहा है। यानी काले धन के बारे में और काले धन को वापस लाने के बारे में हर वक्त कांग्रेस के हमारे सहयोगी इसी प्रकार से भाषण करते हैं। वैसे इनका यह स्वभाव है, क्योंकि अभी मुझे याद आया कि 'गरीबी हटाओ' का नारा लगाया, आज भी सदन में और सदन के बाहर गरीबी की बातें की गयीं। पांच-सात दिनों से एक नयी पद्धति शुरू हुयी है कि कहीं जाना, फिर यहां आना, हाथ ऊपर करना, कभी किसान के बारे में, कभी फिशरमैन के बारे में, कभी अमेठी के बारे में, और कभी अमेठी के फूड पार्क के बारे में, नारा देना और चले जाना।

**अपराह्न 03.51 बजे**

**(श्री प्रह्लाद जोशी पीठासीन हुए)**

महोदय, अमेठी फूड पार्क के बारे में मैं एक और जानकारी कल सदन में देने वाला हूँ। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** नहीं, उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

**डॉ. किरीट सोमैया :** वर्ष 1971 से, मुझे याद है, उस समय मैं पढ़ता था तब भी यह नारा लगाया गया था - 'गरीबी हटाओ'। वर्ष 1971 में भी वही 'गरीबी हटाओ' का नारा था, आज भी वही 'गरीबी हटाओ' की बात चल

रही है।...(व्यवधान) फर्क यह है कि तब वरिष्ठ यह कर रहे थे, अब तीसरी पीढ़ी यही बात कर रही है। काला धन बुरा है, काला धन वापस लाओ, ये बातें बहुत सालों से चल रही हैं।

मुझे मार्क ट्वेन का वह किस्सा याद आया है। मार्क ट्वेन कहते थे कि सिगरेट पीना बहुत बुरी आदत है। मैंने अनेक बार सिगरेट पीना छोड़ दिया है। आप समझे। ...(व्यवधान) कई बार मैंने धूम्रपान छोड़ दिया है। कांग्रेस वाले लोगों के भाषण सुन कर, वह हर दो-चार वर्ष में काला धन वापस लाओ की बात करते हैं और आगे चले जाते हैं। वापस नयी लोक सभा आती है, वापस वही भाषण होता है। अब वह अरुण जेटली जी से पूछ रहे हैं कि अभी तक पैसा क्यों नहीं आया है। मैं भी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कभी चाय पिला कर उनसे पूछ लें कि काला धन कहां पर है? वह एक बार बता दें तो वह तुरंत पैसा वापस ले कर आयेंगे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** कृपया आपस में बातचीत न करें।

[हिन्दी]

**डॉ. किरीट सोमैया :** महोदय, एक है नीति और दूसरी है रणनीति, यू.पी.ए. और एन.डी.ए. में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यू.पी.ए. रणनीति में विश्वास करती है, वह वर्ष 1946-47 से काला धन की बात करती आयी है। अब हमारे कांग्रेस के मित्र यह कहते हैं कि आप इसे इसलिए लाये हैं कि हमने इसके लिए कमिटमेन्ट किया था। आप इसे अभी तक क्यों नहीं लाये? एक है रणनीति और दूसरी है नीति। आडवाणी जी ने इस विषय को सबसे पहले इतनी ऊंचाई दी और मोदी सरकार ने शपथ लेने के साथ पहली कैबिनेट की मीटिंग में काले धन पर एस.आई.टी. बैठाने का काम, यह काम भारतीय जनता पार्टी, नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। एस.आई.टी. की बातें तो तीन सालों से चल रही थी, फिर आपने क्यों गठित नहीं की। मेरे मित्र अभी बहुत बड़ा भाषण दे रहे थे। वे अपने ही वित्त मंत्री जी से पूछते कि अब तक आपने क्या किया? हां यह हमें मंजूर है कि हम भारत को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं और वर्ष 2017 तक हमें इंटरनैशनल ट्रांसपैरेन्सी लॉ एक्ट बनाने की आवश्यकता है। इसे बनाने का काम श्री अरुण जेटली ने किया। हमने काला धन देखा, काला रंग देखा और उस काले धन

को जो सफेद करने की बात कर रहे थे, उनकी बातें भी सुनीं। मेरे मित्र जो बात कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस सदन में अनेक बार चर्चाएं हुईं 14 दिसम्बर, 2011 को सदन ने एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी ने यह विषय उठाया था। तब इस चर्चा में भाग लेने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी कांग्रेस के एक नेता ने कहा --

[अनुवाद]

"विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन रुपये से अधिक की है।"

[हिन्दी]

यह किरीट सोमैया ने नहीं कहा था। किसने कहा, अगर यह पता करना है तो लाइब्रेरी में जाकर लोक सभा का रिकार्ड देख लीजिए, पता चल जाएगा। वे 6 लाख करोड़ रुपये कह रहे थे। 6 लाख करोड़ रुपये का काला धन पैदा कैसे हुआ? उस समय श्री अरुण जेटली वित्त मंत्री नहीं थे, श्री नरेन्द्र मोदी प्रधान मंत्री नहीं थे। उस समय सरकार किसकी थी? काला धन पैदा कैसे हुआ, वास्तव में इसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। हमने सबसे पहला काम यह किया कि नया काला धन पैदा न हो, उसका इंतजाम किया। मैं आज विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुलायम सिंह जी से लेकर सबने इस सदन में यूपीए सरकार के कई घोटाले गिनाए। गत एक वर्ष में मोदी सरकार का एक भी करप्शन का स्कैम हमें कोई बाहर निकाल कर दिखाए। हमारे दूसरे सहयोगी शरद यादव जी ने कहा

[अनुवाद]

"काला धन न केवल बाहर है, बल्कि अंदर भी है।"

हमारे एक और सहयोगी अभी सदन से बाहर गए हैं, उन्होंने कहा --

"यह एक पुरानी समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है और इसे पार्टी की समस्या के रूप में न लें।"

[हिन्दी]

जब वे सत्ता में थे तब हमसे अपील करते थे कि यह देश की समस्या है। देश की समस्या का निर्माण आपने किया, हम इस देश की समस्या का समाधान ढूँढ रहे हैं। अगर आप इसमें कोई सुझाव देना चाहें तो वित्त मंत्री जी खुले मन से उसका स्वागत करेंगे। हमारा अनुभव जीरो है। हम सत्ता में 12 महीने से हैं। काला धन कैसे पैदा होता है, कैसे पैदा किया जाता है या कौन करता है, हमें क्या पता? आपको सब प्रकार का अनुभव है। काला धन कैसे पैदा करना है, कहां रखना है, कैसे छिपाना है, उसके बावजूद गरीबी हटाओ का नारा कैसे देना है, यह कोई आपसे सीखे। इसलिए आपके अनुभव का देश को फायदा होगा। पहले जमाने में बताते थे कि वहां चले जा, पहाड़ के उस पार, जंगल के अंदर 17 किलोमीटर जाना, क्या हरीश जी कभी गए थे, कभी पढ़ा था या नहीं, वहां एक नदी आएगी, नदी से राइट टर्न ले लेना, फिर वहां नीचे जरा खोदना। आप अरुण जेटली जी को बता दीजिए कि काला धन कहां छिपा है, हम कल तुरंत जाकर ले आएंगे...(व्यवधान) काले धन के बारे में हमारे प्राध्यापक महोदय ज्यादा आधिक कह सकेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वास्तव में काला धन कैसे पैदा होता है, काले धन का कारण क्या है...(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** मुलायम सिंह जी, कृपया बैठ जाइए। उन्हें अपना भाषण जारी रखने दो।

... (व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। न यह ब्लैक मनी ला पा रहे हैं और न ही आप ला रहे थे। इन्होंने भी वादा किया, आपने भी वादा किया। भाषणबाजी दोनों ने कर ली, दोनों ने लम्बे-लम्बे भाषण दे दिए। यह कोई नहीं बता रहा है कि कितनी ब्लैक मनी हिन्दुस्तान में है, कितनी विदेश में है और किस-किसकी है। इतना ही बता दीजिए। उससे काम चल जाएगा। अपने आप घबरा जाएंगे और ले आएंगे। सभापति जी, सरकार को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगी।

**अपराह्न 04.00 बजे**

आप उनके नाम बताइए, हिन्दुस्तान में ब्लैक मनी कितना है, विदेश में ब्लैक मनी कितना है और किस व्यक्ति का है? तब ब्लैक मनी अपने आप आ जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। ब्लैक मनी के बारे में अगर किसी से राय-मश्विरा लेना है तो आप से लिया जाए, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया सुझाव आप ही दे सकते हैं। यह सच है, आप ब्लैक मनी ला भी सकते हैं।

**डॉ. किर्रीट सोमैया:** सभापति महोदय, मुलायम सिंह जी अनुमानित बात कर रहे हैं, कितना धन कहां है? मैं वर्ष 2011 की चर्चा को क्वोट करूंगा। यूपीए सरकार ने जवाब देते समय जो आंकड़े दिए, उसे मैं पढ़ता हूँ। उस समय की सरकार ने कहा कि हमें इस बारे में कोई अंदाज नहीं है। लेकिन उसने सीबीडीटी का एक इंटरनल कोर ग्रुप बनाया था। सीबीडीटी की कोर ग्रुप ने इंटरनल ड्राफ्ट रिपोर्ट दिया, फिर वह ड्राफ्ट रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं आया? आपने सदन में कहा कि वैश्विक वित्तीय अखंडता के अनुसार, 1948 से, स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद से, 2008, 213 बिलियन अमेरिकी डॉलर स्वतंत्रता के बाद से भारत द्वारा खोए गए हैं। यह आंकड़ा मैंने नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री जी ने उस समय आंकड़े दिए थे। काला धन कितना है और कहां है? मैं आपका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वास्तव में काले धन की समस्या बहुत गंभीर है। इसके लिए हम यह कानून क्यों लेकर आए हैं? यह सिर्फ पैसे का प्रश्न नहीं है एक विशेषज्ञ ने काले धन के उत्पादन के लिए कारकों को लिखा है। अपराध और भ्रष्टाचार जैसी अवैध गतिविधियों से उत्पन्न काले धन का अंतर्निहित असामाजिक तत्व है। काले धन के आपराधिक घटक में रैकेटियरिंग, नकली और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, तस्करी, नशीले पदार्थों के उत्पादन और व्यापार, जालसाजी, अवैध खनन, वनों की अवैध कटाई, अवैध शराब व्यापार, लूट, अपहरण, मानव तस्करी, यौन शोषण और वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी और वित्तीय धोखाधड़ी, गबन, नशीली दवाओं के पैसे, बैंक धोखाधड़ी और हथियारों में अवैध व्यापार सहित कई गतिविधियों से प्राप्त आय शामिल हो सकती है। उस समय फारूख अब्दुल्ला जी मंत्री थे। उन्होंने आडवाणी जी से कहा कि आप ब्लैक मनी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हवाल के जरिए जो पैसा आ रहा है उसने जम्मू-कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है। काले धन का उपयोग टेररिज्म और ड्रग ट्रेफिकिंग में भी होता है।

देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ब्लैक मनी जेनरेशन को रोकने की है। ब्लैक मनी चाहे वह इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों को रोकने की आवश्यकता है। वोलेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम इस देश में 18 बार लाने का प्रयास हुआ या लाई गई। उसमें से एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाई। एमनेस्टी स्कीम और वोलेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम कांग्रेस की यूपीए सरकार लेकर आई। पहले काला धन जेनरेट करो, फिर काले धन वाले को माफी दो। अरूण जेटली जी ने जो बिल लाया है उसमें किसी तरह की अमनेस्टी की बात नहीं है

मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसमें 30 परसेंट टैक्स देने के साथ ही 30 परसेंट पैन्ल्टी का भी प्रावधान है। कालेधन की समस्या बहुत पुरानी है। लेकिन इलाज पहली बार होने जा रहा है। उस समय के सिक्योरिटी एडवाइजर श्री एम.के. नारायण थे। उन्होंने इंटरनैशनल कांफ्रेंस में कहा था कि काला धन कैसे पैदा होता है और काला धन विदेश में कैसे रखा जाता है। अब विदेश में कैसे रखा जाता है, कैसे पार्क करते हैं, इसे हर कोई जानता है। ओवर बिलिंग करना, अंडर इनवाइसिंग करना, बोगस इम्पोर्ट, इनफ्लेटेड एक्सपोर्ट, वहां से लेकर मॉरिशिस में शैल कम्पनी शुरू करना और यहां से काला धन हवाला से भेजना। अब हवाला की बात आई, तो हसन अली का नाम सामने आता है। इस देश का सबसे बड़ा हवालेबाज हसन अली किसके राज में पैदा हुआ? उस हसन अली के पास वह पैसा कहां से आया और एयरइंडिया के कितने हवाई जहाज खरीदे गये? 64 हजार करोड़ हवाई जहाज खरीदे गये, उसमें में कितना किकबैंक किसके बैंक एकाउंट में गया? आपने तो कुछ नहीं किया था। हसन अली को सुप्रीम कोर्ट की ऐक्टिविज़म के कारण अंदर किया गया। वह सबसे बड़ा हवालेबाज था। इसके लिए आप कम से कम हमारी इंटेंशन पर डाऊट मत कीजिए।

सभापति महोदय, यह वालंटियरी डिसक्लोजर स्कीम्स कितनी लेकर आये, उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली स्कीम डिमोनिटाइजेशन ऑफ हाई डिनोमिनेशन करैन्सी नोट इन 1946 आयी। उसके बाद दूसरी स्कीम वालंटरी डिसक्लोजर स्कीम, 1951 आयी। हमारे नेताओं ने उसे नाम क्या दिया? कांग्रेस सरकार ने त्यागी स्कीम, यानी काला धन पैदा करो, फिर काला धन सफेद बनाओ। आप सफेद बना रहे हैं, इसलिए उस स्कीम को त्यागी स्कीम का नाम दिया। उसके पश्चात् वालंटरी डिसक्लोजर स्कीम, 1965, उसके पश्चात् वालंटरी डिसक्लोजर स्कीम-2, 1965, नैशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स, 1965, वालंटरी डिसक्लोजर स्कीम, 1975, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, 1981, ऐम्नेस्टी स्कीम, 1985, फेरा ऐम्नेस्टी स्कीम, 1986 आदि। एक बार फिर कांग्रेस का राज आया और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने और 1991 स्कीम्स--वालंटरी डिपोजिट स्कीम्स आ गयी। उसके बाद गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम, 1993 आ गयी, यानी एक के बाद एक स्कीम्स आयीं। वर्ष 1997 में चिदम्बरम जी एक और वीडिएस स्कीम लेकर आये। ये स्कीम्स कौन लाये और इन्हें लाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब यह कदम उठाने वाली है कि काला धन ही जनरेट

न हो। इसके लिए हम पहला काम भ्रष्टाचार बंद करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा यह कदम उठेगा कि आज तक भ्रष्टाचार के कारण जो पैसे विदेश में पड़े हुए हैं, उसे वापस लाने का काम करना।

माननीय सभापति महोदय, आखिर काला-काला है, ब्लैक-ब्लैक है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि यह जो बिल लाया गया है, उसे इंटरनैशनल लैवल या हिन्दुस्तान की इकोनॉमी में जो

पोजीटिव रिस्पॉंस मिला है, उसे भी हम ध्यान दें। एक एडिटर ने लिखा है कि ब्लैक इज ब्लैक, पैनल्टीज एंड प्रिवेंशन और तीसरे ने लिखा है यह एक काला-हेजिंग है।

सभापति महोदय, मैं आखिरी में आपसे यह अपील करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ब्लैकमनी बिल लेकर आयी है, उसका हम खुले मन से स्वागत करें। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि आपने विदेशों से पैसा वापस लाना प्रारंभ किया है, लेकिन आप अगला कदम यह उठाइये कि यहां का काला धन भी बाहर लाया जाये, काले धन के जनरेशन को रोका जाये और हिन्दुस्तान की इकोनामी आने वाले दो वर्ष में डबल डिजिट पर पहुंचे, उसके लिए इस पैसे का उपयोग हो।

माननीय सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली):** सभापति महोदय, मैं आपको इस महत्वपूर्ण विधेयक, अर्थात् अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

विधेयक पर बोलने से पहले, मैं अपनी पार्टी की नेता, माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी को, आज न्यायालय में उनकी महान जीत के लिए नमन करना चाहूंगा।

श्रीमान सभापति महोदय, इस विधेयक में भारत के निवासी नागरिकों की विदेशी आय पर कर लगाने का प्रावधान है। इस तरह, यह एक स्वागत योग्य कानून है।

कालेधन का मुद्दा भारत में राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। यह कोई रहस्य नहीं है कि इस देश से काला धन कई वर्षों से स्विस् बैंकों और दुनिया भर के अन्य कर पनाहगाहों में बह रहा है। यह शर्म की बात है कि एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत के पास अन्य सभी देशों की तुलना में स्विस् बैंकों में अधिक धन है। विदेशों में जमा इस अवैध और अनधिकृत संपत्ति को वापस लाने के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है।

विदेशों में जमा काला धन वापस लाना पिछले वर्ष चुनाव प्रचार के दौरान सत्ताधारी पार्टी का 'मुख्य नारा' था। अब, सत्ता संभालने के लगभग एक वर्ष बाद, सरकार इस तरह के धन पर कर लगाने के लिए इस विधेयक को आगे लाई है। विधेयक के इरादे और आम जनता की राय और काले धन का पता लगाने में न्यायपालिका की राय को देखते हुए, यह विधेयक समर्थन का हकदार है।

चुनाव प्रचार के दौरान, भारत के प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सरकार सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर काला धन वापस लाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 15 लाख रुपये प्रत्येक गरीब भारतीय के खाते में जमा किए जाएंगे। लोगों ने उन वादों पर विश्वास किया और बी.जे.पी. को वोट देकर सत्ता में लाया और उन्हें भारत का प्रधान मंत्री बनाया।

उन वादों के आधार पर एक सरकार का चुनाव करने के बाद और लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद, लोग अब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि यह धनराशि उनके बैंक खातों में जमा हो जाए। जनवरी, 2015 तक बारह करोड़ लोगों ने जन धन योजना के तहत इस विश्वास के साथ बैंक खाते खोले हैं कि प्रधान मंत्री 15 लाख रुपये उनके खातों में जमा करेंगे।

जब भी सरकार यह धनराशि जमा करने का फैसला करती है, तो मेरा अनुरोध है कि तमिलनाडु को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि जमा किया गया अधिकांश काला धन 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले और एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में शामिल व्यक्तियों द्वारा जमा किया गया था।

महोदया, काले धन की वसूली के मुद्दे पर आते हुए, उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल का गठन किया, जिसमें केवल 4,500 करोड़ रुपये की एक मूंगफली का पता चला। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि विदेशों से पूरा पैसा वसूलने का ईमानदारी से और गंभीरता से प्रयास करे।

दूसरा, विधेयक के प्रावधान यह दर्शाते हैं कि यह काला धन की वसूली नहीं करने वाला है, बल्कि यह केवल उन लोगों से राजस्व एकत्र करने वाला है, जिनके पास काला धन है। यह विधेयक मूलतः आयकर प्रकार का विधेयक है जिसका उद्देश्य राजस्व उत्पन्न करना है। सरकार विदेशों से काले धन की वसूली कैसे करने जा रही है, इस बारे में प्रावधान विधेयक में नहीं है। अगर उस पैसे की पूरी तरह से वसूली हो जाती है, तो किसानों को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है और गरीब और दलित लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

महोदय, विधेयक में यह प्रावधान है कि आय को छिपाने पर कर की राशि के तीन गुना यानी अप्रकटित आय के 90 प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगेगा। कर योग्य आय को छिपाना एक आपराधिक कृत्य बनाया जाएगा।

अब, मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को चिह्नित करना चाहूंगा जिन्हें माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा संबोधित किया जा सकता है। सबसे पहले, विधेयक में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अनुमत विदेशी मुद्रा लेनदेन के साथ संबंध को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, जिसके तहत आर.बी.आई. भारतीय निवासियों

को विदेश में निवेश करने की अनुमति देता है। जि विदेश में किए गए ऐसे निवेशों से प्राप्त आय किस प्रकार कर योग्य होगी तथा ऐसी आय के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली क्या होगी, इस बारे में अधिक विस्तार से बताया जा सकता है।

इस तरह के खर्चों का सहारा अमीर लोग लेते हैं और संभावित रूप से काले धन का सृजन कर सकते हैं। इसके अलावा, फेमा के तहत नियमों और विनियमों में कुछ संशोधन की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वही लोग जो वर्तमान कानून का पालन कर रहे हैं, उन्हें विदेशों में धन भेजने की अनुमति दी जाएगी।

दूसरा, भारतीय कॉरपोरेट्स द्वारा विदेशों में किए गए निवेश से लाभ कमाया जाता है और कभी-कभी, इन लाभों का उपयोग ऐसे कॉरपोरेट्स के मुख्य शेयरधारकों के व्यक्तिगत नामों पर संपत्ति खरीदने के लिए किया जाता है। इस तरह के लेनदेन को विधेयक में पर्याप्त रूप से नहीं निपटाया गया है। इस तरह के लेन-देन के उपचार पर अधिक स्पष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि ये देश के बाहर आय को समाप्त करने का मार्ग न बनें।

दूसरी ओर, इस विधेयक ने उन मध्यम वर्ग के पेशेवरों के मन में आशंका पैदा कर दी है, जिन्होंने विदेशों में कुछ वर्षों तक काम किया है। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में ऐसे पेशेवर हैं, जो विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और वित्तीय क्षेत्रों के क्षेत्र में हैं, जिन्होंने कुछ वर्षों तक विदेशों में काम किया है। उन वर्षों में, उन्होंने विदेशों में आय अर्जित की और चूंकि वे उस समय भारत में निवासी नहीं थे, इसलिए उनकी विदेशों में आय कराधेय नहीं होती। भारत लौटने पर, उनके पास कुछ वित्तीय परिसंपत्तियाँ और बैंक शेष हो सकते हैं जिन्हें विदेशी क्षेत्राधिकारों में रखा गया है।

निरीक्षण द्वारा, यह संभव है कि ऐसी परिसंपत्तियों की सूचना भारत में कर विवरणी में नहीं दी गई हो। एक डर है कि ऐसी संपत्ति अब 30 प्रतिशत पर कर योग्य होगी और यहां तक कि जुर्माना भी लगाया जाएगा। परिसंपत्तियां काले धन का पता लगाने के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत छोटी होंगी, लेकिन एक औसत मध्यम वर्ग

परिवार के लिए काफी बड़ी हो सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के डर को दूर किया जाए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विदेशों में वैध आय अर्जित की है और उचित अधिकार क्षेत्र में कर का सामना किया है, उन्हें परेशानी या कठिनाई में नहीं डाला जाना चाहिए। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी को व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है कि वह व्यक्ति द्वारा परिसंपत्ति के वित्तपोषण के लिए आय के स्रोत के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मान ले। यह महत्वपूर्ण है कि यह विधेयक 'बड़ी मछलियों' को लक्षित करे और बेवजह 'छोटी मछलियों' को परेशान न करे।

यह माना जाता है कि अप्रकटित विदेशी आय और परिसंपत्तियों पर लगाया गया कर और जुर्माना 'प्रत्यक्ष कर' होगा और आय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के साथ साझा की जाएगी। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लें। वित्त मंत्री इस पर भी स्पष्टीकरण दें।

प्रस्तावित कानून प्रकटीकरण करने और जुर्माना के साथ कर का भुगतान करने के लिए अप्रकटित विदेशी आय या आस्तित्वाले निवासी भारतीयों के लिए प्रकटीकरण करने और जुर्माने के साथ कर का भुगतान करने का सीमित और एकमुश्त अनुपालन अवसर प्रदान करता है। यह ऐसे व्यक्तियों को आपराधिक दायित्व से प्रस्तुत करेगा। साथ ही, यह एक माफी योजना नहीं है क्योंकि जुर्माने से कोई छूट की पेशकश नहीं की जा रही है। यह एक बार का अवसर उन व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है जिनके खिलाफ सरकार और आयकर विभाग ने पहले ही अभियोजन शुरू कर दिया था। तो, प्रभावी रूप से, इसका मतलब है कि एच.एस.बी.सी. सूची में लगभग 1,000 भारतीय, जिन पर एच.एस.बी.सी. की जिनेवा शाखा में बेहिसाब पैसा होने का आरोप है, इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

हमारा मानना है कि विधेयक के कई प्रावधान कठोर हैं, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि निर्दोष लोगों पर मुकदमा न चले और उन्हें सजा न मिले। सरकार के पास कठोर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन नियम और प्रक्रियाएं सरल और समझने में आसान होनी चाहिए ताकि उनका दुरुपयोग न हो।

विधेयक के कुछ प्रावधानों से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए, एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो विदेशों में कामगारों और पेशेवरों के रूप में वैध आय अर्जित करने वालों को परेशान किए बिना वास्तव में काले धन का पता लगा सके। इस विधेयक को विस्तृत जांच के लिए स्थायी समिति को भेजना उचित हो सकता है, जहां विशेषज्ञ अपनी राय दे सकते हैं जिससे एक व्यापक कानून से पूरे देश को लाभ होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाए।

**श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):** माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015 का समर्थन करता हूँ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार के अधिनियम की लंबे समय से आवश्यकता थी। लेकिन इस विधेयक के गुण-दोष के संबंध में मेरे कुछ विवादास्पद प्रश्न हैं।

मूल प्रश्न यह है कि, क्या इस विधेयक में शुल्क स्थापित करने के लिए कोई अंतर्निहित प्रावधान है। मैं यह कहूँगा कि इस विधेयक में विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यदि मुझे सही याद है, तो कई मौकों पर माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सभा में कहा था कि सरकार काले धन को देश में वापस लाने के उद्देश्य से अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों के संबंध में एक विधेयक लाने जा रही है। मेरा विनम्र प्रश्न माननीय वित्त मंत्री जी से है - वित्त राज्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं - क्या आप हमें विधेयक में एक भी प्रावधान दिखा सकते हैं जिसके तहत इस सरकार को काले धन को देश में वापस लाने का अधिकार दिया गया है? मैं 30 प्रतिशत करों, दंड आदि से संबंधित प्रावधानों को समझ सकता हूँ। वे सभी एक अलग उद्देश्य के लिए हैं।

[हिन्दी]

सभापति जी, बातों के जादू से कुछ नहीं होता है, काम करना होगा। बातों का जादू लोगों पर बहुत हो गया है। कहा था कि सौ दिनों के अंदर ब्लैक मनी देश में वापिस ले आएंगे और पन्द्रह लाख रुपए हर आदमी के एकाउंट में डाल देंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा था, वे मेरे सामने बोल रहे थे क्योंकि मेरे ऊपर विश्वास है, मैं कहना चाहता हूँ कि 125 करोड़ आदमियों ने प्रधानमंत्री जी पर एक वर्ष पहले विश्वास किया था कि सौ दिनों के अंदर देश में ब्लैक मनी ले आएंगे। लोगों का भरोसा तो आपने तोड़ ही दिया है। लोगों के एकाउंट में एक पैसा भी नहीं आया। बातों के भरोसे से देश नहीं चलेगा।

कई बार कहा गया था कि वे इस संबंध में कानून ला रहे हैं। यह प्रावधान कहाँ है कि काला धन देश में वापस लाया जाएगा? आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, हम सभी में से किसी के पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन आंकड़े एक ही आदमी के पास थे जिसने इलेक्शन से पहले कहा था कि देश के हर नागरिक के एकाउंट में 15 लाख

रूप दिए जाएंगे। आंकड़े केवल उसी आदमी के पास हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि आप देश में पैसा लाइए। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, वह आदमी सो गया है। वे आंकड़े कहां हैं? वह काला धन कहाँ है? माननीय प्रधान मंत्री जी का वह वादा कहाँ है कि काला धन 100 दिनों के भीतर वापस लाया जाएगा और देश के प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे? वह अपने वादे से हट गए हैं। क्षमा चाहते हैं, महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी का पूरा सम्मान करते हुए, उनकी बातों में जादू है, लेकिन काम में कुछ नहीं है। बातों-बातों में दिन गुजरते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ नहीं हैं, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी यहाँ हैं। मैंने कहा कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मुझे अधिनियम की धारा 8 पर बात करने दें। ये प्रावधान अर्ध-न्यायिक हैं। यदि कोई खुलासा नहीं करता है, तो आरोप तय किए जाने होंगे, कार्यवाही शुरू की जानी होगी, और यह एक अर्ध-न्यायिक स्वरूप ले लेता है। और जब दंड लगाया जाता है, तो यह आपराधिक चरित्र का होता है और इसलिए, जो आरोप तय किया जाएगा, उसे साबित करना होगा। अब, आप शुल्क कैसे स्थापित कर सकते हैं? धारा 8(1) (ख) के तहत आप कह रहे हैं, "किसी बैंकिंग कंपनी के किसी भी अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उससे पूछताछ करना।"

अगर ऐसा है, तो अगर कोई व्यक्ति काला धन छिपा कर विदेशी बैंक में रखता है, जब तक कि विदेशी बैंक के अधिकारी दस्तावेज लेकर नहीं आते हैं और सबूत नहीं देते हैं, तो आप आरोपों को कैसे साबित करेंगे? आरोपों को कैसे सिद्ध किया जाएगा? यदि यह धारा 8(1) (ख) बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी को लाना होगा, अगर किसी ने पैसा लिया है और उसे विदेशी बैंक में जमा किया है तो अधिकारियों को लाना होगा। केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा। समझौतों के कारण, कुछ जानकारी विदेशों से आती है लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक लेन-देन को साबित करना होगा। क्या आपको लगता है कि सभी मामलों में विदेशी बैंक के अधिकारी आएंगे और देश में साक्ष्य का नेतृत्व करेंगे?

यह आरोप सिद्ध करने के उद्देश्य के लिए एक अमान्य सोच है। ठीक है, प्रचार के उद्देश्य से और राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह अच्छा है। लेकिन अगर आप तथ्य पर आते हैं, तो आप आरोपों को कैसे साबित करेंगे जब तक कि आपके पास साक्ष्य नहीं हैं? अगर यह कानूनी साक्ष्य नहीं है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है और कानूनी साक्ष्य के मामले में, साक्ष्य बक्से में लाया जाना चाहिए और आरोप सिद्ध किए जाने चाहिए क्योंकि प्रभावित व्यक्ति की जांच का अधिकार है। आप यह कैसे करेंगे? जहाँ तक धारा 8 का संबंध है, यही मुद्दा है। आरोप तय करने के संबंध में अधिनियम की योजना के तहत पूरे आरोपों को धारा 8 द्वारा ही साबित किया जाना है। यह कैसे किया जा सकता है?

श्री सोमैयाजी यह भी बता रहे थे कि इससे पहले देश में 12 बार स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाएं लाई गई थीं। यह स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना अधिनियम के तहत एक नई अवधारणा नहीं है। यह पुरानी बात है। वास्तव में, अधिनियम के अंतर्निहित प्रावधान आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधानों के समान हैं। नया कुछ भी नहीं है। क्या वह पुरानी शराब नई बोतल में केवल एक नए नाम के साथ है? पहले, 12 स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाएं लाई गई थीं। हम जानना चाहते हैं कि उन स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं के तहत कितना पैसा वसूल किया गया था।

काला धन देश में ही पैदा होता है उसके बाद इसे दूर कर दिया जाता है। यदि देश में ही काला धन उत्पन्न हो जाता है, तो इस अधिनियम के तहत इस काले धन को उत्पन्न करने से रोकने के लिए आपके द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं? आपको इसे उसी सीमा पर रोकना होगा, जब यह उत्पन्न हो रहा हो। यह अधिनियम इस बारे में बात नहीं करता है। जब तक काले धन का उत्पादन, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी, प्रतिबंधित नहीं है, तब तक कोई अच्छा परिणाम नहीं आएगा। अगर आप कोई तंत्र लाते हैं, तो हम इसकी सराहना करेंगे। कृपया सभी प्रकार के काले धन को रोकने के लिए कानून के तहत निर्दिष्ट एक तंत्र के साथ आइए, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी। अगर इसे यहां रोक दिया जाता है, तो सब कुछ चल जाएगा।

अगला बिंदु यह है कि किसी को अनुमान नहीं है। पहले से ही कहा जाता है कि काला धन छिपा हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि धनराशि कितनी है। मुझे सूचित किया गया है कि वर्ष 2010 में वित्त संबंधी स्थायी समिति ने देश में जमा काले धन की मात्रा का पता लगाने के लिए तीन एजेंसियों को नियुक्त किया था।

इस तरह का प्रतिवेदन अभी सामने नहीं आया है। ... (व्यवधान) मुझे नहीं पता कि किसी एजेंसी ने ऐसा अध्ययन किया है या नहीं। इसीलिए मैंने कहा, 'सुधार के लिए अधीन'। यदि कोई प्रतिवेदन किसी एजेंसी को सौंपा गया है, तो हम यह पता लगा सकते हैं कि देश से कितना काला धन छिपा हुआ है।

मैं सबसे सम्मानपूर्वक कहता हूँ कि यह कुछ भी नया नहीं है। यह सिर्फ एक शो है। इस अधिनियम में वास्तव में कोई दम नहीं है। अगर कोई खुलासा करता है, तो ठीक है, हम 30 प्रतिशत कर वसूल करेंगे; और अगर वह खुलासा नहीं करता है, तो आपके पास उसे पकड़ने के लिए कोई दम नहीं है। आप पूरी तरह से विदेशी देशों में मौजूद सभी साक्ष्यों पर निर्भर कर रहे हैं, यहां की साक्ष्यों पर नहीं।

आज सुबह माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यह लैपटॉप और अन्य उपकरणों का उपयोग करके एक मिनट के भीतर किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो लोग वास्तव में भारी मात्रा में काला धन रखते हैं, वे मूर्ख हैं? क्या वे इसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखेंगे और इसे इंटरनेट द्वारा स्थानांतरित करेंगे? क्या वे मूर्ख हैं जो रु. 100 करोड़ का काला धन अपने बैंक खातों में रखते हैं? ... (व्यवधान)

**डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल):** मुझे लगता है कि यह असंसदीय है। ... (व्यवधान)

**श्री कल्याण बनर्जी:** असंसदीय क्या है?

**डॉ. ए. संपत:** मुझे लगता है कि चार अक्षर का शब्द असंसदीय है। ... (व्यवधान)

**श्री कल्याण बनर्जी:** क्या आपको लगता है कि वे मूर्ख हैं? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति 50 करोड़ रुपये का काला धन रखता है, तो क्या आपको लगता है कि वह इसे भारत के किसी भी बैंक में अपने खाते में रखेगा और इसे स्थानांतरित कर देगा? ऐसे उदाहरण हैं जहां कुछ लेन-देन जो यहां किए जाते हैं, उनमें 50 प्रतिशत का भुगतान देश में और 50 प्रतिशत विदेश में किया जाता है। आप इसे कैसे पकड़ सकते हैं? इसमें

अंडर-इनवॉयसिंग सिस्टम भी है। इसलिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए आप खुद को स्थापित करना चाहते हैं कि आप कई चीजें कर रहे हैं। वास्तव में, आप कुछ नहीं कर रहे हैं; वास्तव में, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

हम आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं। आप और अधिक कड़े प्रावधान लाएंगे, हम पूरे दिल से समर्थन करेंगे। हम देश में ही काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए आपका समर्थन करेंगे। यदि आप पांच मिनट बोलेंगे, तो मैं आपके समर्थन में दस मिनट बोलूंगा। लेकिन मुझे खेद है, बड़े सम्मान के साथ मुझे यह कहना है कि इस विधेयक में कोई दम नहीं है। यह केवल किसी राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।

धन्यवाद।

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** इस विधेयक का शीर्षक "अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015" विधेयक के उद्देश्य को दर्शाता है।

इसका उद्देश्य यह है कि आप इस देश की सीमाओं के बाहर अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति पर कर कैसे लगाने जा रहे हैं। यह सीमित उद्देश्य है जिसे विधेयक के लंबे शीर्षक में परिभाषित किया गया है। यह विधेयक मूल रूप से यह प्रावधान करता है कि अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों पर इस अधिनियम के तहत कर लगाया जाएगा यदि यह एक अधिनियम बन जाता है और आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम के तहत नहीं।

इसमें ऐसी अप्रकटित राशि पर 30 प्रतिशत की कर की फ्लैट दर के अलावा 90 प्रतिशत के जुर्माने का प्रावधान है। कोई कटौती भत्ता या छूट की अनुमति नहीं है। अभियोजन का भी प्रावधान किया गया है, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह केवल उन कर निवासियों पर लागू होता है जो मूल रूप से निवासी हैं, न कि अनिवासी भारतीयों, एन.आर.आई. या निवासियों पर जो सामान्य रूप से निवासी नहीं हैं, जिसे अब आर.एन.ओ.आर. कहा जाता है।

विधेयक में "भारत के बाहर स्थित अप्रकटित संपत्ति" को परिभाषित किया गया है और इसमें भारत के बाहर स्थित किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित एक संपत्ति शामिल है, जो करदाता के नाम पर है, जिसका वह लाभकारी मालिक है, जिसके बारे में वह निवेश के स्रोत को संतोषजनक ढंग से समझाने में असमर्थ है।

मैं कहूंगा कि एक विदेशी संपत्ति, भले ही आयकर विवरणी में इसका खुलासा किया गया हो - और यह इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में से एक है - को एक अप्रकटित विदेशी संपत्ति के रूप में माना जा सकता है यदि कोई उस संपत्ति के निवेश के स्रोत को साबित करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, आयकर विवरणी में संपत्ति का केवल खुलासा करना इसे कानून के शिकंजे से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसलिए, इस संबंध में कोई भी कहेगा कि यह एक अधिक कठोर प्रावधान है जिसे इस विधेयक में बनाया गया है।

हालांकि, इस प्रस्तावित कानून के साथ कई मुद्दे हैं। महोदय, एक प्रश्न यह है कि जब किसी संपत्ति के मूल्य पर इस कानून के तहत कानून लागू होने के बाद वर्तमान मूल्य पर कर लगाया जाता है, तो क्या पहले के वर्षों की आय जो वर्तमान मूल्य का हिस्सा भी है, जैसे कि संचयी जमा पर भी आयकर अधिनियम के तहत पहले के वर्षों में कर लगाया जा सकता है? मैं सरकार से यह बात समझना चाहूंगा। यदि हां, तो यह ऐसी आय पर दोगुना कर लगाने के बराबर होगा। छोटी धनराशि के लिए भी 30 प्रतिशत कर और 90 प्रतिशत जुर्माने में कोई छूट नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महोदय, हाल के दिनों में कर अधिकारियों के आक्रामक रुख को देखते हुए, आश्चर्य होता है कि क्या अपील के सुरक्षा उपाय और इस तरह के अन्य प्रावधान पर्याप्त हैं।

विदेशी परिसंपत्तियों के संबंध में आय को छिपाने और कर की चोरी पर दस वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा के साथ मुकदमा चलाया जाएगा और अपराधियों को निपटान आयोग से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आय और परिसंपत्तियों को छिपाने वालों पर देय कर का 300 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा और विवरणी दाखिल नहीं करने या विदेशी परिसंपत्तियों का अपर्याप्त खुलासा करने पर सात वर्ष का सश्रम कारावास हो सकता है। ये प्रावधान हैं। कर और जुर्माने की वसूली पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, भले ही किसी ने गलत मांग के खिलाफ अपील दायर की हो, जो इस देश में काफी प्रचलित है। यह निश्चित रूप से इस कानून के लागू होने के खतरों के साथ किराया मांगने के व्यवहार को प्रोत्साहित करेगा अन्यथा किसी को बड़ी मांग का सामना करना पड़ेगा। ये हमारी आशंकाएँ हैं। मुझे खुशी होगी यदि सरकार इन आशंकाओं को कम करेगी।

जबकि कानून के पीछे की मंशा अच्छी है और यह एक अच्छी शुरुआत है, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के निर्माण के लिए कानून को और परिष्कृत करने की आवश्यकता है। जैसा कि मुलायम सिंह जी बार-बार बता रहे हैं कि सतर्क रहना, सतर्क रहने के लिए कहना। यही हमारी चिंता है और इसलिए, विधेयक पर चर्चा शुरू करने से पहले, मैंने बार-बार कहा था और हमारे कई सदस्यों ने यह भी कहा है कि आप इसे विचार के लिए स्थायी समिति को भेजें। यह बहुत बेहतर तरीके से इस सभा में लौटेगा।

[हिन्दी]

**श्री मुलायम सिंह यादव :** मेरा यह कहना था कि बहस की बजाय 6-7 नेता चुप-चाप वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी से बात करते और कहते कि इतनी ब्लैक मनी है। हमारी यह राय है, आप जांच कीजिए। जो बहस है, उस पर मैंने सावधान कर दिया और सावधान हो गए। अगर वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी से हम लोग मिलते, उधर के भी नेता और इधर के भी नेता मिलते और कहते कि इस ब्लैक मनी को निकालो, हम आपका सहयोग करेंगे। यह था तरीका। अब करा लो बहस, भाषण कर लो।

[अनुवाद]

**श्री भर्तृहरि महताब:** हम काले धन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन क्या हमें इसका अंदाजा नहीं है कि इस देश और दुनिया में ग्रे इकोनॉमी भी है? यह कहते हुए कोई लाभ नहीं है कि ग्रे इकोनॉमी पर कार्रवाई लंबे समय से लंबित हो गई है।

सरकार का यह कहना सही है कि अब समय आ गया है कि उससे कड़ी जवाबदेही ली जाए। सरकार को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि प्रस्तावित नए कानूनों के तहत प्रवर्तन एजेंसियों को बेलगाम शक्ति दी जाए। हालांकि ये कदम सार्थक हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि नए कानूनों का दुरुपयोग न हो और इन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिशोध के साधन के रूप में लागू किया जाए।

काले धन का विषय बहुत उत्साह जगाता है। इस वर्ष के बजट ने बिल्कुल निराश नहीं किया। वित्त मंत्री जी ने भारत के भीतर काले धन और विदेशों में जमा धन दोनों के खतरे से निपटने के लिए नई व्यवस्था की भव्य रूपरेखा तैयार की। बेनामी लेन-देन निषेध कानून को लागू करने में भारत के पिछले प्रयास विफल हो गए।

भारत ने वर्ष 1988 में बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाया था, लेकिन रहस्यमय कारणों से इसे लागू नहीं किया गया था। इस कानून को लागू करने के लिए कोई नियम जारी नहीं किया गया था। हालांकि, 2011 में, श्री प्रणब मुखर्जी जी के नेतृत्व में यू.पी.ए.-सरकार ने संशोधन करने की मांग की और

वर्ष 1988 कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक स्थायी समिति के पास गया और उन्होंने वर्ष 2012 में कुछ सिफारिशों के साथ अपना प्रतिवेदन दिया। हालांकि, इसमें कुछ भी नहीं मिला। मैं सरकार से समझना चाहूंगा कि उन सिफारिशों का क्या हुआ।

इसलिए, प्रश्न यह है कि क्या हम काले धन को लेकर वास्तव में गंभीर हैं। अगर हम हैं, तो हमारा ध्यान पीढ़ी पर होना चाहिए क्योंकि श्री कल्याण बनर्जी जी भी उल्लेख कर रहे थे। सभी अच्छे नागरिक काले धन पर मुहर लगाने के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं। इससे वास्तव में कोई भी प्रभावित होगा। लेकिन क्या हमारे पास पर्याप्त समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त कठोर कानून नहीं हैं? हम कब जानेंगे कि कानून समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं?

प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि काले धन को देश में लाना उनकी "आस्था का विषय" है। जब कोई व्यक्ति इस विधेयक को पढ़ता है, तो पहला शीर्षक यह कहता है: "अज्ञात विदेशी आय और संपत्तियाँ"। विदेशी आय का अर्थ है डॉलर या कोई अन्य परिवर्तनीय मुद्रा, न कि रुपया। विदेश में कोई भी रुपये में कमाई नहीं कर सकता है। इसलिए, जब सरकार "डॉलर पर" कर लगाती है, तो कर का भुगतान केवल डॉलर में किया जाना चाहिए। या, हम उस पैसे को कैसे वापस प्राप्त करेंगे? आप उस कर को कैसे प्राप्त करेंगे? क्या वह कर रुपये में होगा या डॉलर में? यह स्पष्ट नहीं किया गया है। रुपये में कर और जुर्माना आदि के भुगतान की अनुमति देने से देश में अतिरिक्त काला धन पैदा होगा। क्या भारत को विदेशी मुद्रा से वंचित किया जाना चाहिए? क्या हमें यह नहीं कहना चाहिए कि विधेयक मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है? इन बातों का समाधान नहीं किया गया है।

लोग कह रहे हैं कि विधेयक का यह अंश भी बहुत कठोर और प्रतिगामी है। क्या कानून पर्याप्त नहीं हैं? यदि नहीं, तो क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय काले धन के लिए एक और कानून बनाने के बजाय उन कानूनों में संशोधन या सुधार नहीं करना चाहिए? हमारे पास बहुत सारे कानून हैं लेकिन इस कानून को चलाने वालों की ओर से न्याय की भावना बहुत कम है।

फेरा वर्ष 1947 से वर्ष 2000 तक क्रियाशील था। जून, 2000 में, फेरा को फेमा, वर्ष 1999 से बदल दिया गया था। बाद में, 1 जुलाई, 2005 को, हमारे पास धन शोधन अधिनियम, 2002 की रोकथाम थी। आज, फेमा एक निवासी को स्वतंत्र रूप से विदेशी संपत्ति रखने की अनुमति देता है। फेमा अब निवासियों को प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 250,000 अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। आर.बी.आई. ने इसे उदार बनाया है। और धन शोधन निवारण कानून (पी.एम.एल.ए.) काले धन या विदेशी संपत्तियों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहता है।

इस विधेयक में यह निर्धारित किया गया है कि विदेशों में अघोषित आय पर अब आयकर अधिनियम के तहत कर नहीं लगाया जाएगा। क्या हमें यह मानना चाहिए कि घरेलू काला धन रखने वाले विदेशों में धन जमा करके आयकर अधिनियम से बच सकते हैं? इसके विपरीत, विदेशी काला धन धारक केवल विदेशी काले धन को भारतीय काले धन में परिवर्तित करके नए कानून की कठोरता से बच सकते हैं। क्या यह जिज्ञासु नहीं है? क्या यह विधेयक कम सजा के साथ मध्यस्थता के अवसर पैदा नहीं करता है यदि काली संपत्तियों को अपतटीय से तट पर स्थानांतरित किया जाता है? यह शायद ही किसी कानून का उद्देश्य हो सकता है।

अंत में, मैं यह समझना चाहूंगा कि विधेयक में जमा धन को वापस लाने की अधिकार कहां है? क्या यह गायब नहीं है?

विदेशों में कथित रूप से जमा काले धन को वापस लाने का प्रयास करते हुए, सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि आज काले धन के सृजन के मुद्दे का समाधान करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

यह महत्वपूर्ण है कि कर अपराधियों पर कानून सख्त बना रहे हैं। अपने वर्तमान रूप में, यह अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई निर्धारित करता है लेकिन पहले अपराधियों की पहचान करना आवश्यक है। यह सरकार को अन्य तरीकों से करना होगा। कानून का निवारक मूल्य प्रभावी प्रवर्तन में निहित है।

काले धन को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कथित तौर पर विदेशी सरकारों के साथ गोपनीयता समझौते करने के लिए सरकार को मंजूरी दे दी है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

भारत को स्वचालित सूचना विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए। प्रभावी जानकारी साझा करने के साथ, ऑडिट ट्रेल्स स्थापित किए जा सकते हैं।

भारत को ब्रिटिश सरकार से एक पृष्ठ लेना चाहिए और कंपनियों को अपने वास्तविक मालिकों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए और रजिस्ट्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस संबंध में, कोई यह कह सकता है कि श्री नरेन्द्र मोदी अवैध धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति बना सकते हैं।

निश्चित रूप से रोकथाम ही सही समाधान है। इसके लिए ऐसे माहौल की आवश्यकता है जो कर अनुपालन को बढ़ावा दे और ऐसी व्यवस्था हो जो दोस्ताना माहौल प्रदान करे। काले धन से निपटने के लिए कठोर हाथ से ज्यादा समझदार दिमाग आवश्यकता होती है।

अंत में, चारों ओर बहुत सारे बुद्धिमान हैं। उनसे सावधान रहें।

[हिन्दी]

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) :** माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में ब्लैक मनी वापस लाने के बारे में जो बिल माननीय मंत्री महोदय आदरणीय अरुण जेटली जी ने प्रस्तावित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

पहली बात यह है कि जब बहुत चर्चा हो जाती है, कानून जब आता है तो उसमें क्या खामियाँ हैं, उसको बताने के लिए बहुत लोग आगे आ जाते हैं। हम भी सुन रहे थे। लेकिन स्वागत करने की बात यह है कि जैसे किसी ने बताया कि पहले यह कानून आया था। कानून पहले था, फिर भी अमल नहीं हो रहा था। 6 लाख करोड़ रुपये ब्लैक मनी आज भी है, ऐसा हम खुद कहते हैं और इस सदन में भी वह बात बोली जाती है। हम जब इसकी तरफ देखते हैं तो मन में बहुत चिन्तित हो जाते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने चुनाव के समय कहा था, सही कहा था, ज़रूर कहा था, लेकिन उस पैसे को वापस लाने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, उसका मुझे बहुत गर्व है।

महोदय, हमारे मराठी भाषा में एक कहावत है- 'पी हल्दी हो जा गोरी।' इसका मतलब यह है कि अगर कल कोई घर में लड़की देखने आने वाले होते हैं तो लड़की को बोलते हैं कि तुम हल्दी लगा लो और तुम गोरी हो जाओगी। इस तरह तो नहीं होगा कि सरकार आ गयी और दस महीने में ही सारा काला धन वापस आ गया। यह तो नहीं होगा। लेकिन, अगर सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए।

महोदय, जब मैंने बिल को नज़दीक से देखा तो मुझे कुछ चीज़ें दिखी हैं। हम अपने बचपन में इस तरह के कुछ गाने सुनते थे। माननीय सदस्य परेश रावल जी हमारे साथ बैठे हैं। इनकी 'हेरा फेरी' एक फिल्म आई थी। एक फिल्म में एक गाना था -

न बीबी न बच्चा, न बाप बड़ा न भैया,

द होल थिंग इज डैट कि भैया सबसे बड़ा रुपैया।

यह 'सबसे बड़ा रुपैया' परदेस में है। उसे वापस लाने की कोशिश हो रही है। हालांकि, पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कुछ लोगों की लिस्ट आई है। 102 लोगों की लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी थी। उनके नाम घोषित हैं। हम इस बात से क्यों डरते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आता है। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि हम परदेस में पड़े काले धन की बात करते हैं तो फिर हम क्यों नहीं अपने देश में पड़े काले धन की बात करें? चुनाव के समय देखो तो देख कर ही इतना डर लगता है। हम लोग तो लोक सभा में चुन कर आए हैं। चुनाव के लिए पैसा कहां से आता है? चुनाव में एक-एक रैली करने में जो इतने पैसे खर्च होते हैं, कई जगहों पर वह भी तो काला धन ही होता है। इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कुछ इसके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अगर सही, अच्छे लोग लोक सभा में चुन कर आने हैं, तो इसकी ओर भी ध्यान दीजिए। क्या सब धनवान लोग ही चुनाव में खड़े हों? हमारे जैसे लोग कब चुनाव में खड़े होंगे और कैसे चुन कर आएंगे? यह तो हमारे वंदनीय बालासाहब का आशीर्वाद था, उद्धव साहब की प्रेरणा थी, जिसकी वजह से हम यहां चुन कर आए हैं। हमारे पास इतना धन नहीं है। न ही काला धन है और न ही गोरा धन है। जिन लोगों ने स्विस् बैंक में पैसा रखा, उनमें हम बार-बार कितने राजनीतिक लोगों के नाम देखते आए हैं, हम बार-बार कितने कॉर्पोरेट्स लोगों के नाम देखते आए हैं। अखबारों में बार-बार यह आता है कि दुनिया में कौन-कौन लोग रईस हैं। उसमें भारत के कितने लोग हैं? भारत के जो लोग हैं, उनमें कल तक जो लोग पापड़ बेच रहे थे, अचार बेच रहे थे, वे आज धनवान बन गए हैं। जो लोग कल तक डॉक्स में कुछ काम करते थे, वे आज धनवान हो गए हैं। इनके पास इतना पैसा कहां से आता है? अगर वे लोग थोड़ी-सी अक्ल हमें दे दें तो हम भी थोड़े धनवान बन जाएंगे, या हम से भी बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, उन्हें भी कुछ अक्ल मिल जाएगी। ये जो चीजें हैं, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा।

महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करते समय एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने इसमें आधिकार दिए हैं, डिफिकल्टीज के बारे में उसमें क्लॉज़ है कि अगर कोई डिफिकल्टी हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। अगर कोई आधिकारी अपने आधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। जैसे हमारे दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने ऐसे बच्चों के बारे में कहा था जो विदेशों में पढ़ रहे हैं और जो लोगों ने 'मैडिसन स्कवायर' में

'मोदी-मोदी' कहा, उनके बारे में उन्होंने बात की थी। हुड्डा जी, मैं आपको बताता हूँ कि उन लोगों को इस बात का विश्वास है कि मोदी जी जो कुछ भी कह रहे हैं, वे उसे करेंगे। उन लोगों ने 'मैडिसन स्क्वायर' में अपना सपोर्ट दे दिया। वह खुद चाहता है कि उसका धन इस देश में आए और इस देश की प्रगति में काम आए। यही सोचकर ही तो वहाँ के लोगों ने 'मोदी-मोदी' की घोषणा की होगी। हम जानते हैं कि हम इसमें थोड़ा धीमा चल रहे हैं।

महोदय, इस बिल में कुछ क्लॉजेज हैं, जिसका इस्तेमाल अगर ठीक से न हो और अगर वे लॉ न हों तो कल इसे लोग 'ड्रैकॉनियन लॉ' कहेंगे। रोकथाम का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर इसके कानून का कोई गलत इस्तेमाल हो गया तो फिर कई लोग कहेंगे कि इसे किसने अधिकार दिए कि किसी के पास जाकर उसकी सारी जांच करे? एक तरफ तो कहते हैं कि वह कोर्ट में जा सकता है और दूसरी तरफ कहते हैं कि कुछ कोर्ट्स में जाने की मनाही है। माननीय राष्ट्रपति जी की कुछ अनुशंसाएं भी लिखी हुई हैं। माननीय मंत्री जी आज इस बिल को लेकर आए हैं। कल वह कानून बनेगा। आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। यह ठीक है कि जब लोग पूछते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में पन्द्रह लाख रुपये कब जमा होंगे, तो यह राजनीतिक भाषण हो गया। यह आप सभी लोग भी जानते हैं कि पन्द्रह लाख रुपये जमा नहीं हो सकते हैं और इस विषय में हम क्या कर सकते हैं, इसे ,गे। लेकिन इसके लिए हमें फिक्र है। अगर सच में इतने पैसे वापस आ जाते तो यह हो सकता था कि हम सभी लोग के बैंक अकाउंट में पन्द्रह लाख रुपये आ सकते थे। लेकिन, यह नहीं हुआ। यह नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें कम से कम ऐसे कदम उठाए जाएं कि अगले सत्र में यह सरकार यह निवेदन ले कर आए कि हमने इस कानून को लाया और इस कानून पर अमल भी शुरू हुआ है। जैसे हमने 3-जी के मामले में कह दिया कि उसके ऑक्शन में एक लाख करोड़ रुपये मिले। उसी तरह, इसमें भी आपको यह कहने की उपलब्धि मिलनी चाहिए कि आगे आने वाले सत्र में आप आकर कहें कि हमने यह कानून लाया और कानून पर अमल किया। हमारे पास पुराने कानून थे, लेकिन पिछली सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाई, वे इसमें पैसा लेकर नहीं आ पाए। लेकिन, इस कानून को लाने के बाद पिछले तीन महीने में हमने एक लाख करोड़ रुपये जमा कर दिया - ऐसा कुछ अगर सरकार कदम उठाएगी और यह कहेगी तो हम इस बिल का बड़े दिल से स्वागत करते हैं।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए यह भी अपेक्षा करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में इस कानून पर अमल और इसका प्रभाव देश को और जनता को दिखाई देगा।

[अनुवाद]

**श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर):** मैं माननीय वित्त मंत्री जी, श्री अरुण जेटली जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कानून को लाने में तेजी दिखाई है, जैसा कि उन्होंने न केवल माननीय प्रधान मंत्री जी के अभियान के दौरान, बल्कि घोषणापत्र में भी वादा किया था, जो इस समय की आवश्यकता है। जैसा कि उन्होंने वस्तुओं और कारणों के विवरण में ठीक ही उल्लेख किया है, नकदी जमा सहित विभिन्न रूपों में जमा काला धन, सामाजिक समावेश के लिए देश के वित्तीय संसाधनों को लूटता है, वास्तविक करदाताओं पर बोझ डालता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है। इसलिए, मैं इस विधेयक का तहे दिल से स्वागत करता हूँ।

यह विधेयक वर्ष 2004 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आने वाला था; लेकिन यह आया नहीं। यह वर्ष 2011 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद आने वाला था; यह तब भी नहीं आया था। यह इन दो अवसरों पर क्यों नहीं आया, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए?

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों द्वारा विदेशों में अवैध रूप से सुरक्षित पनाहगाहों में जमा किए गए काले धन के संबंध में अलग-अलग आंकड़े हैं। काले धन के मामले के मुख्य याचिकाकर्ता ने यह आंकड़ा 1,500 अरब डॉलर यानी रु. 90 लाख करोड़ रखा। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी प्रतिवेदन, यू.एस.ए. के अनुसार, भारत 2012 में 94.76 अरब या रु. 6 लाख करोड़ के काले धन के प्रवाह के साथ तीसरा सबसे बड़ा देश है। रु. 6 लाख करोड़ का यह आंकड़ा केवल वर्ष 2012 के लिए है। पहला चीन होगा - 250 बिलियन डॉलर; दूसरा रूस है; चौथा मैक्सिको है; और पांचवां मलेशिया है।

वर्ष 2012 में सभी विकास देशों से 991 बिलियन डॉलर की पूंजी बाहर चली गई, जिसमें से 10 प्रतिशत अकेले भारत से है। वर्ष 2003 और वर्ष 2013 के बीच भारत से बाहर गया अवैध धन 439 अरब डॉलर- 28 लाख करोड़ रुपये था। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि वर्ष 2003 और वर्ष 2012 के बीच, वैश्विक वित्तीय अखंडता प्रतिवेदन के अनुसार, भारत से, यू.एस.ए., 439 बिलियन डॉलर - 28 लाख करोड़ रुपये है। औसतन,

इस अवधि के दौरान वर्ष 2003 और 2012 के बीच हर वर्ष 2.8 लाख करोड़ रुपये भारत से बाहर भेजे गए थे। अन्य एजेंसियों और व्यक्तियों ने भी अन्य आंकड़े दिए। इसलिए, कोई भी नहीं जानता कि उन सुरक्षित पनाहगाहों में कितना काला धन खड़ा है। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत है कि भारत में काले धन के पैमाने ने बड़े आयाम प्राप्त किए हैं।

उच्चतम न्यायालय के पहले निर्दिष्ट निर्णय पर वापस आते हुए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन इस बात से अच्छी तरह जानता है कि उच्चतम न्यायालय ने जुलाई, 2011 में एक विशेष जांच दल गठित करने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री जी को निर्देश देते हुए निर्णय दिया था। लेकिन स्पष्ट रूप से, यू.पी.ए. ने नियुक्ति नहीं करने का फैसला किया। मैं श्री अरुण जेटली और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों के भीतर और वह भी पहली कैबिनेट बैठक में ही एस.आई.टी. गठित कर दी। 15 सितंबर, 2014 को राजस्व सचिव के नेतृत्व में सी.बी.डी.टी. के अध्यक्ष के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने स्विस् बैंकों में जमा काले धन की जांच के संबंध में स्विट्जरलैंड में संबंधित अधिकारियों के साथ एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। बैंकिंग प्रणाली में सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान के लिए चर्चा चल रही है और स्विस् हमारी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हुए।

काले धन के मुद्दों को संबोधित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले घोटालों से बचने और देशों की स्थिरता और सुरक्षा लाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2004 में अपने प्रस्ताव सं.58/4 के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि को मंजूरी दी और अपने सदस्य देशों से इसे अनुमोदित करने का अनुरोध किया। सम्मेलन में निवारक उपायों और अपराधीकरण और कानून प्रवर्तन के बारे में विस्तृत लेख शामिल हैं। अनुच्छेद 40, अध्याय 3 के तहत जो संधि के अपराधीकरण और कानून प्रवर्तन से संबंधित है, स्पष्ट रूप से कहता है कि – प्रत्येक राज्य पक्ष सुनिश्चित करेगा कि, इस संधि के अनुसार स्थापित अपराधों की घरेलू आपराधिक जांच के मामले में, उसके घरेलू कानूनी प्रणाली के भीतर उपयुक्त तंत्र उपलब्ध हों ताकि बैंक गोपनीयता कानूनों के आवेदन से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

## **अपराह 05.00 बजे**

यह संधि जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करती है और बैंकों को ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करने के लिए अनिवार्य करती है और उन्हें काले धन को संबोधित करने और वापस लाने के लिए कानूनी प्रणाली में आवश्यक तंत्र प्रदान करने का निर्देश देती है।

हमने वर्ष 2005 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न वर्गों के दबाव के बावजूद, यू.पी.ए. सरकार ने वर्ष 2011 तक, यानी काले धन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ सप्ताह पहले तक, इसे अनुमोदित नहीं करने का निर्णय लिया। यू.पी.ए. ने यह कहकर सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया कि वह काला धन वापस लाने के लिए गंभीर है। इस उद्देश्य के लिए एस.आई.टी. का गठन करने की तो बात ही छोड़िए, इन्होंने तो कोई कानूनी तंत्र नहीं लाया। इसलिए, वास्तव में, यू.पी.ए. ने कुछ नहीं किया है और एन.डी.ए. इस संबंध में हर संभव प्रयास कर रहा है।

महोदय, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि काले धन पर इस सरकार का दृष्टिकोण साहसिक नहीं, बल्कि दृढ़ है। माननीय वित्त मंत्री जी कभी भी डी.टी.ए.ए. के 'गोपनीयता खंड' का सहारा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। बल्कि, वह काले धन के स्रोतों तक जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इसे स्रोत पर नहीं रोकते, काले धन को बाहर जाने से रोकना लगभग असंभव है।

यह बताया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के हालिया अध्ययन के अनुसार, देश में उत्पन्न काला धन सकल घरेलू उत्पाद का 70 प्रतिशत है। सबसे कम आंकड़ा 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत हो सकता है। कुछ एजेंसियों ने हमारे जी.डी.पी. का 100 प्रतिशत होने का अनुमान भी लगाया है। लेकिन संभावित आंकड़ा हमारे आधिकारिक जी.डी.पी. से 70 प्रतिशत अधिक प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि आपके पास काले धन के रूप में एक समानांतर अर्थव्यवस्था है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे काले धन के स्रोत पर नकेल कसें, तभी हम स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। साथ ही, मैं काले धन से लड़ने के उद्देश्य वाले अन्य देशों के साथ पेरिस स्थित आर्थिक

सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) के नए प्रोटोकॉल में शामिल होने का भी सुझाव दूंगा। यह वर्ष 2017 तक विदेशों में खातों पर वित्तीय और अन्य जानकारी के मुक्त प्रवाह में मदद करेगा।

विधेयक का खंड 73 सरकार को ओ.ई.सी.डी. का सदस्य बनने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

सभा इस बात से अवगत है कि कर योग्य आय को छिपाना एक दीवानी अपराध है। लेकिन यह विधेयक, खंड 88 के तहत, विदेशी परिसंपत्तियों के संबंध में आय को छिपाने या कर की चोरी के अपराध को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और फेमा, 1999 के तहत एक विशेष अपराध बनाता है—एक ऐसा अपराध जो धन शोधन की ओर ले जाता है। इससे प्रवर्तन एजेंसियों जैसे आई.टी. विभाग, ई.डी., सी.बी.डी.टी. आदि को विदेशों में रखी बेहिसाब संपत्तियों को कुर्क करने और जब्त करने और काले धन का शोधन करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने में मदद मिलती है। यह एक अच्छा प्रावधान है।

दूसरा, इसे आपराधिक अपराध बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डी.टी.ए.ए. के तहत आपको जानकारी नहीं मिल सकती है यदि यह एक सिविल अपराध है।

**माननीय सभापति:** कृपया समापन करें।

**श्री जयदेव गल्ला:** मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। मैंने इसे पहले भी अलग-अलग मौकों पर उठाया था। जे.ए.एम. की त्रिमूर्ति जन धन योजना, आधार और मोबाइल के साथ, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है क्योंकि अगर हम पूरे भारत में नकदी के उपयोग को कम करते हैं, तो निश्चित रूप से यह काले धन को कम करेगा और, मुझे लगता है कि अगर हम एम-कॉमर्स कानून लाएंगे, प्री-पेड मोबाइल सिम कार्ड को डेबिट कार्ड और पोस्ट-पेड सिम कार्ड को क्रेडिट कार्ड के रूप में अनुमति देते हैं, तो यह बड़े पैमाने पर नकदी के उपयोग को कम करेगा और निश्चित रूप से काले धन के उपयोग को भी कम करेगा।

महोदय, काला धन भ्रष्टाचार को सक्षम और वित्तपोषित करता है। अतः, वास्तविक मुद्दा भ्रष्टाचार है; चाहे वह राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, आर्थिक भ्रष्टाचार हो या सामाजिक भ्रष्टाचार, यह संगठित अपराध, क्रोनी कैपिटलिज्म, कॉरपोरेट धोखाधड़ी और आतंकवाद की ओर ले जाता है। यह सर्वव्यापी है और समाज के सभी वर्गों में व्याप्त है। हमें इस तरह के कानूनों के अलावा राष्ट्रीय मानसिकता में बदलाव की भी जरूरत है और हमें सांस्कृतिक परिवर्तन की भी जरूरत है क्योंकि नागरिक समाज का हर वर्ग इस बीमारी से ग्रस्त है। इसलिए, मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरह के विधेयक से आगे बढ़कर बहस शुरू करे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने समाज की मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी (महबूबनगर):** अध्यक्ष महोदय, मैं अप्रकटित आय और आस्ति विधेयक, 2015 पर कर अधिरोपण पर बहुमूल्य चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो विशेष रूप से विदेशों में जमा काले धन से संबंधित है। जहां मैं इस विधेयक के प्रावधानों का स्वागत करता हूं, वहीं इस विधेयक पर मतदान से पहले इस सभा के विचार के लिए मेरे पास कुछ विनम्र सुझाव भी हैं।

सबसे पहले, अप्रकटित विदेशी आस्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति काले धन पर 30 प्रतिशत कर और 30 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करने पर धन वापस ला सकता है और इसका उपयोग भारत में कर सकता है। इस विधेयक का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि घोषणा करने वाले व्यक्ति पर किसी भी कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे फेमा, आई.टी. अधिनियम, धन कर अधिनियम, ब्याज अधिनियम, आदि जैसे किसी भी कानून के तहत कोई अतिरिक्त कर या जुर्माने का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिसने अपना अवैध धन विदेशों में जमा किया है, वह देशभक्त या लोक सेवक नहीं है। क्षमा योजना एक निवारक कारक के रूप में कार्य नहीं करेगी। यह देखने के लिए कोई अन्य तंत्र भी होना चाहिए कि ऐसे अपराधी फिर से विदेशों में काला धन जमा करने में शामिल न हों। इसे जो भी नाम दिया जाए, इससे कर चोरी करने वालों के प्रोत्साहन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसी योजना से नैतिक खतरा पैदा होने की संभावना है और इसलिए, इससे बचा जाना चाहिए।

दूसरा, ऐसा लगता है कि यह विधेयक काले धन को वापस लाने में मदद नहीं करेगा और केवल उन लोगों से 'राजस्व' एकत्र करने में मदद कर सकता है जो पकड़े गए हैं। विधेयक में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो विदेशों से सहयोग करने और अपने बैंकों में खाते रखने वाले भारतीयों के नाम घोषित करने के लिए कहे। यह अनिवार्य रूप से बहुत कठोर उपायों के साथ एक आयकर प्रकार के विधेयक के रूप में दिखाई देता है।

तीसरा, विधेयक में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जुर्माना लगाने या अभियोजन से संबंधित किसी भी कार्यवाही के उद्देश्य के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होने की घोषणा से प्रतिरक्षा का प्रावधान नहीं है।

चौथा, विधेयक के तहत प्रस्तावित कर की 30 प्रतिशत दर में कुछ कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है जैसे कि कुछ वर्ष पहले संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है और ऐसी संपत्ति का मूल्य काफी बढ़ गया है। घोषणा करने वाला व्यक्ति ऐसे अवास्तविक मूल्य पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो उस राशि से काफी अधिक होगी जो घोषणाकर्ता ने निवेश की होगी। यह उचित होगा यदि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के वर्ष में निवेश की गई राशि या अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर कर लगाया जाए।

पाँचवाँ, प्रस्तावित विधेयक में, एक आकलन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इससे ऐसी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं जहाँ समय अंतराल के साथ किसी व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है जिससे उस वर्ष में भ्रम पैदा हो जाता है जिसमें अप्रकटित विदेशी संपत्ति पर कर लगाया जाएगा।

छठा, यदि संपत्ति आंशिक रूप से आय से अर्जित की जाती है जो भारत में कर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो ऐसी संपत्ति की आंशिक घोषणा की अनुमति दी जानी चाहिए।

सातवाँ, कर प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की रणनीति को भी आगे बढ़ने और काले धन के सृजन की समस्या का समाधान करने और सीमाओं के पार काले धन की आवाजाही को रोकने के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

समस्या निश्चित रूप से दुर्गम नहीं है और इसकी इच्छा होनी चाहिए। तत्परता ही सब कुछ है। लोगों को शामिल करें और देखें कि लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाता है। महोदय, 95 प्रतिशत आबादी के पास काला धन नहीं होगा। केवल कुछ ही लोगों के पास यह है और इसे एक अवधि में नियंत्रित किया जा सकता है।

अंत में, सरकार की इस पहल की प्रशंसा करते हुए, मैं केवल यह चाहता हूँ कि सरकार हमारे देश के सभी हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखे।

एक बात और कहना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि अर्जित विदेशी आय और विदेशी संपत्ति की घोषणा की जानी चाहिए। हमारे विद्वान वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी को यह पता होना चाहिए कि विदेशी आय अर्जित की जाती है और विदेशी संपत्ति का निर्माण तभी होता है जब आप वास्तव में संघर्ष करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। वे एन.आर.आई. और नागरिक जो विदेश में हैं, वे वास्तव में अपनी आय अर्जित करने और वहां बहुत सारी संपत्ति बनाने के लिए संघर्ष करते हैं।

जब यह विधेयक आता है और मूल्यांकन किया जा रहा है, तो आपको यह देखना चाहिए कि एन.आर.आई. और विदेशों में रहने वाले नागरिक इसके दायरे में न आएं। यह केवल उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्होंने इस देश में काला धन कमाया है और इस राशि को विदेशों में जमा किया है। आप नाम जानते हैं। यह कहा गया है कि स्विट्जरलैंड में 1500 बिलियन डॉलर पहले से ही है। आप जानते हैं कि उन खातों को कौन रखता है। ऐसे लोगों को वास्तव में दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से एन.आर.आई. और विदेशों के नागरिक, जिन्होंने वास्तव में अपनी कमाई के लिए संघर्ष किया है और संपत्ति और पैसा कमाया है, उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। अतः, इस पहलू पर इस विधेयक में ठीक से गौर किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

**डॉ. ए. संपत (अट्रिंगल):** धन्यवाद, सभापति महोदय। भले ही मैं अर्थशास्त्र का छात्र हूँ, फिर भी मैं कुछ आर्थिक स्थितियों के बारे में थोड़ा अज्ञानी हूँ। भले ही मैं भी कानून का छात्र हूँ, लेकिन मैं अपने वर्तमान वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के सामने अपना सिर झुकाना चाहता हूँ।

### अपराह 05.11 बजे

(डॉ. पी. वेणुगोपाल पीठासीन हुए)

मैं भारत सरकार से कुछ ठोस जवाब प्राप्त करना चाहूँगा। कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मैं यहां उठाना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी ने तीन कारण बताए हैं कि इस विधेयक को स्थायी समिति को क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। मैं काले धन के आंकड़ों में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काले धन की अच्छी जानकारी नहीं है। यह सरकार या बाद की सरकारों की प्रथा बन गई है कि विधेयकों को स्थायी समितियों को नहीं भेजा जा रहा है। महत्वपूर्ण विधेयक भी स्थायी समितियों को नहीं भेजे जाते हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान, 40 से अधिक महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की गई है और पारित किए गए हैं। यह सिर्फ प्रस्तावना, विचार और पारित करना है। इन तीनों चीजों को स्थायी समितियों को संदर्भित किए बिना सभा में किया गया है।

भले ही मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी से भी जूनियर हूँ, फिर भी हमें संसदीय प्रणाली और संसदीय स्थायी समितियों की पवित्रता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्थायी समितियों को भी इस सदन की तरह ही विश्वास में लिया जाना चाहिए। यहाँ, महोदय, मुझे उन तीन कारणों से असहमत होने की अनुमति दी जा सकती है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में बताए हैं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह एक अलग बात है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ लेकिन इस प्रावधान के साथ कि इस पर पहले स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। एक अंग्रेजी गाना है जिसे हम सभी ने सुना है और कभी-कभी हमारे बच्चे भी इसे टीवी पर सुनते हैं – "मनी, मनी, मनी, इट्स अ रिच मैन्स वर्ल्ड." क्या गरीबों की कीमत पर अमीरों की रक्षा के लिए कानून बनाए जा रहे हैं? यह धन कैसे उत्पन्न होता है? यह मेरा विनम्र प्रश्न है। इस तरह की शब्दावली का उपयोग करने के लिए क्षमा करें क्योंकि मैं भी आपकी तरह थोड़ा काला हूँ। यह अवैध रूप से उत्पन्न होता है; यह गैरकानूनी धन है; और इसीलिए हम इसे 'काला धन' कह सकते हैं। यह खराब पैसा है। यह

पैसा देश के नियमों, मानदंडों और प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करके बनाया जा रहा है। इसे देश के बाहर रखा गया है। वहाँ पूंजी की उड़ान है। पूँजी की यह उड़ान क्यों होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग सभी कानूनों में पर्याप्त खामियां हैं। लेकिन यह पलायन केवल राजनीतिक वर्ग, नौकरशाहों और कॉरपोरेट की अपवित्र सांठगांठ से ही हो सकता है।

महोदय, यहाँ, मैं आपका ध्यान एक बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसका उल्लेख मेरे कुछ विद्वान मित्रों ने भी किया। श्री हुडा जी यहां मौजूद हैं, और वास्तव में, उन्हीं ने शुरुआती बल्लेबाजी की थी। विभिन्न क्षमा योजनाएं थीं। लेकिन जब भी सरकार द्वारा क्षमा योजना घोषित की जा रही है, चाहे वह आपकी सरकार हो या उनकी सरकार, मुझे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है; मुझे अपनी जेब में पैसे की चिंता है क्योंकि इसका हर दिन अवमूल्यन किया जा रहा है।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** आप पिछली सरकार का हिस्सा थे।

**डॉ. ए. संपत:** मैं आपकी सरकार का हिस्सा नहीं था। इसके लिए खेद है। मुझे भी न्योता न दें। मैं आपकी सरकार का हिस्सा नहीं बनूँगा। आप इसका आनंद ले सकते हैं... (व्यवधान)

महोदय, यहाँ, मैं इन शब्दों का उपयोग कर सकता हूँ, 'अमीरों का अहंकार, समृद्धि, अहंकार'। हमने पिछले कई दशकों में इसका अनुभव किया है। हर बार जब सरकार कुछ "उदारता" दिखाती है, तो वे सोचते हैं कि आखिरी बस के बाद एक और बस होगी। अंतिम बस के बाद एक और बस आएगी। तो, ऐसा होता है।

महोदय, जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया है, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, कर की चोरी देश को आवश्यक वित्तीय संसाधनों से वंचित कर रही है और ईमानदार कर दाताओं पर आय से अधिक बोझ डाल रही है।

**माननीय सभापति :** कृपया अब निष्कर्ष निकालें।

**डॉ. ए. संपत:** महोदय, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यही कारण है कि जब भी मैं बोल रहा हूँ, तुरंत आपका हाथ घंटी की ओर जाता है... (व्यवधान) आज का दिन खास है। आइए हम भी कुछ मिठाइयों का आनंद लें, महोदय। कम से कम, मुझे मिठाई के बदले कुछ और मिनट दें... (व्यवधान)

निशिकांत जी, मुझे थोड़ा प्यार दिखाएँ। हम वी.पी. हाउस में पड़ोसी थे...। (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** श्री निशिकांत दुबे जी, कृपया उन्हें परेशान न करें।

**डॉ. ए. संपत:** महोदय, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूँ। विभिन्न आंकड़े मौजूद हैं। मुझे सांख्यिकीविदों से कोई असहमति नहीं है। इन्हें वहां रहने दीजिए। लेकिन एक बात है। सबसे पहले, काले धन की मात्रा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा, भारत के बाहर जमा काले धन की मात्रा भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका अंतिम परिणाम यह है कि लगातार बढ़ती हुई समानांतर अर्थव्यवस्था है। हर दिन, यह एक ऑक्टोपस की तरह फैलत जा रहा है। हम इसके शिकार हो रहे हैं।

महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ बातों का उल्लेख किया है। इन्होंने कुछ टिप्पणियों की हैं। वैसे भी, माननीय वित्त मंत्री जी उन टिप्पणियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सरकार ने कुछ तर्क दिए थे, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यहां उच्चतम न्यायालय ने दोहरे कराधान (डी.टी.ए.ए.) से बचने के समझौते का उल्लेख किया है। मेरी पार्टी सी.पी.आई. (एम) ने भी दोहराया कि इस देश में इस प्रकार की सहभागी नोट प्रणाली की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह किसका पैसा है? यह पैसा कौन ले रहा है? यह पैसा कहां से आता है? प्राप्तकर्ता कौन है? वैसे भी, हमें अंधेरे में डाल दिया जाता है। हमने कई देशों के साथ डी.टी.ए.ए. में प्रवेश किया है। कुछ समझौते यू.पी.ए. शासन के दौरान किए गए थे; कुछ समझौते पहली एन.डी.ए. शासन के दौरान किए गए थे। इसलिए, अब, एन.डी.ए. के नेता यू.पी.ए. से कहेंगे: "यह आपकी वजह से है।" और, यह इसके विपरीत भी होगा।

**माननीय सभापति :** कृपया समाप्त करने का प्रयास करें। अभी तक बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है।

**डॉ. ए.संपत:** महोदय, मैं समापन की प्रक्रिया में हूँ।

महोदय, इन सभी समझौतों पर संसद में बिना किसी चर्चा के हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह सरकार भारत की संसद की सहमति के बिना कोई भी समझौता कर सकती है। यह बहुत अफसोस की बात है। यह उसी तरह है जैसे मॉरीशस में मॉरिशियन पते वाले डाक बक्से खोलने की अनुमति देना और आपके काले धन को सफेद रूप में भारत में पुनर्निर्देशित करने की अनुमति देना। तो, काला धन जो बाहर जाता है, सफेद रूप में वापस आ सकता है।

इस सभा में और राज्य सभा में भी चर्चा शुरू की गई थी, मॉरीशस सरकार ने एक बयान जारी किया है कि हम काले धन को बर्दाश्त नहीं करते हैं और हम ऐसी जगह नहीं हैं जहां धन शोधन की जा सकती है और हमारे भारत सरकार आदि के साथ अच्छे संबंध हैं। लेकिन अभी भी कर पनाह वाले देश क्यों हैं? इन कर पनाह वाले देश का इस्तेमाल काले धन को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है। समापन करने से पहले, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी उस बात का उत्तर देने के लिए तैयार हो सकते हैं?

हर वर्ष, हम सोने का आयात कर रहे हैं। हम टनों और टनों सोना आयात कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की सरकार ने एक बयान दिया कि इतनी मात्रा में सोना भारत को निर्यात किया गया है। भारत में सोने के आभूषण और आभूषण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमने केवल इतनी ही मात्रा में सोने का आयात किया है। लेकिन स्विट्जरलैंड से होने वाले निर्यात और स्विट्जरलैंड से भारत में होने वाले आयात में अंतर है। तो, क्या होता है कि जैसा कि कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह ओवर-इनवॉइसिंग और अंडर-इनवॉइसिंग के कारण है।

एक सुझाव आया है। एन.आर.आई. को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हमारे पास अन्य देशों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों की सबसे बड़ी संख्या है जो भारत से हैं। वे न केवल मेरे राज्य से हैं बल्कि लगभग सभी अन्य राज्यों से भी हैं। उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

**माननीय सभापति :** कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)...<sup>17\*</sup>

---

<sup>17\*</sup> कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री वाराप्रसाद राव वेलागपल्ली (तिरुपति):** मुझे यह अद्भुत अवसर देने के लिए मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूँ। मैं सरकार को इस तरह का कानून लाने के लिए बधाई देता हूँ, जिसकी इस देश को दो कारणों से सख्त जरूरत है।

मैं राजनीतिक पहलू पर नहीं बोलूंगा। राजनीतिक कारणों के अलावा, हमें धन की आवश्यकता क्यों है, यह है कि जो धन हमारे देश का है, वह कहीं और छिपा हुआ है। हमें विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए और आर्थिक विकास के लिए उस धन की आवश्यकता है।

हमें धन की भी आवश्यकता है क्योंकि उस धन का उपयोग आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य गतिविधियों जैसे बुरे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इसलिए, एक से अधिक कारणों से, मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार को बधाई देता हूँ। छह महीने के भीतर स्वैच्छिक घोषणा के संबंध में मेरे पास सुझाव हैं। कर तीस प्रतिशत के साथ एक अन्य समतुल्य राशि होनी चाहिए। यह लोगों के लिए घोषणा करने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन नहीं हो सकता है। इसलिए, मेरी राय है कि अगर हम इसे और अधिक सफल बनाना चाहते हैं और हम देश के बाहर से धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो शायद उस साठ प्रतिशत को घटाकर पैंतालीस प्रतिशत या पचास प्रतिशत किया जा सकता है।

दूसरा, परिसंपत्तियों पर जुर्माना काफी अधिक है। आय को छिपाने पर नब्बे प्रतिशत तक जुर्माना लगेगा, लेकिन अघोषित संपत्ति पर, हमारे पास ऐसा करने का तंत्र नहीं है। सरकार को इस पहलू पर गौर करना चाहिए। विवरणी न भरने पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। क्या हमारे पास विवरणी न भरने को लागू करने का तंत्र है? इसलिए, इसे सफल बनाने के लिए, जब तक हमारे पास उचित तंत्र और मशीनरी नहीं होगी, तब तक पैसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा।

महोदय, कई सदस्यों ने उल्लेख किया है कि इस विधेयक में तीन वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की सजा के साथ आपराधिक दायित्व का प्रावधान है। कृपया सुनिश्चित करें कि छोटी मछलियां इस प्रक्रिया में नहीं पकड़ी

जाती हैं। इसलिए, बड़ी मछलियों, जो वास्तव में काले धन का लाभ उठा रही हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए।

इसके बाद, विदेशी परिसंपत्तियों के आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जुर्माना छह महीने से सात वर्ष के कारावास को आकर्षित करता है, लेकिन इसमें यहां के बैंक और वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं। तो, क्या आपको लगता है या सरकार को लगता है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की संपत्ति प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से संभव है? अब तक सरकार ने 85 से अधिक देशों के साथ दोहरा कराधान परिहार समझौता किया है। लेकिन हमारे पास 210 से अधिक देश हैं। इसलिए, इस बात की पूरी संभावना है कि जहां यह कवर नहीं किया गया है, ये लोग हमेशा जा सकते हैं और अन्य देशों में अपना पैसा छिपा सकते हैं। इसलिए, जब तक आप यह नहीं देखते कि यह समझौता अधिकतम देशों के साथ किया गया है, तब तक हम इस कानून को लागू करने में सफल नहीं हो सकते हैं।

5 लाख रुपये से कम यानी 10,000 डॉलर का विदेशी खाता रखने वाले व्यक्ति सुरक्षित हैं। यहां मेरी सलाह है कि जब तक सरकार इसे छात्रों के खाते या पेशेवर खाते की तरह विशिष्ट नहीं बनाती है, तब तक यह पेंडोरा बॉक्स खोल सकती है क्योंकि प्रत्येक परिवार अपने रिश्तेदारों के नाम पर अलग-अलग खाते खोल सकता है। इसलिए, उस खामी को दूर करने की आवश्यकता है।

जैसा कि पहले कई वक्ताओं ने कहा था कि जब तक देश में काले धन पर अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक विदेश जाने का कोई मतलब नहीं है। इसका कारण यह है कि काले धन की उत्पत्ति भारत में शुरू होती है और हमने काले धन के सृजन को रोकने के लिए देश में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। इसलिए, राजनीतिक कारणों से यह अच्छा लग सकता है, लेकिन अन्य व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, इस कानून को लागू करना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारे जी.डी.पी. का 71 प्रतिशत एक समानांतर अर्थव्यवस्था है जो यहां चल रही है। इसका मतलब है, यह मानते हुए कि हमारी जी.डी.पी. दो ट्रिलियन डॉलर है, लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर की समानांतर अर्थव्यवस्था यहां चल रही है।

पी.आई.एल. के संबंध में जहां उच्चतम न्यायालय ने एस.आई.टी. शुरू की है, मुझे नहीं लगता कि हमने उस एस.आई.टी. का ज्यादा प्रभाव देखा है। इसलिए, जब तक कि देश के स्तर पर हम यहां बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं हैं, इस प्रकार का कानून लाने से बहुत अधिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। तो, जो कुछ भी करना है वह पहले देश स्तर पर भी किया जाना चाहिए। हमें एक बड़ी उम्मीद है क्योंकि वर्ष 2017 में, ओ.ई.सी.डी., आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान के साथ आने वाला है। शायद, यह हमारे लिए कुछ उपयोगी होगा।

यह मामला बेहद संवेदनशील है। इसमें परिवार के सदस्य और अन्य लोग भी शामिल हैं। इसलिए, इसे बहुत सारी संवेदनशीलता से निपटा जाना चाहिए। निवासी भारतीयों के परिवारों को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, और प्रवासी, जो भारत में अपने शारीरिक प्रवास के आधार पर निवासी बन जाते हैं, उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए, संवेदनशीलता की बहुत आवश्यकता है। पर्याप्त मशीनरी की आवश्यकता है।

मेरा यहां यह सुझाव है कि यदि आप यहां वास्तव में गंभीर हैं, तो हमें देश के स्तर पर ध्यान रखना होगा और विशेष रूप से बेनामी लेनदेन को रोका जा सकता है। दूसरा, कैशलेस देश को यहां धीरे-धीरे पेश किया जा सकता है। इस तरह की चीजों से ही केवल, हम काले धन की पीढ़ी को रोक सकते हैं।

मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री तारिक अनवर (कटिहार):** माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात इस तरह से शुरू करना चाहता हूँ कि पिछले लोक सभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी जी ने और भाजपा ने देशवासियों से एक बहुत बड़ा वादा किया था और वह वादा काले धन की वापसी का था। प्रधान मंत्री बनने के बाद भी नरेन्द्र मोदी जी बार बार कहते रहे कि इस छुपे हुए धन से देश के विकास की तस्वीर बदल सकती है, देश की अर्थ-व्यवस्था बदल सकती है और हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हर कीमत पर काला धन देश में वापस लाया जाएगा।

सत्ता सम्भालने के बाद एक वर्ष बीत जाने के बाद वित्त मंत्री देश के खोए हुए धन को वापस लाने के मकसद से आज " अनडिस्क्लोज्ड फारेन इनकम एंड असेसट्स बिल, 2015 " ले कर आए हैं। दूसरी ओर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काले धन की वापसी को लेकर सिरे से उस मसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ एक चुनावी जुमला था और इसलिए उस पर उतनी संजीदगी से विचार करने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी के अध्यक्ष की ब्लैक मनी के बारे में यह भावना हो, उससे यह उम्मीद करना कि काला धन वापस आएगा, कभी-कभी शक होता है।

चुनाव के दौरान यह भी वायदा किया गया था कि 15 से 20 लाख रुपये हर व्यक्ति के खाते में जमा होंगे और लोगों ने उस बात पर यकीन भी कर लिया... (व्यवधान) अब यह सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है और उस को लेकर यह काफी परेशान भी है। चुनावी राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े-बड़े वायदे कर जाते हैं और लोगों को प्रभावित करने के लिए या अपने पक्ष में करने के लिए कुछ ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो बाद में हमारे लिए मुसीबत भी बन जाती हैं। वही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई है। अगर सिर्फ कानून बना देने से इस का हल निकलता तो हम पहले भी कई बार बदलाव लाए हैं, लेकिन उसके परिणाम बहुत सुखदायक नहीं रहे हैं। टैक्स लेने की प्रथा में तब्दीली जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सरल तौर पर टैक्स नहीं लेंगे, जिस तरह से हमने एक कानून बनाने का प्रयास किया है, जीएसटी द्वारा एक शुरुआत करने की

कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ कि हर टैक्स में सरलता बरतने की आवश्यकता है ताकि लोगों को टैक्स देने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आखिर काले धन के पैदा होने का क्या स्रोत है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। लोग सोचते हैं कि यह पैसा उनकी परिश्रम की कमाई है और सरकार उस कमाई को उनसे लेना चाहती है और इसलिए वे उस पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे हर वह तरीका अपनाते हैं जो गैर-कानूनी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि टैक्स चोरी का रास्ता बताने वाले कोई और नहीं होते बल्कि इनकम टैक्स के पदाधिकारी या दूसरे पदाधिकारी जिन्हें टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती है, वे ही बताते हैं कि कैसे टैक्स चोरी की जाए। इसके बाद विदेशों में काले धन को छिपाने के लिए बेनामी खाते खोले जाते हैं। हवाला के जरिए काले धन का ट्रांसफर विदेशी बैंकों में किया जाता है। टैक्स हैवन देशों में वह पैसा जमा किया जाता है और उस काले धन से और आधिक काला धन कमाने के लिए अलग-अलग उपाय किए जाते हैं। स्टॉक मार्केट से लेकर रीयल एस्टेट में काले धन का उपयोग जोर-शोर से होता है। सट्टा बाजार सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके सबसे अधिक काले धन का उपयोग होता है। हर चीज में सट्टा लगाया जाता है। क्रिकेट के मैचों के परिणाम से लेकर चुनावों के परिणाम में भी सट्टा लगता है। सट्टा बाजार में अरबों और खरबों रुपये लगाए जाते हैं। सट्टा बाजार से सरकार को एक पैसे की आमदनी नहीं होती है और पूरा सट्टा बाजार काला धन आर्जित करने के लिए होता है, जिसका जाल देश से लेकर विदेश तक फैला हुआ होता है। इन तमाम बातों को जानने के बाद भी सरकार लाचार है, सट्टा बाजार पर किसी प्रकार का अंकुश लगाने में असफल है। सट्टा बाजार का कारोबार सरकार की आंखों के सामने हो रहा है, परन्तु सरकार उस दिशा में कोई भी कदम उठाने में मजबूर और लाचार दिखती है। हमारे वित्त मंत्री जी क्यों नहीं ऐसा कोई उपाय करते हैं जिससे सट्टा बाजार की आमदनी से टैक्स वसूला जाए। इससे सरकार के खजाने में कुछ हिस्सा लाया जाए। कई देशों में इस संबंध में कानून में संशोधन किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का दावा है कि उनमें सूझ-बूझ की कोई कमी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वे अपनी सूझ-बूझ का इस्तेमाल काले धन को वापस लाने में भी करें। हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि काले धन का बड़े पैमाने पर उपयोग चुनावों में भी होता है, हमें अपने गिरेबान में भी

झांकने की जरूरत है। इसके लिए भी हमें कोई ठोस नीति अपनानी होगी। हमारा चुनाव आयोग इस मामले को नियंत्रित करने में पूरी तरह सफल नहीं है। हर चुनाव में काले धन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। अगर सही मायने में हम काले धन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहते हैं तो चुनाव में इसका उपयोग कम से कम हो, इसके लिए विचार करना जरूरी है। काले धन या गलत ढंग से कमाए गए धन को अगर हम कम करना चाहते हैं तो सरकार को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी, सिर्फ कड़े कानून बनाने से काले धन पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और वित्त मंत्री जी द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करता हूँ।

**योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):** सभापति महोदय, विदेशी बैंकों में रखे गए काले धन को वापस लाने से संबंधित इस विधेयक के समर्थन में मैं यहां खड़ा हुआ हूं। मैं आभिनंदन करना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने भ्रष्टाचार की रीढ़ पर प्रहार करने और देश के अंदर काले धन से होने वाली तमाम दुष्प्रवृत्तियों की रीढ़ को तोड़ने के लिए एक सख्त कानून को इस देश में लागू करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

महोदय, काले धन संबंधी जो बातें देश के अंदर होती रही हैं, आजादी के बाद से ही लगातार यह विषय चर्चा और कौतुहल का विषय रहा है, साथ-साथ इस संबंध में तमाम प्रकार के जो वक्तव्य आते रहे हैं, उनमें भी आपस में काफी विरोधाभास रहा है। केवल नीति बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए नीयत भी होनी चाहिए। मैं विपक्ष के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि सरकार ने उस दृढ़ संकल्प और नेक नीयत का परिचय दिया है। इस सरकार का गठन होने पर सबसे पहली कैबिनेट की बैठक में यह संकल्प पारित हुआ था कि काले धन विदेशी बैंकों में रखे काले धन को वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन हो। यह इसी सरकार का देन है, जिसको कांग्रेस कई वर्षों से लटकाने का कार्य कर रही थी।

महोदय, यह कौन नहीं जानता है कि इस देश में समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में काले धन ने इस देश की पूरी व्यवस्था को प्रभावित किया है। केवल अर्थव्यवस्था को ही नहीं, देश में समाज के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं में, देश के अंदर भुखमरी समाप्त हो, गरीबी की समस्या का समाधान हो, आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद की समस्याओं का समाधान हो, इसमें भी काले धन और समानांतर अर्थव्यवस्था ने कहीं न कहीं रोड़े अटकाए हैं।

खासतौर से जब हम गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं तो इस देश में रीयल इस्टेट की क्या स्थिति है, यह भी देखें। जब से इस देश में 2008-2009 से कालाधन लाने की बात हो रही है, तो बातें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। पहली तो यह है कि रीयल इस्टेट में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। अचानक जमीनों के दाम बढ़े और दूसरा यह कि गरीबों के लिए मकान लेना बहुत दुष्कर हो गया। क्या हम इन स्थितियों को देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए यह विधेयक आज के दिन अत्यंत आवश्यक है। जो लोग यह कहते थे कि सरकार केवल वादा करती है, मुझे लगता है कि यह उनके मुंह पर एक तमाचे के समान है। पहले एस.आई.टी. का गठन करना, फिर

इस विधेयक द्वारा जितना मजबूत कानून हो सकता है, उतनी मजबूती प्रदान करने के लिए इसे पास कराने के लिए सदन में रखना, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। इतना महत्वपूर्ण और इतना सख्त कानून बनाने का पहले कभी प्रयास नहीं हुआ।

इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान हैं। विदेश में आय या सम्पत्ति पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा, अगर कोई सम्पत्ति छुपाता है तो उस पर टैक्स की तीन गुना पैनल्टी लगाने का प्रावधान भी है। इसके आतिरिक्त जुर्माने की राशि अघोषित सम्पत्ति के 90 प्रतिशत के बराबर होगी। आयकर रिटर्न में विदेशी सम्पत्ति का खुलासा न करने पर दस लाख रुपए की पैनल्टी, विदेश में आय छुपाने पर आपराधिक मामला चलेगा। जानबूझकर टैक्स चोरी करके विदेश में सम्पत्ति जमा करने वालों को तीन से दस वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा रिटर्न में विदेशी सम्पत्ति के बारे में अधूरी या गलत जानकारी देने पर छः माह से सात वर्ष की सजा का प्रावधान भी है। टैक्स चोरी में मदद करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों पर भी प्रावधान लागू करने की व्यवस्था इस विधेयक में है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने पर तीन से दस वर्ष का कारावास और 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। ये तमाम प्रावधान इस विधेयक के वे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी इस देश के आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यकता थी।

महोदय, यह हमेशा विवाद का विषय रहा है कि कितना कालाधन है, चाहे वह विदेशी बैंकों में हो या देश में हो। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के तत्काल बाद से पहले इस देश के अंदर जो बात चली, एन. कारडोर ने 1953-1954 में 600 करोड़ रुपए बताए थे। जबकि पाचू समिति ने 1961-1962 में 700 करोड़ रुपए और 1965-1966 में 1,000 करोड़ रुपए के कालेधन की बात कही थी। उसी समिति के एक माननीय सदस्य डी.के. रंगनेकर, इन्होंने 1961-1962 में 1150 करोड़ रुपए, 1969 से 1978 के बीच में 3,080 करोड़ रुपए की बात कही। इसी मामले में जब आगे बात चली तो आईआईएम के प्रोफेसर आर. वैद्यनाथन ने इस बात को कहा कि कुल कालाधन 72 लाख करोड़ रुपए से आधिक का है। इतनी बड़ी धनराशि और वह धनराशि किस रूप में अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, संगठित अपराध के रूप में, आतंकवाद और नशीली पदार्थों की तस्करी के रूप में, रीयल इस्टेट में, फिल्म उद्योग में। यह आश्चर्यजनक है कि 22 वर्षों में दाऊद के प्रत्यारोपण

की बात हो रही है, लेकिन दाऊद का पूरा का पूरा आर्थिक साम्राज्य चल रहा है और उस पर प्रहार करने के लिए इस प्रकार का कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह कालाधन केवल संगठित अपराध ही नहीं, इस देश के खिलाफ आतंकवाद को, अलगाववाद को भड़काने की

कुत्सित चेष्टा है और इस प्रकार का सख्त कानून ही इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों की रीढ़ पर जोरदार प्रहार करके उसे तोड़ने का कार्य करेगा। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकने का भी कार्य करेगा।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इतना सख्त कानून उन्होंने यहां पर इस विधेयक के माध्यम से लाने का प्रयास किया है। हमें विश्वास है कि न केवल विदेशों में रखा गया कालाधन इस देश के अंदर आएगा, आपितु इस देश के अंदर रखा गया कालाधन भी इस देश की अर्थव्यवस्था में, गरीबी उन्मूलन में और देश की भुखमरी की समस्या को भी दूर करने में सहायक होगा।

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :** सभापति महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जेटली साहब ने अनडिसक्लोज्ड असेट्स के संबंध में जो बिल पेश किया है, इस बिल का हम लोग समर्थन करते हैं। जेटली साहब कलम के धनी हैं, विद्वान हैं और उनसे देश अपेक्षा रखता है और लाजिमी भी है कि देश में काला धन सभी के लिए आभिशाप बना हुआ है। काले धन की वापसी का संकल्प पूरे सदन का होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि विदेशों में कितना काला धन है? इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं? किस-किस का काला धन है? इसका पता लगाना चाहिए और डिसक्लोज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत विलम्ब हो रहा है। देश और आवाम के सामने क्या वायदा किया गया था? देश के नौजवान और किसान के सामने यह वायदा किया गया था और बड़े ही डंके की चोट पर कहा गया था कि देश में हमारी सरकार को लाओ और विदेश से काला धन पाओ। लोगों को बड़ी खुशी हुई और चारों तरफ लोग होली और दीवाली मनाने लगे। यह भी कहा गया कि साढ़े 26 लाख करोड़ रुपये का काला धन सौ दिन में विदेश से देश में आएगा और प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपये आएंगे। ठीक है, बाद में उस पर जो भी चर्चा हो, शगुफा हो, लेकिन देश और देश का नौजवान जानना चाहता है कि 15 लाख रुपये देने का जो वायदा किया गया था, वह पूरा क्यों नहीं हो रहा है? आज यह कहा जाता है कि यह शगुफा है। वड़ोदरा से लेकर बनारस तक यह चर्चा हुई। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए कि आज हर परिवार मुंह बाये खड़ा है। घोषणा की गई, लेकिन उससे यू-टर्न ले लिया गया। भावना को भड़काया गया कि सब के खाते में 15-15 लाख रुपये पहुंचाएंगे। इसलिए आपका चमक फीका है। हमें आज इन बातों पर गौर करना पड़ेगा कि विदेशों में जो काला धन जमा है, वह देश का पैसा है और जिन लोगों ने जमा किया है, उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा होने की आवश्यकता है। आज काला धन देश में आना चाहिए, यह गरीबों का खून चूसकर बनायी गयी है। काला धन वापस लाओ, वायदे को पूरा करो। सत्ता से अन्यथा आपको जनता बेदखल कर देगी, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज छोटे-छोटे बच्चों से कहा जा रहा है कि उनके पास काला धन है। जिनका भी काला धन है, उसको साबित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस का वायदा किया है। इसलिए हमें इससे भागना नहीं चाहिए और इन बातों पर गौर करना चाहिए कि काला धन काला नाग है जो देश को डस रहा है और गरीबों को रुला रहा है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** श्री शेर सिंह गुबाया, आप अब बोल सकते हैं। कुछ और कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

... (व्यवधान)... <sup>18\*</sup>

---

<sup>18\*</sup> कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

<sup>19\*</sup>श्री शेर सिंह गुबाया (फिरोजपुर): मैं माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया - "अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015"। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ जो विदेशी बैंक खातों में पड़े काले धन से संबंधित है।

महोदय, काला धन एक कैंसर है जो हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहा है। हमने इस महती सभा में इस खतरे के बारे में कई बार चर्चा की है। असामाजिक तत्वों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा किए गए काले धन को वापस लाने की मांग समाज के सभी वर्गों द्वारा जोर-शोर से की गई है। पूर्ववर्ती यू.पी.ए. के समय में भी इस ज्वलंत मुद्दे पर इस सभा की कार्यवाही बाधित हुई थी। हालाँकि, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मुद्दे से निपटने के लिए एक विशिष्ट कानून लाने के बारे में कभी नहीं सोचा।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी और माननीय वित्त मंत्री श्री जेटली जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस सदन में एक ऐतिहासिक विधेयक लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम विदेशों में विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने में सक्षम होंगे। तब, हम अपने किसानों और समाज के गरीब वर्गों के विकास कार्यों के लिए इस भारी राशि का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, काले धन की उत्पत्ति क्या है? कुछ भ्रष्ट राजनीतिक नेता, व्यवसायी, तस्कर और अन्य बेईमान तत्व अनुचित तरीकों से कमाए गए बेहिसाब धन को अवैध रूप से विदेशों में छिपाकर करों के भुगतान से बचते हैं। वे दंड से मुक्त होकर कानूनों का उल्लंघन करते हैं। यह विधेयक ऐसे संदिग्ध तत्वों को कानून के दायरे में लाएगा। इस तरह के तत्व हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं क्योंकि काले धन का उपयोग अक्सर परेशानी पैदा करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने और देश में प्रतिबंधित ड्रग्स और नशीले पदार्थों को पंप करने के लिए किया जाता है। यह देश को कमजोर करता है।

---

<sup>19\*</sup> मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद।

महोदय, हमने इस खतरे को रोकने के लिए 80 देशों के साथ समझौते किए हैं। हमें दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए इन देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। काला धन सभी देशों के लिए एक साझा खतरा है। इसलिए, अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इस खतरे को समाप्त करने के लिए एक अच्छी तरह से चलने वाली प्रणाली होनी चाहिए। दोषियों को अनुकरणीय दंड दिया जाना चाहिए जो एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है।

महोदय, जेटली जी एक विद्वान व्यक्ति हैं। उन्हें इस समस्या की छोटी-मोटी विवादित प्रक्रियाएँ और सूक्ष्म विवेचनाओं की अच्छी जानकारी है। हालाँकि, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमें आयकर की चोरी से संबंधित अपराधों से निपटने वाले कड़े कानूनों में थोड़ी ढील देनी चाहिए। हमारे देश में काला धन भी पड़ा हुआ है। अगर हमें यह पैसा भी वापस मिल जाता है, तो यह विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

महोदय, अफवाहें फैल रही हैं कि किसानों पर कोई कर लगाया जाएगा। हमारे देश में किसान दयनीय स्थिति में हैं। वे विभिन्न कारणों के कारण आत्महत्याएँ कर रहे हैं। इसलिए, बेबस किसानों पर ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए। बल्कि, विदेशी बैंकों में पड़ा काला धन भारत में लाया जाना चाहिए और कृषि क्षेत्र में लगाये जाना चाहिए। इससे इस क्षेत्र को बहुत आवश्यक बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, अंत में, मैं इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। यह एक जलमग्न घटना है। यह निश्चित रूप से काले धन के खतरे पर लगाम लगाएगा और भारत में लाए जाने और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किए जाने के बाद यह धन निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों के विकास और प्रगति को बढ़ावा देगा। धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) :** सभापति महोदय, काले धन के मुद्दे पर हमारे देश में बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। पिछले तकरीबन 10-12 सालों से सभी पार्टियां इस पर बात करती रही हैं। मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं समझता हूँ कि जिन पर अगर अमल किया जाए तो इस मुद्दे पर अभी भी हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। यूपीए की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी बड़े-बड़े वादे किए गए हैं, परंतु इसके जो असली उपाय हैं उनको कोई सुझा नहीं रहा है। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो एफडीआई निवेश होता है, उसका जो सोर्स है, वह पैसा कहां से आता है, उसको बताने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। वे यह बताने के लिए बाध्य नहीं हैं कि नियमों के अनुसार कि कंपनियां वे पैसा कहां से इन्वेस्ट कर रही हैं। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि एफडीआई या जो विदेशी निवेशक हैं, जो यहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको उस पैसे का सोर्स बताने के लिए मजबूर करना चाहिए और यह पक्का इंतजाम होना चाहिए कि वे बताएं कि हिंदुस्तान में जहां भी वे पैसा लगा रहे हैं, वे कहां से लगा रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। यह सबसे बड़ी एक खामी हमारे सिस्टम में है जो इस कालेधन को बढ़ावा देती है।

दूसरी बात यह है कि जो मारीशस या दूसरे रूट हैं काले धन के, उन सब पर हमें बहुत चौकसी रखनी चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। इसके साथ ही हमने जो पिछले समय में संधियाँ की हैं, उनका जो अब तक असर हुआ है, उन पर अमल करते हुए हमारा काला धन जो बाहर पड़ा है और जिसका बहुत हिस्सा निकाल लिया गया है, बहुत कुछ पैसा हमारा विदेशी बैंकों में पड़ा है - चाहे वह स्विट्ज़रलैंड के बैंक हों, चाहे वह जर्मनी के बैंक हों, उनमें बहुत कम पैसा रह गया है। मैं समझता हूँ कि अभी भी जितना बचा है, अगर उसको वापस लाना है तो उन संधियों पर अमल करते हुए जो हो चुकी हैं या होने के कगार पर हैं, जल्दी से जल्दी पैसा लाया जाए, उन लोगों के नाम बताए जाएँ, सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए और देश के लोगों को बताया जाए कि फलां-फलां व्यक्ति चाहे वह राजनीति से संबंध रखता है या चाहे वह इंडस्ट्री से संबंध रखता है या चाहे वह दूसरी संस्थाएँ हैं, सबको उसके घेरे में लाकर सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि आज भी काला धन जनरेट हो रहा है। एक तो काला धन बाहर पड़ा है, परंतु उस काले धन की चर्चा शुरू होने के बाद भी लगातार लाखों करोड़ रुपये का काला धन हर वर्ष जनरेट होता है। उस पर बंदिश लगाने के लिए क्या कड़े हमारी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, हमारी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि आज भी देश में लाखों करोड़ रुपये का काला धन प्रतिदिन जनरेट हो रहा है और काले धन की एक समानांतर व्यवस्था इस देश में चल रही है।

मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। सबसे ज्यादा काला धन एफडीआई के ज़रिये आता है। एफडीआई को मजबूर करिए कि वह हिन्दुस्तान में अपना पैसा लगाने से पहले अपना सोर्स बताए कि वह पैसा कहाँ से आ रहा है, उस पैसे का सोर्स क्या है। दूसरा, जो विदेशों से पैसा वापस आना है, जो संधियाँ हो चुकी हैं, उन पर अमल किया जाए और काला धन वापस लाया जाए। तीसरा, जो काला धन आज जनरेट हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

**सायं 06.00 बजे**

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आति महत्वपूर्ण अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति कर आधिरोपण विधेयक, 2015 पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, इस विधेयक में सरकार द्वारा कानून के माध्यम से विदेशी आय पर चोरी रोकने और आय को छिपाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। महोदय, देर से ही सही, मगर वित्त मंत्री जी ने काले धन को वापस लाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। आज़ादी के 67 वर्ष हो गए लेकिन काले धन के बारे में आज भी गाँवों में एक चर्चा हो रही है कि विदेश से काला धन वापस आ रहा है। हमारे देश का जो पैसा विदेशों में पड़ा है, उसको लाने का प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में वायदा किया और उन्होंने जो बात कही है, उसकी सीडी खासकर बिहार के प्रत्येक जिले में चलाई जा रही है और लोगों को यह बताया जा रहा है कि हमको 15 लाख रुपया कब मिलेगा और जन-धन योजना के द्वारा जो खाते खुल गए और हम लोगों को पैसा कब तक आएगा। हम लोग इस बात को जब गाँवों में जाते हैं तो माननीय प्रधान मंत्री जी के बारे में बताते हैं और उन्होंने जो बात कही है, उस टेप को भी सुनाते हैं। उन्होंने वादा किया है कि विदेशों में काला धन इतना पड़ा है कि प्रत्येक परिवार को 15 से 20 लाख रुपये जाएँगे। यह बात कोई जुमला नहीं है। उन्होंने जो कहा है, उसकी सीडी हम लोगों के पास है और गाँवों में भी हम लोग इस बात को बताते हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि आपने जो प्रयास किया है यह सराहनीय है, लेकिन अपने जवाब में यह जरूर बताएँ कि विदेशों में जो काला धन पड़ा है, वह कब तक आएगा और जिनका भी काला धन पड़ा है, उनका नाम कब तक आएगा कि देश उसको जान सके। कितना काला धन पड़ा है, इसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। आपने यह भी प्रयास किया है कि अब जो काला धन है, उसको कैसे हम रोकें।  
...(व्यवधान) महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा।

महोदय, अब हम काले धन को बाहर जाने से कैसे रोकें, इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन, एक चीज़ यह है कि काला धन कहां पैदा हो रहा है? काला धन अलग से तो पैदा नहीं हो रहा है। उसे रोकने का उपाय होना चाहिए।

[अनुवाद]

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, छह बज चुके हैं। इस विधेयक पर बोलने के लिए मेरे पास तीन और वक्ताओं की सूची है। यदि सभा सहमत हो तो चर्चा का समय एक घंटे बढ़ाया जा सकता है।

**अनेक माननीय सदस्य:** जी महोदय।

**माननीय सभापति:** तो, सभा का समय एक घंटे तक बढ़ाया जाता है।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** श्रीमान सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय मंत्री जी के समक्ष मेरा पहला निवेदन विधेयक के नामकरण का अध्ययन करना है। माननीय मंत्री जी ने जिस नाम का सुझाव दिया है वह अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक है। आम जनता को क्या संदेश दिया जा रहा है? इस नामकरण या विधेयक के नाम के अनुसार संदेश यह है कि काले धन पर कराधान लगाया जाएगा। क्या यह विधेयक की भावना है? मुझे लगता है कि 'नहीं' क्योंकि विधेयक में कड़े दंडात्मक प्रावधान हैं। इसलिए, माननीय मंत्री जी को मेरा विनम्र सुझाव है कि विधेयक का नाम बदल दिया जाए। मैं एक नाम का सुझाव देता हूँ। यदि यह स्वीकार्य है, तो कृपया इसे स्वीकार करें। यह काले धन की रोकथाम (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति कर अधिरोपण) अधिनियम 2015 है। अन्यथा संदेश और अर्थ विधेयक की भावना के अनुरूप नहीं होगा। यह पहला सबमिशन है जो मैं करना चाहता हूँ।

काले धन की बात करें, तो यह न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि पूरी सामाजिक-राजनीतिक दुनिया के लिए खतरा है। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अमेरिका स्थित संगठन ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी द्वारा दी गई प्रतिवेदन से उद्धृत करता हूँ: "वर्ष 2003 से 2012 तक की दस वर्ष की अवधि में देश से

काले धन का संचयी अवैध प्रवाह बढ़कर 28 लाख करोड़ रुपये हो गया है।" यह प्रतिवेदन है। इसके अलावा, आप कृपया देख सकते हैं कि जब भारत धन के बहिर्वाह में तीसरे स्थान पर है, तो यह हमारे नागरिक के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में दुनिया के दस देशों में सबसे गरीब देशों में से एक है। राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि भारत में उत्पन्न काला धन कुल जी.डी.पी. का 71 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि यू.एस.डी. 1.4 ट्रिलियन है। उदारीकरण से पहले जो वर्ष 1991 से पहले है, यह जी.डी.पी. का केवल 31 प्रतिशत था। इसका मतलब है कि उदारीकरण ने काला धन पैदा करने में मदद की थी। इसने समावेशी विकास में कभी मदद नहीं की। यह दूसरा बिंदु है जो मैं कहना चाहूंगा।

तीसरा, इस मुद्दे को दो तरह से हल किया जाना चाहिए। पहला विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के बारे में है और दूसरा भारत में काले धन के सृजन पर अंकुश लगाने के बारे में है। ये दो मुद्दे हैं जिनका हमें समाधान करना है। मेरा बिंदु यह है कि क्या यह विधेयक इन दो मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त है? मेरे लिए, यह इतना व्यापक नहीं है क्योंकि यह हमारे देश में प्रचलित अधिकांश अधिनियमों का संकलन है, विशेष रूप से आयकर अधिनियम 1961, धन शोधन निवारण अधिनियम के साथ-साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जैसे कुछ अन्य अधिनियम भी हैं। इन सभी अधिनियमों में एक अलग कानून शामिल है। तब भी, मैं इसका समर्थन करूंगा क्योंकि एक अलग कानून की आवश्यकता है। यह समय की मांग है।

मैं माननीय मंत्री जी से तीन स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय संपत्ति को भारत से बाहर ले जाया जा रहा है और विभिन्न रूपों में विदेशी बैंकों में छुपाया जा रहा है जिन्हें कर आश्रय के रूप में जाना जाता है। भ्रष्टाचार, कर और काले धन की चोरी गंभीर और निंदनीय हो गई है और अंतरराष्ट्रीय चिंता का मुद्दा बन गई है। दिसंबर 2004 में पहली बार, संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.ए.सी.) को अंतिम रूप दिया।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 40 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है और मैं उद्धृत करता हूँ:

"प्रत्येक राज्य पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि भ्रष्टाचार से संबंधित आपराधिक जांच में प्रत्येक राज्य का घरेलू कानून बैंक गोपनीयता कानूनों के आवेदन से उत्पन्न होने वाली सभी बाधाओं को दूर करेगा।"

इसका अर्थ क्या है? इस सम्मेलन को वर्ष 2005 में भारत द्वारा अनुमोदित या हस्ताक्षरित किया गया था और बाद में इसे वर्ष 2011 में अनुमोदित किया गया था। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या भारत ने काले धन को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किया है या इस समझौते के आधार पर धन को वापस लाने के लिए कोई प्रयास किया है।

मेरा दूसरा बिंदु संशोधित दोहरे कराधान परिहार संधियों के संबंध में है। आयकर अधिनियम की धारा 90 भी है। ये संशोधित डी.टी.ए.टी. आयकर अधिनियम की धारा 90 के अनुपालन में हैं। डी.टी.ए.टी. केवल एक वैध व्यवसाय पर लागू होता है जो कानून के अनुसार समान आय पर एक से अधिक राज्यों को करों का भुगतान करता है। ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप अब समाप्त कर सकते हैं। आप अपने संशोधनों पर भी बोल सकते हैं।

... (व्यवधान)

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** यह संशोधनों का बारे में नहीं है। ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप अपने संशोधनों को पेश करते समय बोल सकते हैं।

... (व्यवधान)

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** मैं अपने संशोधनों को बाद में रखूंगा।

इसके अलावा, यू.एन.सी.ए.सी. भी मौजूद है। जब इन संशोधित दोहरे कराधान परिहार संधियों की बात आती है, तो यू.एन. सम्मेलन पर इन डी.टी.ए.टी. को दरकिनार कर देगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमने कभी भी विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए यह सिद्धांत लागू किया है।

मुझे एक और अंतिम स्पष्टीकरण चाहिए। वर्ष 2008 में, जर्मन सरकार ने सार्वजनिक रूप से पेशकश की कि अगर कोई देश इसके लिए पूछता है तो वह बिना किसी कीमत के जानकारी साझा करने के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया था। इसके बाद, लिक्टेंस्टीन बैंक में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ जिसमें 1,400 नामों को जारी किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस अवसर का लाभ उठाया है और उन्होंने 300 नाम सामने आने पर शामिल लोगों को दंडित भी किया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कोई कदम उठाया है जो जर्मन सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था।

चूंकि मैंने अधिक समय नहीं लिया है, इसलिए मुझे संशोधनों पर बोलने की अनुमति दी जा सकती है। इन स्पष्टीकरणों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) :** महोदय, आपने मुझे अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इंकम एंड एसेट्स बिल, 2015 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम निरंतर लंबे समय से काले धन की लड़ाई करते आए हैं। अगर हम बात करें तो 24 अगस्त, 1974 को इंदिरा गांधी जी ने अपने पत्र में लिखा था कि काला धन अगर गरीब के पास होगा, तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा, मगर यदि वह अमीर के पास होगा, तो उससे फाइन लेकर उसे छोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। यह बिल बन जाएगा, लागू हो जाएगा, लेकिन चर्चाएँ और आज के इस डिस्कशन से रूपरेखा को हम तय नहीं कर पाएंगे। जब तक इसका फायदा गरीब आदमी तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम यह नहीं मानेंगे कि इस बिल को सदन ने पारित करके भेजा था। मैं यही अपील करूंगा कि जो दोषी, अपराधी पाए जाएं, उनका निपटारा सरकार 6 से 12 महीने के अंदर करने का काम करे। जो आधिकारी उस जांच इंक्वायरी में हो, उसकी सेन्सिटिविटी देखते हुए, उस आधिकारी का ट्रांसफर न हो। हम यूपीए के शासन के अंदर निरंतर देखते आए कि जब-जब कोई बड़ा घोटाला सामने आया तो तुरंत सरकारी आधिकारियों को तबादले के तौर पर कहीं और भेज दिया गया और उसके बाद जब स्कैम धरती पर आया, तो उसमें बड़े-बड़े लूप होल हमें देखने को मिले। मैं एक बात सदन को बताना चाहूंगा कि चौधरी देवीलाल जी ने इसी तरह बुढ़ापा पेंशन की बात की थी। उसको उन्होंने जमीन पर लाने का काम किया था, हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम किया था। आज अगर हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि काले धन की बात हम पिछले तीन-चार सालों से निरंतर सुनते आए हैं और दशकों से इस पर चर्चाएं होती आई हैं। जब तक काला धन हमारे देश में नहीं आएगा, हमारे लोगों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अब तो जन-धन एकाउंट हर एक के पास है, उनके खातों में यह नहीं पहुंचेगा, तो आज इस बिल को बनाने का हमारा कोई फायदा नहीं होगा।

मेरा यही आग्रह रहेगा कि इंक्वायरी तुरन्त प्रभाव से खत्म कर दी जाये और 6 माह, 10 माह या 12 माह का एक टाइम सेट कर दिया जाये कि कोई दोषी पकड़ा जाये, यह बहुत अच्छी बात है कि 30 प्रतिशत, नहीं तो उस पर 120 प्रतिशत फाइन लगा कर, उसको जेल में भी डाला जायेगा। मगर, उस पैसे को देश में ला कर देश

की अर्थव्यवस्था को सुधारने में उसका उपयोग नहीं होगा तो मेरा मानना है कि यह बिल आधा-अधूरा रहेगा। माननीय सांसदों ने जो-जो अपील किए हैं, अगर उन पर भी कोई अमेंडमेन्ट सरकार को लाने पड़े तो जरूर लाने का काम करें। इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

**श्री गणेश सिंह (सतना) :** सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बजट भाषण में जो घोषणा की थी, उस घोषणा को पूरा करने के लिए आज सदन में एक नया कानून प्रस्तुत किया है। वाकई में, इस देश को इस कानून की बहुत जरूरत थी। काले धन को विदेशों से लाने के लिए बहुत राजनीति हुयी। कई राजनैतिक दलों ने तो इसे अपने एजेंडे में ले लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसने पूरे ईमानदारी के साथ देशवासियों से कहा था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम विदेशों से काला धन अवश्य लाने के लिए कोई कठोर कानून बनायेंगे। उस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की, उन्होंने कहा कि हम इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, मैं समझता हूँ कि काला धन बनाने का जो रास्ता है, उस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। यह पहला कदम है कि सरकार ने इतना कठोर कानून बनाने का निर्णय लिया है।

देश के एक-एक नागरिक के जुबान पर यह बात है कि काले धन के कारण हमारे देश का विकास रुका, गरीबी आयी, लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, हमारे गांवों में गरीबों के मकान नहीं बने, आज भी शौचालय नहीं बने, आज भी बच्चों को पढ़ने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं हुयी है। अगर काला धन पहले से रुका हुआ होता तो देश की स्थिति आज से बेहतर हो गयी होती। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने तय किया है कि हमें इस देश से गरीबी और बेरोजगारी मिटानी है। हमें इस देश में हर किसी को पक्का मकान बना कर देना है। हमें घर-घर में शौचालय बनाने हैं। हमें स्किल्ड भारत बनाना है तो निश्चित तौर पर हमें भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। यह भ्रष्टाचार तभी रुकेगा, जब काले धन के रास्ते पर प्रतिबंध लगेगा। हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि गांवों और शहरों के विकास के लिए हमने यहां से जो एक रुपया भेजने का व्यवस्था किया लेकिन वहां गांवों में उसमें से 15 पैसे पहुंचता है। बीच में 85 पैसे गायब हो जाते थे। उनको मालूम था कि वे कौन लोग हैं, जो 85 पैसे गायब कर रहे हैं। मेरी अपनी मान्यता है कि वह जो 85 पैसा वर्षों-वर्षों तक गायब होता रहा है, यह वही काला धन है जो विदेशों में जा कर जमा हो गया। अगर वह चाहते तो वे उसे रोक कर वापस ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।

**सायं 06.13 बजे****(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)**

सचमुच, आज यह कानून दो रास्ते तय कर रहा है। एक रास्ता वह तय होगा कि जो काला धन विदेशों में जमा है, जिनके नाम के बारे में एस.आई.टी. कमेटी के शाह ने जो रिपोर्ट दी है, उनमें जो नाम आये हैं, उनके लिए एक रास्ता खुला है कि वे आयें, टैक्स और पेनाल्टी जमा करें और उससे मुक्त हों। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जो विन्डो सरकार की तरफ से खोली जायेगी, अगर वह समय अवधि पार हो जायेगी तो निश्चित तौर पर उनको दंड भी होगा और अगर वे चाहेंगे कि बच जायें तो वे बच नहीं सकते हैं। अब कालेधन वालों की सूची कहीं न कहीं से पहुंचने का रास्ता खुल गया। एस.आई.टी. पहली बार बनी। उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहे सालों बीत गये थे, लेकिन यू.पी.ए. की पुरानी सरकार उसको बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पायी। हमारी सरकार सत्ता में आयी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में निर्णय लिया कि हम एस.आई.टी. बनायेंगे। एस.आई.टी. को बना कर उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि हमने जो वायदा किया है, हम उन्हें पूरा करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुयी है। वित्त मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने देश में एक नयी व्यवस्था शुरू की है। आज विदेशों में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गयी है कि दुनिया में सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कोई है तो वह भारत की अर्थव्यवस्था है।

आज भारत के गरीब आदमी को भी महसूस होने लगा है कि हम प्रधान मंत्री जन-धन योजना के माध्यम से कुछ सेविंग कर सकते हैं, बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए सेविंग कर सकते हैं, अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए भी कुछ न कुछ सेविंग कर सकते हैं। आज लोगों का ध्यान निश्चित तौर पर पैसे बचाने और बैंक में खाता खोलने की तरफ पहुंचा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हमारे देश में यह शुरुआत हुई है। मैं समझता हूं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, गरीबी खत्म होगी और देश के विकास के काम तेज गति से आगे बढ़ेंगे।

वित्त मंत्री जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सचमुच देश को एक नई दिशा दिखाई है। सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने आज इसका समर्थन किया है। मैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि जहां कहीं भी आपने किन्तु और परन्तु की बात की है, यह बात सही है कि देश में काले धन की चर्चा बहुत लम्बे समय से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे परिन्दे उड़ गए हों। वित्त मंत्री जी, आपको उन परिन्दों की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि वे परिन्दे उड़ गए हों, सब माल गायब हो गया हो, हम कानून बना रहे हैं और इसमें हमें बहुत ज्यादा लाभ न हो पाए। उन परिन्दों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। फ्रांस सरकार ने जो लिस्ट सरकार को दी है, मैं समझता हूँ कि उस लिस्ट के आधार पर हमें लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए, नजरबंद करना चाहिए, उनके खातों की नजरबंदी करनी चाहिए। एसआईटी में शाह कमेटी ने जो कहा है, जिन-जिन लोगों के नाम आए हैं, जिन राजनेताओं के नाम आए हैं, जिन कारपोरेट घरानों के नाम आए हैं, अन्य जिन लोगों के नाम आए हैं, आपकी दृष्टि उनकी तरफ भी जानी चाहिए, तब इस कानून का सही अर्थ निकलेगा। वैसे तो काला धन देश में भी बहुत है। जमीनों के नाम पर, हुंडी के नाम पर, हवाला के नाम पर देश में जितना काला धन है, उसे भी कहीं न कहीं एक नम्बर का पैसा बनाने के लिए कानून बनना चाहिए।

यदि किसी के पास आय से आधिक इनकम है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना दिया है। वहां आए दिन छापे पड़ रहे हैं, आए दिन आय से आधिक सम्पत्ति जब्त हो रही है और वह पैसा सीधे गरीबों के हित में खर्च हो रहा है। यह पूरी तरह तय होना चाहिए कि जो पैसा आएगा, वह गरीबों के हित में खर्च होगा, गांवों में बुनियादी सुविधाएं देने में खर्च होगा, गरीबी मिटाने में खर्च होगा। ऐसा भी कुछ प्रावधान करने की जरूरत है। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

**डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम):** धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया, हममें से कोई भी स्पष्ट रूप से इस बात से सहमत नहीं है कि काला धन एक गंभीर समस्या है। मेरी पार्टी ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम इस देश में काला धन वापस लाने के लिए सरकार के किसी भी गंभीर प्रयास का समर्थन करेंगे। लेकिन इस विधेयक में चार घातक खामियां हैं। मैं इनमें से प्रत्येक पर संक्षेप में बात करना चाहूंगा क्योंकि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनका आंख मूंदकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि कुछ वास्तविक सीमाएँ हैं जिनमें हम सुधार देखना चाहेंगे।

पहला यह कि यह विधेयक इस आधार पर बना है कि विदेशी संपत्तियां और विदेशी खाते काले धन की मुख्य समस्या हैं। ऐसा नहीं है। हमें वास्तव में समस्या के पैमाने का कोई वास्तविक अंदाजा नहीं है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। वे सही हैं। हम सभी ने इस बहस के दौरान कई आंकड़ों के बारे में सुना है। सबसे उद्देश्यपूर्ण स्रोत अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने एक प्रतिवेदन पेश करते हुए कहा कि वर्ष 1948 से 2008 तक की पूरी अवधि में 213 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जो आज के संदर्भ में लगभग 20 लाख करोड़ रुपये है। हाल में ही आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य ने 28 लाख करोड़ रुपये के प्रतिवेदन का उल्लेख किया। हर भारतीय को 15 रुपये लाख मिलने की जो बात कही गई थी, उसकी जगह अब हम काले धन के रूप में प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये से भी कम पर आकर रुक गए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यह समस्या जितनी बड़ी दिखाई जाती है, वास्तव में उसका पैमाना उतना बड़ा नहीं है जितना लोगों को समझाया गया है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू काला धन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी घरेलू कर चोरी एक नागरिक अपराध बना हुआ है जबकि यह विधेयक विदेशी संपत्तियों को अपराधी बनाता है। चलिए इसका सामना करते हैं। यह विधेयक विशुद्ध रूप से भाजपा द्वारा लोगों का ध्यान इस देश में, भारत के भीतर काले धन के सृजन से निपटने में सरकार की विफलता से विचलित करने के लिए एक राजनीतिक मोड़ है।

वास्तव में, विदेशों में उत्पन्न काला धन भी, जैसा कि कई वक्ताओं ने बताया है, एफ.डी.आई. और तथाकथित राउंड ट्रिपिंग के रूप में, विशेष रूप से मॉरीशस जैसे निवेश पनाहगाहों के माध्यम से, भारत में वापस लाया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, मॉरीशस से 4.9 बिलियन डॉलर इस तरह से आए। इसलिए, यदि यह विधेयक वास्तव में उतना ही महत्वाकांक्षी है जितना कि मंत्री जी कहते हैं, तो यह महत्वाकांक्षा हिमशैल के सिरे को खरोचने के समान प्रतीत होती है, जबकि हिमशैल का वास्तविक हिस्सा इस देश में ही है।

दूसरा घातक दोष यह है कि वास्तव में चूककर्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई तंत्र नहीं है। हम इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा करने के लिए सरकारों के साथ समझौते करने की आवश्यकता है। क्या इसके लिए हमारे साथ काम करने के लिए कोई नई सरकार तैयार है? ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने हमारे साथ समझौता किया है। क्या कोई नई सरकारें हैं जो हमें जानकारी देने के लिए आई हैं? कितनी सरकारें सहयोग करने को तैयार हैं?

हम जानते हैं कि विदेशी देश अपने देशों में काला धन रखने वाले भारतीयों के बारे में हमें जानकारी देने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। तथ्य यह है कि उनके घरेलू कानून आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय संधियां आएंगी। अध्यक्ष महोदया, उदाहरण के लिए, यदि आप स्विस बैंक जमा के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो स्विस सरकार उन्हें प्रकट नहीं करेगी, और उन्हें अपने स्वयं के कानूनों के तहत प्रकट नहीं कर सकती है, जब तक कि हम उन व्यक्तियों के नाम प्रदान नहीं करते हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं, उन बैंकों के नाम जहां उनके पास उनका पैसा है और इस धन के अधिग्रहण में आपराधिकता का सबूत है। स्विस सरकार ने कहा है कि वे भारत सरकार द्वारा अपने बैंकों में भारतीय नामों की तलाश में किसी भी 'मछली अभियान' का समर्थन नहीं करेंगे। आपने आज के विधेयक में इन कठोर दंडात्मक उपायों की घोषणा की है, लेकिन दंडात्मक उपाय अकेले अनुपालन को कैसे बढ़ावा देंगे, जब आपके पास लोगों को प्रेरित करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है?

तथ्य यह है कि हमारे अच्छे वित्त मंत्री जी एक समय में स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने हमें एक *मेदु वडा* विधेयक दिया है - एक ऐसा विधेयक जिसके बीच में एक बड़ा छेद है। *मेदु वडा* की तरह, हम एक बड़ा छेद देख रहे हैं - उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साधनों की कमी जिन्हें हम

वास्तव में मुकदमा चलाना चाहते हैं। इस विधेयक के बीच में बड़ा छेद है। आप जेल की घोषणा कर सकते हैं, आप जुर्माने की घोषणा कर सकते हैं लेकिन आप अज्ञात लोगों पर जुर्माना या जेल नहीं लगा सकते। क्या आपके पास लोगों के नाम हैं या आपके पास उन्हें प्राप्त करने का साधन है?

तीसरा दोष यह है कि यह विधेयक हमारे देश में कर प्रशासन की बड़ी विफलताओं की अनदेखी करने वाले कर अधिकारियों, आकलन करने वाले अधिकारियों, प्रवर्तन निदेशालय, सी.बी.डी.टी. और अन्य को बेलगाम शक्तियां देता है। यह विधेयक अनिवार्य रूप से उदारीकरण से पहले के दिनों के निरीक्षक राज को फिर से बना रहा है।

तथ्य यह है कि यह एक ऐसी सरकार है जिसने अपने अधिकांश मंत्रियों को सत्ता से बेदखल कर दिया है, जिसने उन नौकरशाहों को दरकिनार कर दिया है सिवाय उन नौकरशाहों के जो पी.एम.ओ. में हैं। इस सरकार में अब जिन लोगों को नए अधिकार मिल रहे हैं, वे केवल टैक्समैन हैं। तथ्य यह है कि उन्हें न्यायिक शक्तियां, 16 वर्षों के लिए फाइलों की जांच करने की शक्तियां, दंड लगाने का अधिकार, लोगों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाने की शक्तियां आदि दी गई हैं। असल में, हम लोगों को भारत से दूर भगाने जा रहे हैं। हम और अधिक एन.आर.आई. के साथ समाप्त करेंगे। लेकिन मेरे सहयोगी श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जिन लोगों का उल्लेख किया है, उनके विपरीत ये एन.आर.आई. इस तरह के कर अत्याचार में वापस नहीं आएंगे।

मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर यह कानून व्यवसायों पर भी लागू होता है तो यह व्यवसायों को दूर कर देगा। यह भारत में व्यापार करने की सुगमता में सुधार के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प के अनुरूप नहीं है।

निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं हैं। जो लोग सद्भावना से अपर्याप्त जानकारी देते हैं, उन्हें फिर भी दंडित किया जाएगा। हम इस देश में कर प्रशासन की गुणवत्ता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारी कर प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में वास्तविक प्रश्न हैं।

हमने आज सुना है कि प्रवर्तन निदेशालय में रिक्तियां हैं। एक ठोस उदाहरण यह है कि सरकार मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विदेशों में काले धन धारकों पर मुकदमा चलाने के लिए 31 मार्च, 2015

की अपनी समय सीमा से चूक गई है। एच.एस.बी.सी. सूची में 427 कार्रवाई योग्य मामलों में से, एस.आई.टी. ने उनमें से केवल 200 पर मुकदमा चलाया है। तो, क्या आपके पास लोगों पर मुकदमा चलाने की क्षमता है? यदि आपके पास जो नाम हैं उन पर विचार करने की भी क्षमता नहीं है तो आप इस नये विधेयक के साथ क्या करेंगे?

चौथा और अंतिम दोष एक महत्वपूर्ण दोष है और यह एक समग्र रणनीति का हिस्सा नहीं है। एक समग्र रणनीति काले धन के सृजन पर नियंत्रण पर होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार को विपक्ष के साथ सहयोग करने और एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए सभा के साथ काम करने की आवश्यकता होगी, जिसमें गंभीर सुधार और युक्तिकरण शामिल हैं; जिसमें अचल संपत्ति प्रथाएं शामिल हैं (और ऐसी चीजों की एक पूरी श्रृंखला है जो वहां की जानी चाहिए) जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार शामिल है ताकि शिक्षा प्रणाली में काला धन न आए; जिसमें राजनीति में काला धन शामिल है, जिसके बारे में हम इस सभा में कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि राजनीति काले धन से भरी हुई है; और निश्चित रूप से, जिसमें हवाला नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। सरकार द्वारा इतनी बड़ी व्यापक रणनीति स्पष्ट नहीं की गई है।

यह विधेयक सरकार के लिए जो कर रहा है, वह आधुनिक डेटिंग जैसा है। यह दीर्घकालिक प्रतिबद्धता या दीर्घकालिक परिणामों के बिना अल्पकालिक संतुष्टि प्रदान करता है।

इसलिए, अंत में, मैं सरकार से विनती करता हूं कि - हम विधेयक का समर्थन करेंगे - उन्हें नागरिकों के साथ ईमानदार होना चाहिए। यह विधेयक कठिन दिखने का एक प्रयास है, ऐसा लगता है कि यह निर्णायक कार्रवाई कर रहा है, लेकिन यह इस तरह की समझदार रणनीति में निहित या एकीकृत नहीं है।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि उन्हें अपने भविष्य के कार्यों में इन खामियों को ठीक करना चाहिए और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ हमारे पास वापस आना चाहिए।

[हिन्दी]

इस बिल के माध्यम से काले धन का जो पैसा वापस आएगा, उसमें से गरीब किसानों के जन-धन योजना वाली जीरो अकाउंट बैलेंस में 15 लाख रुपये जमा करा दीजिए।

[अनुवाद]

धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।

**श्री अरुण जेटली:** अध्यक्ष महोदया, मैं इस सभा के बड़ी संख्या में सदस्यों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस बहस में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसकी शुरुआत श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने की थी। लगभग सभी सदस्यगण, जिन्होंने बोला है उन सभी ने विधेयक का समर्थन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ने पूरे दिल से इसका समर्थन किया है और कुछ डॉक्टर शशि थरूर की तरह। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर शशि का दिल इस विधेयक में है। इसलिए, उन्होंने यह कहते हुए शुरुआत की कि इस विधेयक में चार घातक खामियां हैं और यह कुछ भी हासिल नहीं करेगा और यह कहकर समाप्त हो गया कि यह बहुत कठिन हो सकता है। यह दोनों में से कोई भी हो सकता है; यह दोनों नहीं हो सकते। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि असली मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी प्राप्त करने और काले धन के स्रोतों पर हमला करने में निहित है। मुझे लगता है कि हमारे रोहतक से आए देशी मित्र का अनुभव आपके मैनेजमेंट के अनुभव से कहीं अधिक था क्योंकि वह विकास के इतिहास को जानते थे और उन्हें इतिहास की पूरी जानकारी थी।

एक समय था - श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने ठीक ही इसका उल्लेख किया था - जब पैसा भौगोलिक सीमाओं को पार करता था, तो आपके कानूनों और आपकी जांच एजेंसियों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र लगभग समाप्त हो जाता था। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबूत प्राप्त करना जो भारत के तटों से बाहर है, बेहद मुश्किल था। इसलिए, यदि कोई अपराधी बांग्लादेश या नेपाल या पाकिस्तान में प्रवेश करता है या यदि उसके अपराध का सबूत जिनेवा में स्विस बैंक में या आइल ऑफ मैन में या किसी अन्य कर पनाहगाह में छुपाया गया था, तो भारत सरकार के लिए उस जानकारी का विवरण प्राप्त करना लगभग असंभव था। इसलिए, पहला चरण - जिसका श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सही उल्लेख किया है - यह है कि हमने दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत पर भरोसा करके इसे प्राप्त करने का प्रयास किया। दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत यह था कि यदि अपराध *अपने आप* में कराधान का उल्लंघन था, तो सहयोगी राज्य जानकारी नहीं देगा। यह एक आपराधिक अपराध होना चाहिए, जांच के तहत एक अपराध होना चाहिए, यह दोनों क्षेत्रों में एक अपराध होना चाहिए। यह भारत और अन्य क्षेत्र में एक अपराध होना चाहिए। यह क्रम चलता रहा। स्विट्जरलैंड से विवरण प्राप्त करने के लिए हमारे बहुत सारे संघर्ष होते थे कि हमें पहले यह साबित करना पड़ता था कि यह केवल कर चोरी का पैसा नहीं था,

बल्कि ये अपराध की आय का लाभ था और यह अपराध अपने आप में भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस देश में एक अपराध था। उसके बाद हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं कि जो लोग एक देश में धन छिपाते हैं और दूसरे देश में रखते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार किया जा सकता है। सभ्य न्यायशास्त्र के लिए आवश्यक है कि देश एक-दूसरे के साथ सहयोग करें। इसलिए, जानकारी विभिन्न सहयोग संधियों के आधार पर भेजी जा रही थी जैसे कि दोहरी कराधान परिहार संधि, खंड 28 जिसके बारे में आपने बात की थी। यह वह चरण है जिसमें हम अब हैं। लेकिन यह चरण भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमारे पास जानकारी है। उदाहरण के लिए, एच.एस.बी.सी. खातों को लें। जिनेवा में एच.एस.बी.सी. खाते की जानकारी किसी ने चुरा ली है। इसे फ्रांस ले जाया गया। चोरी की जानकारी फ्रांसीसी सरकार द्वारा विभिन्न देशों को उपलब्ध कराई जाती है। तो, हमारे पास भारत के सैकड़ों नामों की सूची है, जिन लोगों का जिनेवा में एच.एस.बी.सी. बैंक में खाता है। लेकिन स्विस् ने कहा है: "यह चोरी की जानकारी है, हम चोरी की जानकारी के आधार पर हम आपका सहयोग नहीं करेंगे।" यह चुराई गई जानकारी हमारे पास आई, और पिछले 11 या 12 महीनों में हमने इस सभा और देश को आश्वासन दिया है कि हम आगे बढ़ेंगे।

भले ही संख्या 600 या उससे अधिक है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आप जांच शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ खाताधारक या तो विदेशी पासपोर्ट धारक हैं या अनिवासी भारतीय हैं जो उस खाते को बनाए रखने के वैध रूप से हकदार हैं। इसलिए, उनकी जांच की जाएगी। कुछ मामलों में, कई नाम हैं, पत्नी और पति संयुक्त रूप से खाते पर कब्जा करते हैं। इसलिए, अपराध उनके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। लेकिन फिर इसे हमें दो अलग-अलग नामों के रूप में दिखाया गया है। इसलिए, हमने इस सभा को आश्वासन दिया कि हम इनमें से प्रत्येक मामले की जांच करेंगे। 31 मार्च तक, हमने अधिकांश मामलों में मूल्यांकन आय समाप्त कर दी है। महोदया, उन खाताधारकों के खिलाफ 121 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन हमें उन शर्तों का पालन करने में बहुत सावधान रहना होगा जिनके तहत हमें वह सहयोग मिलता है।

उदाहरण के लिए स्विस् ने हमें बताया है कि वे चोरी की गई जानकारी के आधार पर सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए, राजस्व सचिव ने अधिकारियों की एक टीम का नेतृत्व किया और एक व्यवस्था में प्रवेश किया और

उन्होंने स्विस् से पूछा कि क्या होगा यदि हम उन्हीं लोगों के खिलाफ चोरी की जानकारी से स्वतंत्र स्वतंत्र सबूत प्राप्त करने में सक्षम हैं और स्विस् ने कहा कि वे सहयोग करेंगे। इसलिए, एक लिखित व्यवस्था है: संयुक्त रिलीज जारी की गई थी। वे अब कई मामलों में सहयोग कर रहे हैं; उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं और हमें सहयोग मिला है। जब यह दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने गया, तो मैंने संबंधित स्विस् मंत्रियों से मुलाकात की और हमने उस सहयोग को आगे बढ़ाया। लेकिन यह अभी भी एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। अब, दुनिया उस ओर बढ़ रही है जो पूरे मुद्दे का मूल है।

जी-20 ने एक पहल की है जिसमें माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक प्रतिबद्धता व्यक्त की है और हम सक्रिय भागीदार हैं, कि हम सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के वैश्विक प्रयास में शामिल होंगे। अब, हमें इसमें एक कठिनाई हुई। एस.आई.टी. की नियुक्ति के उच्चतम न्यायालय के फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा: "ऐसी व्यवस्था न करें जो कहती है कि हम गोपनीयता खंड प्रदान करेंगे।" गोपनीयता खंड यह है कि, आप नामों का खुलासा तभी कर सकते हैं जब आप जांच पूरी कर लें और न्यायालय में अभियोजन दायर करें। हमारी समझ यह है कि आप एक खुलासा करते हैं। व्यक्ति सामने आकर कह सकता है कि मेरा खाता वैध है। हम उस स्थिति में उसे अपमानित नहीं होने दे सकते। वास्तव में, वह कार्यवाही जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा कुछ व्यक्तियों को नाम दिए गए, तथा नाम सार्वजनिक किए गए, कम से कम दो देशों ने हमें बताया है कि आप ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से नाम सार्वजनिक करके संधि दायित्वों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, अब हम उन्हें हमारे साथ सहयोग जारी रखने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, हमें इसका कड़ाई से पालन करना होगा।

अब, हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो स्वचालित सहयोग है। जी-20 पहल से ऐसी स्थिति पैदा होगी कि वर्ष 2017 के आसपास, जो भी भारतीय नागरिक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन करते हैं, उनके विवरण स्वचालित रूप से व्यक्त किए जाते हैं और अगर हम पाते हैं कि उनमें से कोई भी विवरण गैरकानूनी है, तो हम कार्रवाई करने के हकदार हैं। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका के घरेलू कानून, एफ.ए.टी.सी.ए. के तहत,

संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य राज्यों से एक संधि दायित्व में प्रवेश करने का अनुरोध कर रहा है और यहां एक द्विपक्षीय स्वचालित आदान-प्रदान होगा।

दूसरा चरण यह होगा कि जो देश अमेरिका के साथ एफ.ए.टी.सी.ए. व्यवस्था में प्रवेश करेंगे, उनके लिए भी यही व्यवस्था होगी तथा जो देश इस व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेंगे, उन देशों में जाने वाले सभी धन प्रेषणों पर कर लगाया जाएगा। इसलिए, यदि आप सूचना के इस स्वचालित संचरण में सहयोग नहीं करते हैं तो आपके सभी प्रेषणों पर रोक लगाई जाएगी।

इसलिए, वे सभी जो अपने खातों और परिसंपत्तियों में अवैध रूप से धन रखते हैं, चाहे वे अपराध का लाभ हो या कर चोरी का लाभ, उन पर समय समाप्त हो रहा है। धीरे-धीरे दुनिया सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान की ओर बढ़ रही है और एक बार सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान उपलब्ध हो जाने के बाद, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

हमारी रणनीति की योजना या वास्तुकला क्या है? अब, वर्ष 2008 में एच.एस.बी.सी खातों का पता चला। वे भगोड़े हमसे अधिक चतुर हैं। इसलिए, वर्ष 2014 और 2015 में, जब तक एन.डी.ए. सरकार सत्ता में आई, वे अपने खातों में धन नहीं रखने वाले थे और धन यात्रा कर चुका होगा या खर्च किया जा चुका होगा या दर्जनों और सैकड़ों अधिकार क्षेत्रों को स्थानांतरित कर चुका होगा।

इसी तरह, लिकटेंस्टीन के मामले में भी, हमने खातों का पता लगाया है, अभियोजन दायर किए गए हैं और सभी मामलों में मूल्यांकन पूरा किया गया है। एन.आर.आई. को लाभ मिल सकता है, अन्य पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

इसलिए, वास्तुकला यह है कि एक ओर, आप सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान की लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करते हैं और यही दिशा है।

दूसरी रणनीति यह है कि हमारे पास भारत में एक निवारक कानून होना चाहिए, एक ऐसा कानून जो निवारक के रूप में कार्य करता है यदि अनुपालन विंडो के बंद होने के बाद आप पैसे बाहर रखते हैं, तो यह अभियोजन के साथ एक उच्च दंडात्मक दंड होने जा रहा है।

तीसरी रणनीति, जो इससे अलग नहीं है, वह यह है कि जहां तक घरेलू धन का प्रश्न है, हम घरेलू स्तर पर काले धन की मात्रा को निचोड़ने की कोशिश करते हैं। भारत में, ऐसे व्यवसाय हैं जहां लोगों को लगता है कि काले धन में लेनदेन करना लगभग उनका अधिकार है जैसे संपत्ति लेनदेन, लक्जरी आइटम और सोना आदि खरीदना। इसलिए हमें काले धन के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करना चाहिए। यह एक रात में आने वाला झटका नहीं है। यह धीरे-धीरे होना चाहिए और हमें विभिन्न कराधान कदमों, मौद्रिक कदमों और अन्य कदमों द्वारा घरेलू स्तर पर काले धन के उपयोग को कम करना चाहिए और यही वह रोडमैप है जिसका हम पालन कर रहे हैं। इसलिए, इस रणनीति में कोई घातक दोष नहीं है।

अब, यह विधेयक सामान्य कराधान विधेयकों से कैसे अलग है? यह विधेयक सामान्य कराधान विधेयकों से अलग है क्योंकि आप अपने आयकर का भुगतान कर सकते हैं, आप अपने ब्याज और जुर्माने का भुगतान कर सकते हैं और बच सकते हैं। यहां, एक अनुपालन विंडो है जो इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद खुली होगी और अप्रकटित संपत्ति पर एक कर होगा जिसके बाहर आपको 30 प्रतिशत के साथ और 30 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। एक बार अनुपालन विंडो बंद हो जाने के बाद, आपसे 30 प्रतिशत और 90 प्रतिशत कर लिया जाएगा जिसका अर्थ है कि परिसंपत्ति का मूल्य ही छीन लिया जाएगा क्योंकि 120 प्रतिशत का कर होगा। अब, यदि वह 120 प्रतिशत कर दावा बाहर है या इसका निपटान किया जाता है, तो आप इसे कैसे लाएंगे?

इसलिए, वित्त विधेयक में जो हमने पारित किया है, हमने चुपचाप धन शोधन अधिनियम में संशोधन किया है और इस विधेयक में भी हम धन शोधन अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। इस प्रकार, गैरकानूनी संपत्ति को बाहर रखने को धन शोधन अधिनियम के तहत एक विशेष अपराध बना दिया गया है। इसलिए, यदि अनुपालन विंडो बंद होने के बाद आपके पास बाहर कोई खाता या संपत्ति पाई जाती है, तो धन शोधन

अधिनियम लागू होगा, और आप अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे। धन शोधन अधिनियम के तहत, इस 60 प्रतिशत के लिए या बाद में इस 120 प्रतिशत कर के लिए, वित्त विधेयक के साथ, हमने एक संशोधन किया है कि यह 120 प्रतिशत कर दावा आपकी भारतीय संपत्ति से वसूल किया जाएगा। यह तब भी किया जाएगा जब आप अपनी विदेशी संपत्ति को निपटाने या गुप्त रखने में कामयाब रहे हों। यह पहली बार है जब यह बुनियादी बदलाव लाया गया है। यह संपत्ति मालिक और लाभकारी मालिक दोनों के हाथों में कराधान के लिए उत्तरदायी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप कैमैन द्वीपसमूह के माध्यम से जाते हैं और आपके पास एक न्यास है, जो केवल लाभार्थी मालिक है, तो आप कह सकते हैं: "न्यास से शुल्क लें"। नहीं, घोषित मालिक के पीछे असली मालिक भी उत्तरदायी होगा।

आयकर अधिनियम के तहत, समय सीमाएं हैं। यहां कोई समय सीमा नहीं होगी। तो, जिस वर्ष में यह पाया जाएगा, जिस वर्ष में आपके अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति की खोज होगी, उसे उसी वर्ष की आय के रूप में माना जाएगा। मूल्य को अंकित मूल्य पर लिया जाएगा। वास्तविक उचित मूल्य को वास्तविक मूल्य के रूप में लिया जाएगा। अब, जैसा कि दीपेंद्र जी ने कहा, क्या यह लोगों को परेशान करने के लिए लागू होगा, मान लीजिए, निर्दोष एन.आर.आई., छात्र, पेशेवर, इसका उत्तर है: "नहीं"। उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से "नहीं" है; यह बिल्कुल भी झरादा नहीं है। इसलिए, अगले चुनाव के बाद भी मैडिसन स्कवायर पर लोग कहेंगे: "मोदी, मोदी"। वे आगे भी समृद्ध होते रहेंगे। ... (व्यवधान)

तो कृपया ऐसी रणनीति न अपनाएं कि पिछले कुछ महीनों से हम आपको ताना दे रहे थे: "आप क्या कर रहे हैं?" इसलिए, जब हम एक कानून लाने का निर्णय लेते हैं, तो जाहिर है कि आप यह नहीं कह सकते: "मैं इसका समर्थन नहीं करता।" तो, आपको एक ऐसे कोने में धकेल दिया गया है जहाँ आपको उस कानून का समर्थन करना होगा। उस कानून का समर्थन करते हुए, बहुत अनिच्छा से आप कहते हैं, "अब मुझे एक डर का माहौल बनाना होगा; निर्दोष लोगों को परेशान किया जाएगा।" कानून अच्छा है।

[हिन्दी]

हिन्दी भाषा में और राजनीति की भाषा में "लेकिन" शब्द हर प्रकार के अवसरवाद के लिए एक तंत्र आपके हाथ में दे देता है। जैसे कोई कहता है कि "मैं तो काले धन के खिलाफ हूँ, लेकिन।" इससे आम आदमी पर या एनआरआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर आप "लेकिन" शब्द भूल जाएं। धारा 2(1) क्या कहती है? इसमें कहा गया है, "निर्धारिती" का अर्थ है एक व्यक्ति, जो निवासी है और सामान्य रूप से भारत में निवासी नहीं है। जो आदमी इस देश में 182 दिन रहेगा, सैक्शन-6 इनकम टैक्स एक्ट में वहीं रेजिडेंट होगा। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ता है, जो एनआरआई मेडीसिन स्केयर में मौजूद था, जो प्रोफेशनल्स बाहर हैं, वे वहां रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से रहता है और भारत में 182 दिनों से अधिक समय बिताता है, तो वह भारत में कराधान के लिए उत्तरदायी होगा। वह यहां का रहने वाला है। लेकिन फिर, जो लोग यहां के निवासी हैं, उनके पास आज इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड या अमेरिका में संपत्ति हो सकती है। लेकिन यह आर.बी.आइ. की अनुमति से होना चाहिए। जैसे विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर गया, और माता-पिता उसके लिए पैसा भेजते हैं। वह पढ़कर वापिस आ गया और जो एकाउंट उसने वहां खोला था उसमें थोड़े पैसे रह गए। क्या वह उत्तरदायी होगा? इसका उत्तर है, "नहीं"। कृपया इस अधिनियम की धारा 42 और 43 को पढ़ें। जिस किसी के छोटे खाते में पांच लाख रुपए के इक्विवलेंट पैसे कम पड़े हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कोई बच्चा पढ़ने के लिए गया, वापिस आया और उसके एकाउंट में दो सौ डालर बचे हैं, क्या उसके खिलाफ केस चलेगा? इसका उत्तर है, "नहीं"। अधिनियम खुद कहता है, अगर यह 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे उसके तहत नहीं लिया जाएगा; हम छोटी उल्लंघनों के खिलाफ नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन फिर भी बड़ी मछली को लिबास में बच के नहीं जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी मछली के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए, हम इन निर्दोष छात्रों के कंधों से गोली न चलाएं ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** मैं सहमत हूँ लेकिन आप उन्हें व्यापक सुरक्षा दें...। (व्यवधान)

**श्री अरुण जेटली:** आपकी बात अच्छी तरह से ली गई है। अधिनियम के तहत इस संरक्षण के अलावा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वैधानिक दिशानिर्देश भी जारी किए जाएं। स्पष्टीकरण परिपत्र सी.बी.डी.टी. द्वारा जारी किए जाते हैं। स्पष्टीकरण परिपत्रों में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करता है, उसे शामिल नहीं किया जाए। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें इसके तहत कवर किया जाना है। यह उन निवासियों के लिए है जिनका मूल्यांकन भारत में किया जाता है, जो यहां रहते हैं, जो विदेशों में वैध संपत्ति रखते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय विदेशों में वैध संपत्ति रखें। उन्हें विदेश में कंपनियों को खरीदना चाहिए, जिसके लिए उनके पास विदेश में घर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे अवैध रूप से धारण करते हैं, तो आप उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होंगे। पेशवरों या एन.आर.आई. के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए जाएंगे। मैं एक परिपत्र जारी नहीं कर सकता कि जो कोई भी मैडिसन स्क्वायर में जाता है उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि निर्दोष लोगों को निशाना नहीं बनाया जाए, यह वे लोग हैं जो वहां अच्छा कर रहे हैं।

अब, विभिन्न समितियों के संबंध में प्रतिवेदन आए हैं जिन्हें हमने नियुक्त किया है। लेकिन चूंकि मैं आपको सभा पटल पर एक प्रामाणिक डाटा नहीं दे सकता कि कितना पैसा है। इसलिए, यह इंटीग्रिटी इंटरनेशनल या कुछ एजेंसियों के कहने से अलग है। ये सभी सांकेतिक आंकड़े हैं। मैं आपको सटीक आंकड़े देने के लिए बहुत विशिष्ट नहीं हो सकता जो आप जानना चाहते हैं। हम उन सभी प्रतिवेदनों पर विचार कर रहे हैं जो सामने आए हैं।

बेनामी अधिनियम के बारे में, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ कि संशोधित अधिनियम बहुत अग्रिम चरण में है। यह किसी भी समय कैबिनेट तक पहुंच जाएगा। मैंने पहले ही बजट भाषण में उल्लिखित किया है कि पुराना बेनामी संपत्ति अधिनियम, जिसका अधिनियमन किया गया था, उसके प्रभाव को लागू करने के लिए अधिसूचना दो दशकों से अधिक समय तक नहीं आई थी। तो, इसका समय समाप्त हो गया है। अब, अधिक आधुनिक बेनामी अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया है। यह शायद किसी भी दिन कैबिनेट तक पहुंच जाएगा।

एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या यह एक माफी योजना है? इसका उत्तर 'नहीं' है। एक क्षमा योजना में, आप सिर्फ कर लेते हैं और लोगों को क्षमा कर देते हैं। यहाँ, हम एक नया कर लगा रहे हैं, इसलिए, एक अनुपालन विंडो दे रहे हैं। क्षमा योजनाओं में नाम उजागर करने और और शर्मसार करने के खिलाफ भी प्रावधान है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। यदि आप अनुपालन विंडो याद करते हैं, तो आपको अभियोजन के लिए जाना होगा। यही इस अधिनियम में कहा गया है। तो, यह एक अधिनियम है, जिसकी वास्तुकला को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह एक नया कर लगाने का इरादा रखता है और अनुपालन खिड़की के करीब आने के बाद यह दंड और अभियोजन दोनों के संदर्भ में एक बहुत कठोर प्रावधान बन जाएगा।

इसके अलावा, अन्य विवरण हैं जिनसे पूछा गया था कि हम घरेलू काले धन के संबंध में क्या कदम उठा रहे हैं। मैं पुनरावृत्ति की कीमत पर भी दोहरा सकता हूँ कि इस कानून का घरेलू काले धन से कोई लेना-देना नहीं है। हम आयकर अधिनियम और उस अधिनियम के तहत बनाई गई विभिन्न नीतियों के तहत घरेलू काले धन से निपटते हैं। यह एक अभ्यास है जिसे हम एक साथ करने जा रहे हैं। लेकिन घरेलू काले धन पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें धीरे-धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को घोषित अर्थव्यवस्था में ही अधिक से अधिक लाने की आवश्यकता है। इसमें कर संग्रह बढ़ाने की क्षमता है; इसमें हमारे जी.डी.पी. को ऊपर लाने की क्षमता है; और यह सरकार को कराधान दरों को कम करने में भी मदद करता है। यदि अर्थव्यवस्था में समानांतर काला धन लाकर मैं अधिक कर एकत्र कर सकता हूँ तो जिस स्लैब पर हम कर वसूलते हैं, उसे स्वयं कम करना होगा। इसलिए, जहाँ तक नागरिकों का संबंध है, यह उनकी मदद करता है। अब, अगर मैं कहूँ तो मुख्य लड़ाई होगी (क) सूचनाओं का स्वचालित प्रसारण जो वास्तविक समय में होगा, एक मशीनरी जो इसके अनुरूप स्थापित होगी (ख) अनुपालन अवधि के बाद देश के बाहर अवैध रूप से संपत्ति रखने वालों के लिए एक निवारक दंड। कुछ श्रेणियाँ हैं जो अनुपालन विंडो के बाहर हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह बंदूक चलाने से निकला पैसा है, आतंकवाद से निकला पैसा है, नशीले पदार्थों से निकला पैसा है, तो आप यह नहीं कह सकते: "मैं अब अनुपालन विंडो में आकर इसकी घोषणा करूँगा। इसलिए, हमने इसे बाहर रखा है।"

लड़ाई (ग), जो अलग है, वह यह है कि हम कदम उठाते हैं। ये एक बार के चरण नहीं होंगे, लेकिन एक के बाद एक निरंतर कदम होंगे। कर दरों को कम करना घरेलू काले धन पर अंकुश लगाने के लिए एक अच्छा कदम है ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके।

अब, एक उदाहरण, जो बार-बार दिया जाता है, वह यह है कि 'भारत में बहुत कम लोग कर का भुगतान करते हैं। यह कभी-कभी टेलीविजन बहस और गुलाबी पेपर में होता है। तो, आइए, हम आधार का विस्तार करें। अब, भारत में 25 करोड़ परिवार हैं। साठ प्रतिशत किसान हैं। इसलिए, संतुलन से बाहर, आपके पास ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और आपके पास ऐसे लोग हैं जो छूट का आनंद लेते हैं। हम लगभग चार करोड़ के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं, और उनमें से प्रत्येक कृषक और गरीबी रेखा से नीचे के लोग अप्रत्यक्ष कर का भुगतान कर रहे हैं। तो, इस आंकड़े को आगे बढ़ना होगा। इसलिए, हमें समस्या का पर्याप्त विश्लेषण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग कर के दायरे में आ सकें।

मुझे यकीन है कि घरेलू काले धन और विदेशी संपत्ति दोनों पर हम जिस तरह के कदम उठा रहे हैं, उससे यह कानून एक अवसर प्रदान करेगा। जब प्रारंभिक कर लगाया जाता है, तो यह एक निवारक के रूप में कार्य करेगा और इसलिए, यह हमें उन लोगों द्वारा संपत्ति वापस प्राप्त करने में मदद करेगा जो उन्हें घोषित करते हैं; यदि वे उन्हें घोषित नहीं करते हैं, तो भारत में समकक्ष संपत्तियों को संलग्न करते हैं; और भविष्य के लिए, लोगों को देश की ऐसी संपत्ति को बाहर रखने से रोकते हैं।

इन कुछ टिप्पणियों के साथ, महोदया, मैं इस विधेयक की स्वीकृति के लिए इस सम्मानित सभा को बधाई देता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों के लिए, ऐसी आय और आस्तियों के संबंध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया के लिए उपबंध करने तथा भारत से बाहर धारित किसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति पर कर अधिरोपण का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

## **खंड 2**

## **परिभाषाएं**

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया*

## **खंड 3**

## **कर का प्रभार**

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. संपत, क्या आप खंड 3 में अपने संशोधन सं. 26 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल):** नहीं, महोदया, मैं संतुष्ट हूँ और मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** धन्यवाद। प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड 5**                      **कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति की**  
**संगणना**

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 5 में अपने संशोधन संख्या 8 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** हां, महोदया, मैं खंड 5 पर संशोधन सं. 8 को प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय की कमी के कारण मैं पहले बोल नहीं सकता था। जो बात मैं कहना चाहूंगा और श्री हुड्डा जी ने भी कही है, वह यह है कि अप्रकटित परिसंपत्तियों की गणना में निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि को ध्यान में रखा जाता है। 'निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के अधीन' शब्द निर्धारण अधिकारी को मनमाना और निरंकुश अधिकार दे रहे हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“पृष्ठ 4, पंक्ति 2, -

"आकलन अधिकारी की संतुष्टि के लिए"                      लोप किया जाए।"                      (8)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत की गई संशोधन सं. 8 को सभा में मतदान के लिए रखती हूँ।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती कविता कल्वकुंतला खंड 5 में संशोधन सं. 35। श्रीमती कविता कल्वकुंतला - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

## खंड 7 पदधारी का परिवर्तन

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती कविता कल्वकुंतला खंड 7 में संशोधन सं. 36। श्रीमती कविता कल्वकुंतला - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

## खंड 11 मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के पूरा होने की समय सीमा

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 11 में अपने संशोधन सं. 9 और 10 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

### **खंड 12 गलती में सुधार**

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 12 में अपने संशोधन सं. 11 से 13 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदया, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 13 और 14 विधेयक में जोड़ दिये गये।*

### **खंड 15 आयुक्त से अपील (अपील)**

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 15 में अपने संशोधन सं. 14 और 15 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

### **खंड 17 आयुक्त की शक्तियां (अपील)**

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 17 में अपने संशोधन सं. 16 और 17 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** हां, महोदया।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 8, पंक्ति 23, -

"या रद्द करें"

के पश्चात

"या परिवर्तन"

अंतःस्थापित किया जाए।"

(16)

"पृष्ठ 8, पंक्ति 28, -

"आकलन अधिकारी"

के पश्चात

अपीलकर्ता के आवेदन पर

अंतःस्थापित किया जाए।"

(17)

महोदया, यह गलत तरीके से तैयार किया गया है। 'रद्द' शब्द के स्थान पर 'परिवर्तित' शब्द का प्रयोग करना होगा। यह एक बेहतर मसौदा है। साथ ही, संशोधन सं. 17 में 'आकलन अधिकारी' शब्द के बाद 'अपीलकर्ता के आवेदन पर' शब्द अंतःस्थापित किए जाने हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 17 प्रस्तुत की गई संशोधन सं. 16 और 17 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

*संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

## खंड 18            अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 18 में अपने संशोधन सं. 18 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** महोदया, मैं नहीं पेश कर रहा हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

## खंड 19            उच्च न्यायालय में अपील

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 19 में अपने संशोधन सं. 19 से 23 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** हाँ महोदया, मैं खंड 19 में संशोधन सं. 20, 21, 22 और 23 प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 9, पंक्तियों 34 से 38 तक के स्थान पर,-

<p>“(4) यदि उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो कि किसी मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तो अपील पर सुनवाई की जाएगी और अपील की सुनवाई के समय प्रतिवादियों को यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है।”</p>	<p><i>प्रतिस्थापित किया जाए”</i></p>	<p>(20)</p>
--	--------------------------------------	-------------

"पृष्ठ 9, पंक्ति 40, -

"उनके द्वारा नहीं तय किए गए"	लोप किया जाएगा"	(21)
------------------------------	-----------------	------

"पृष्ठ 9, पंक्ति 42, -

"इस प्रकार तैयार किया गया"	लोप किया जाएगा"	(22)
----------------------------	-----------------	------

"पृष्ठ 10, पंक्ति 7, -

"न्यायाधिकरण की प्रमाणित प्रति के आधार पर"	लोप किया जाएगा"	(23)
--	-----------------	------

महोदया, मैं संशोधन सं. 19 को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, यहां मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील करने के अधिकार के संबंध में, आपको उच्च न्यायालय की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी और उच्च न्यायालय को यह भी प्रमाणित करना होगा कि यह अपील के लिए उपयुक्त मामला है। उच्च न्यायालय जिसने निर्णय सुनाया है, को प्रमाणपत्र देना होगा कि हां, यह अपील के लिए एक उपयुक्त मामला है, तब केवल पीड़ित अपीलार्थी या पीड़ित व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है। मैं संशोधन सं. 24 के बारे में बात कर रहा हूँ। कृपया स्थिति को सत्यापित करें क्योंकि जिस न्यायालय ने आदेश दिया है उसे प्रमाण पत्र देना होगा।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 19 में प्रस्तुत किए गए संशोधन सं. 20, 21, 22 और 23 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड 21 उच्चतम न्यायालय में अपील**

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 21 में अपने संशोधन संख्या 24 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: हां, महोदया, मैं खंड 21 में संशोधन सं. 24 को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 10, पंक्ति 16 और 17, -

<p>"जिसे उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए एक उपयुक्त मामला प्रमाणित करता है"</p>	<p>लोप किया जाए।"</p>	<p>(24)</p>
---	-----------------------	-------------

महोदया, मैं इस संशोधन के लिए जोर दे रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है कि यह अपील के लिए उपयुक्त मामला है। यह अनुचित है।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत किए गए संशोधन सं. 24 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 22 और 23 विधेयक में जोड़ दिये गये।*

#### **खंड 24          अन्य आदेशों का पुनरीक्षण**

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 24 में अपने संशोधन सं. 25 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** महोदया, मैं पेश नहीं कर रहा हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 24 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 25 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**सायं 07.00 बजे**

**खंड 33      कर वसूली अधिकारी जिसके द्वारा कर बकाया की  
वसूली की जानी है**

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. ए. संपत, क्या आप खंड 33 में अपने संशोधन सं. 27 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**डॉ. ए. संपत (अट्रिंगल):** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 15, पंक्ति 19, -

करदाता अपना व्यापार चलाता है

के स्थान पर

करदाता सामान्यतः अपना व्यापार चलाता है

प्रतिस्थापित किया जाए (27)

महोदया, यह केवल एक शब्द जोड़ना है क्योंकि खंड 33 (1 क) में यह लिखा है, "जिस क्षेत्र में करदाता अपना व्यापार चलाता है" मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि मैं केवल एक शब्द 'सामान्य रूप से' जोड़ना चाहूंगा। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में व्यापार हो रहा है, इसमें कुछ अंतर हो सकते हैं। करदाता सामान्यतः अपना व्यापार चलाता है। यही मेरा संशोधन है।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. ए. संपत द्वारा खंड 33 में प्रस्तुत संशोधन सं. 27 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 33 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 34**                      **परिसमापन में किसी कंपनी के मामले में कर**  
**बकाया की वसूली**

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. ए. संपत, क्या आप खंड 34 में अपने संशोधन सं. 28 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**डॉ. ए. संपत:** महोदया, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। यह केवल दिनों से संबंधित है। तीन महीने के बजाय, यह नब्बे दिनों के रूप में अधिक विशिष्ट होना चाहिए। अगर मंत्री जी तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ?

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 34 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 35 से 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**खंड 49**                      **विदेशी आय और संपत्ति के संबंध में विवरणी**  
**प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड**

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. ए. संपत, क्या आप खंड 49 में अपने संशोधन सं. 29 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**डॉ. ए. संपत:** हां, महोदया। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 20, पंक्ति 19, -

"जुर्माने के साथ"	के स्थान पर	
"एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने के साथ"	प्रतिस्थापित किया जाए।	(29)

पृष्ठ 20, की पंक्ति 19 में यह कहा गया है, 'जुर्माने के साथ'। मैं जुर्माने की राशि चाहता हूँ क्योंकि दंडात्मक कानून में जुर्माने की राशि होगी। इसलिए, यदि जुर्माने की राशि का पता चल जाता है, तो उस अधिकतम राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही कारण है कि, मैंने 1 करोड़ रुपये रखे हैं।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यों, सदन की कार्यवाही सात बजे तक बढ़ाई गई थी, अब हम आधा घंटा सदन की कार्यवाही को और बढ़ा लेते हैं।

... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : मैडम, बिल की वोटिंग समाप्त होने तक कार्यवाही बढ़ाते हैं...(व्यवधान)

**कुछ माननीय सदस्य:** हाँ

**माननीय अध्यक्ष :** सदन की कार्यवाही आधा घंटा बढ़ाई जाती है।

[अनुवाद]

अब मैं डॉ. ए. संपत द्वारा खंड 49 में प्रस्तुत किए गए संशोधन सं. 29 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती कल्वकुंतला कविता खंड 49 में संशोधन संख्या. 37 को प्रस्तुत करेंगी - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 49 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 49 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड 50** आय की वापसी, संपत्ति के बारे में कोई भी जानकारी देने में विफलता के लिए दंड (जिसमें भारत के बाहर किसी एंटीटी में वित्तीय हित शामिल हो)

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. ए. संपत, क्या आप खंड 50 में अपने संशोधन सं. 30 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**डॉ. ए. संपत:** हां, महोदया। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 20, पंक्ति 31, -

"जुर्माने के साथ"

के स्थान पर

"जुर्माने के साथ जो एक करोड़ रुपये तक हो सकता प्रतिस्थापित किया जाए।" (30)

है।"

महोदया, यह भी उसी प्रकार का है क्योंकि इसमें जुर्माने की राशि निर्धारित की जानी है। एक छोटे से मामले के लिए भी, जुर्माना की एक राशि तय होती है। यदि कोई मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो भी जुर्माना की राशि तय होती है।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. ए. संपत द्वारा खंड 50 में प्रस्तुत संशोधन सं. 30 को सभा के मत के लिए रखूंगी।

*संशोधनमतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती कल्वकुंतला कविता खंड 50 में संशोधन संख्या. 38 को प्रस्तुत करेंगी। वह वहां नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 50 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 50 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

## **खंड 51 जानबूझकर कर से बचने की कोशिश करने पर**

### **सजा**

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. ए. संपत, क्या आप खंड 51 में अपने संशोधन सं. 31 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**डॉ. ए. संपत:** हां, महोदया। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 20, पंक्ति 36, -

"जुमनि के साथ"

के स्थान पर

"जुमनि के साथ जो एक करोड़ रुपये तक हो सकता प्रतिस्थापित किया जाए।" (31)

है।"

मंत्री जी बहुत जिद्दी हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. ए. संपत द्वारा खंड 51 में प्रस्तुत संशोधन सं. 31 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

*संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती कल्वकुंतला कविता खंड 51 में संशोधन सं. 39 को प्रस्तुत करेंगी। वह वहां नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 51 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 51 विधेयक में जोड़ दिया गया।

## खंड 52 सत्यापन में गलत कथन के लिए दंड

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. ए. संपत, क्या आप खंड 52 में अपने संशोधन सं. 32 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**डॉ. ए. संपत:** हां, महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 21, पंक्ति 12, -

"जुर्माने के साथ"

के स्थान पर

"जुर्माने के साथ जो एक करोड़ रुपये तक हो सकता प्रतिस्थापित किया जाए।" (32)

है।"

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. ए. संपत द्वारा खंड 52 में प्रस्तुत संशोधन सं. 32 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती कविता कल्वकुंतला खंड 52 में संशोधन सं. 40 प्रस्तुत करेंगी। वह उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 52 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 52 विधेयक में जोड़ दिया गया।

## खंड 53 उकसाने की सजा

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. ए. संपत, क्या आप खंड 53 में अपने संशोधन सं. 33 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**डॉ. ए. संपत:** हां, महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 21, पंक्ति 18, -

"जुर्माने के साथ"

के स्थान पर

"जुर्माने के साथ जो एक करोड़ रुपये तक हो सकता प्रतिस्थापित किया जाए।" (33)  
है"

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. ए. संपत द्वारा खंड 53 में प्रस्तुत संशोधन सं. 33 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

*संशोधन में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती कविता कल्वकुंतला ने खंड 53 में संशोधन सं. 41 को प्रस्तुत करेंगी। वह उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 53 विधेयक का अंग बने।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 53 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 54 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 55****प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान  
आयुक्त या आयुक्त के कहने पर अभियोजन**

**माननीय अध्यक्ष:** खंड 55 के लिए सरकारी संशोधन सं. 3 है: माननीय मंत्री जी।

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 21, पंक्ति 37, -

"अपराधों के"

के स्थान पर

"अपराधों की कार्यवाही का"

प्रतिस्थापित किया जाए।" (3)

(श्री अरुण जेटली)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 55, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 55, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 56 और 57 विधेयक में जोड़ दिये गये।

**खंड 58****दूसरे और बाद के अपराधों के लिए सजा**

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. ए. संपत, क्या आप खंड 58 में अपने संशोधन सं. 34 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

**डॉ. ए. संपत:** हां, महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 22, पंक्ति 32, -

"एक करोड़ रुपये"

के स्थान पर

"दस करोड़ रुपये"

प्रतिस्थापित किया जाए" (34)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. ए. संपत द्वारा खंड 58 में प्रस्तुत संशोधन सं. 34 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 58 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 58 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 59 से 72 विधेयक में जोड़ दिए गए।

### खंड 73 विदेशों या निर्दिष्ट क्षेत्रों के साथ समझौता

**माननीय अध्यक्ष:** खंड 73 में सरकार संशोधन सं. 4 है: माननीय मंत्री जी।

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 26, पंक्ति 26 से 38 के स्थान, प्रतिस्थापित किया जाए

"(क) इस अधिनियम के तहत या उस देश में लागू संबंधित कानून के तहत प्रभार्य अप्रकटित विदेशी आय पर कर की चोरी या कर से बचने की रोकथाम के लिए सूचना के आदान-प्रदान के लिए, या ऐसी चोरी या परिहार के मामलों की जांच के लिए;

(ख) इस अधिनियम के तहत और उस देश में लागू संबंधित कानून के तहत कर की वसूली के लिए" (4)

(श्री अरुण जेटली)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि खंड 73, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का अंग बने।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 73, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 74 से 83 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**खंड 84 आयकर अधिनियम के प्रावधान को लागू करना**

**माननीय अध्यक्ष:** खंड 84 में सरकारी संशोधन सं. 5 है: माननीय मंत्री जी।

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 29, पंक्ति 20, -

"284 लागू होगा"

के स्थान पर

"284 आयकर अधिनियम की धारा लागू होगी"

प्रतिस्थापित किया जाए।" (5)

(श्री अरुण जेटली)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि खंड 84, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 84, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 85 और 86 विधेयक में जोड़ दिये गये।

**खंड 87**

**1963 के अधिनियम 54 की धारा 2 का**

**संशोधन**

**माननीय अध्यक्ष:** खंड 87 में सरकारी संशोधन सं. 6 है: माननीय मंत्री जी।

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 30, पंक्ति 30, -

"अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर के स्थान पर  
अधिरोपण)"

"काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और प्रतिस्थापित किया जाए)" (6)  
आस्ति और कर अधिरोपण।

(श्री अरुण जेटली)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि खंड 87, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 87, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड 88 2003 के 15 के अधिनियम में संशोधन**

**माननीय अध्यक्ष:** खंड 88 में सरकारी संशोधन सं. 7 है - माननीय मंत्री जी।

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 30, पंक्ति 36, -

"अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति" के स्थान पर

"काला धन (अप्रकटित विदेशी आय प्रतिस्थापित किया जाए)" (7)  
और आस्ति कर अधिरोपण"

(श्री अरुण जेटली)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 88, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 88, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ**

**माननीय अध्यक्ष:** खंड 1 में सरकारी संशोधन सं. 2 है - माननीय मंत्री जी।

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 1, पंक्तियाँ 4 और 5, —

"अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर के स्थान पर अधिरोपण "

"काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति कर अधिरोपण)" प्रतिस्थापित किया जाए" (2)

(श्री अरुण जेटली)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया है।*

### शीर्षक

**माननीय अध्यक्ष:** दीर्घ शीर्षक में सरकारी संशोधन सं. 1 - माननीय मंत्री जी।

*संशोधन किए गए:*

"कि लंबे शीर्षक में,--

"अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति" के स्थान पर

"काले धन की समस्या से निपटने के लिए जो अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति है" प्रतिस्थापित किया जाए" (1)

(श्री अरुण जेटली)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि दीर्घ शीर्षक, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

दीर्घ शीर्षक, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

**श्री अरुण जेटली:** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

[हिन्दी]

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि हाल ही में नेपाल में जो भूकम्प हुआ, उसमें साढ़े सात हजार से भी ज्यादा लोग मर गए। ऐसे भूकम्प पहले महाराष्ट्र में भी हुए हैं, गुजरात में भी हुए हैं। मैं इस शून्य काल में आपके सामने यह लाना चाहता हूँ कि हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री जी ने फ्रांस में अरेवा कम्पनी के साथ एक करार किया है। ऐसी स्थिति में हमारे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी जिले में जैतापुर में अणुऊर्जा प्रकल्प लाने की कोशिश हो रही है। उसके लिए प्रयास भी शुरू हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि इसके बारे में जियोलॉजिकल विभाग ने कहा कि यहां भूभ्रंश है। पिछले बीस सालों में यहां 93 भूकम्प हुए। इसके बाद ओशियॉनिक विभाग ने कहा कि अणु ऊर्जा निर्माण का जो संयंत्र है, उसमें पानी का उपयोग होने वाला है और वह पानी जब समुद्र में फेंका जाएगा, तो इससे समुद्र के पानी का तापमान बढ़ेगा। उससे वहां के मत्स्य पर भी बुरा असर पड़ने वाला है। अणु ऊर्जा संयंत्र की वजह से हमने देखा कि फुकुशिमा में पूरा शहर खाली किया गया। आज वहां जो चार लाख लीटर पानी बचा है, वह भी वहां अणु का उत्सर्जन कर रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि जैतापुर के प्रकल्प के लिए आगे बढ़ने से पहले सरकार इन सारी रिपोर्टों की जांच करे और उसके बाद विचार कर के जैतापुर प्रकल्प को रद्द करे। यह मेरी प्रार्थना है।

**श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया। इस सदन में बैठे हुए जो सदस्य हैं, वे लोक सभा का चुनाव जीतकर आते हैं और 545 सदस्य चुनकर यहां आते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री जी के द्वारा कैंसर रोगियों के लिए, जो इससे पीड़ित होते हैं, एक महीने में तीन केस की सुविधा हर संसद सदस्य को प्राप्त होती है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र आति पिछड़ा है, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो। वहां पर रहने वाले 63 परसेंट

ट्राइबल्स आर्थिक दृष्टिकोण से आज भी अत्यंत पिछड़े हुए हैं। आप संसद रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको भी इस सत्यता की जानकारी होगी। मेरे क्षेत्र में रहने वाले इन आदिवासियों में आज भी शिक्षा की बहुत कमी है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है। कैंसर इलाज की जो सुविधा होती है, वह महीने में गिनती की केवल 3 और वर्ष में 36 होती हैं। वर्ष 2014 में 6,009 लोग कैंसर से पीड़ित होकर कालग्रस्त हुए। मैं चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के इन पिछड़े हुए लोगों को एक महीने में 3 की जगह 10 की सुविधा दी जाए। इस सुविधा को बढ़ाने का निवेदन करते हुए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री निशिकान्त दुबे और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र हरदोई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड इकाई शाखा, हरदोई 15 वर्षों से बंद पड़ी है।

महोदया, मिल बंद होने के बाद से कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता संख्या यू.पी. 176 सत्र 1984 के पूर्व तक का बकाया चालीस प्रतिशत वेतन ही प्राप्त कराया गया तथा साठ प्रतिशत भविष्य निधि वेतन व अन्य बकाया भुगतान आज तक राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया।

महोदया, कर्मचारियों का सत्र 1982-83 के 3ए एवं 6ए का भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध न होना बताकर भुगतान नहीं किया गया एवं पेंशन गणना में 2 वर्ष छोड़ दिए गए, जबकि भविष्य निधि कार्यालय में पत्र संख्या 37,414 दिनांक 16.07.2003 के माध्यम से जमाधन अंकित है, यह सूचित किया गया।

महोदया, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय आयुक्त, लखनऊ के पत्र संख्या 51,709 दिनांक 16.07.2003 ने सदस्यों के वार्षिक लेखा विवरण के संबंध में वर्ष 1991-92 में त्रुटियां होने के कारण आगे के वार्षिक लेखा विवरण में सुधार कर प्रेषित किए जाने के बारे में बताया। इन्होंने अपने पत्र में यह भी स्वीकार किया कि भविष्य निधि धनराशि की प्रपत्र 3ए एवं 6ए के माध्यम से इस कार्यालय में जमा होना अंकित है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बंद पड़ी चीनी मिल के कर्मचारी बेरोजगारी की दशा में भुखमरी झेल रहे हैं। एक तरफ क्षेत्रीय आयुक्त, लखनऊ भविष्य निधि संगठन ने अपने पत्र से त्रुटियां होना स्वीकार किया है तथा भविष्य निधि धनराशि कार्यालय में जमा न होना भी स्वीकार किया है।

आपसे आग्रह है कि जनहित में बंद पड़ी चीनी मिल के कर्मचारियों के 60 प्रतिशत बकाया भविष्य निधि का भुगतान कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. अंशुल वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम):** अध्यक्ष महोदया, मुझे 'शून्य काल' के दौरान बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मैं इस समय का उपयोग बेरोजगारी की गंभीर समस्या के बारे में सरकार को सूचित करने के लिए करना चाहूंगा जिसका सामना इस देश के युवा कर रहे हैं। बेरोजगारी के परिणामस्वरूप, हम देखते हैं कि बहुत से युवा भावनात्मक तनाव का सामना कर रहे हैं, और इसके कारण वे आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं; ड्रग्स की कोशिश कर रहे हैं; और पैसे कमाने के विभिन्न गलत तरीके भी खोज रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं और अपराध बढ़ रहे हैं। यह वह चीज नहीं है जिसकी हम इस देश के युवाओं से उम्मीद करते हैं, और इस देश के युवाओं को इस देश के विकास में उपयोग करने के लिए, सरकार जो भी योजना लाने की कोशिश कर रही है, उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में अधिक रोजगार पैदा करने के लिए एक योजना के साथ आना होगा।

मुझे उम्मीद है कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से लेगी और इसे इस तरह से देखेगी।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री सी.आर.चौधरी और श्री पी.पी.चौधरी को श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) :** अध्यक्ष जी, मैं सुबह भी कह रहा था कि पंजाब दवाबा बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। उसका क्षेत्र जालंधर है, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। यह एरिया हमेशा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहा है। वर्ष 1994 में वहां कांग्रेस की सरकार थी और सरदार बेअंत सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। उस समय वहां एक सरकारी गन्ना फार्म था, उसमें से 56 एकड़ जमीन ले कर एक एम्स जैसा संस्थान बनाने का सरकार ने फैसला किया और उस पर 140 करोड़ रुपये खर्च हुए। उस पर भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। उसमें मेडिकल कॉलेज बनना था और उसमें एम्स की तरह सारी सुविधायें दी जानी थीं। उस वक्त की हमारी सरकार ने भी इसके लिए कोशिश की। हमने भारत सरकार को लिखा कि एम्स इसको टेक ओवर करे। पर आनफारचूनेटली, सरकार बदल गयी। अब उसकी वैल्यू 1500 करोड़ रुपये है। प्रांतीय सरकार ने अपने एक मौजूदा मंत्री जी को 131 करोड़ रुपये में उसकी एक सोसायटी को लीज पर दे दिया।

अब भारत सरकार ने यह एनाउंस किया है कि पंजाब को एक एम्स मिलना है। जिस सोसायटी को 131 करोड़ रुपये में लीज पर दी गयी है, वह उसे चला नहीं पा रही है और एम.सी.आई. उसको इजाजत नहीं दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जालंधर में पीम्स का बुनियादी ढांचा बना हुआ है, पंजाब को जालंधर में एक एम्स दिया जाये ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र और आस-पास सारे एरिया के लोगों के स्वास्थ्य सुविधायें मिलें।

**श्री हरिनारायन राजभर (घोसी) :** माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कुछ किसानों के बारे में कहने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल का प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है, मात्र इने-गिने गांव के लोगों की ही क्षतिपूर्ति की जा रही है। उनको 100 रुपये और 200 रुपये का चेक दिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे गांव के किसानों का नुकसान हुआ है और उस गांव में मात्र 10 आदमियों की क्षतिपूर्ति की जा

रही है, जो एकदम अन्याय है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि आप यह निर्देश दें कि उस गांव के पूरे किसानों का सर्वे करा कर, सभी लोगों का जितना नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति की जाये। मैं आपसे यही मांग करता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री हरिनारायण राजभर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री भरत सिंह (बलिया) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र बलिया के बसंतपुर ग्राम सभा में भारत सरकार द्वारा हजारों करोड़ों रुपये की लागत से बनकर, बंद पड़े बहुद्वेशीय योजना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के बसंतपुर ग्राम सभा में 215 एकड़ जमीन में भारत सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपये खर्च करके कृषि अनुसंधान केन्द्र, एशिया का सबसे बड़ा फव्वारा, वन विभाग का गेस्ट हाउस, पाठशाला, कैटीन, भोजपुरी सांस्कृतिक केन्द्र, तारामंडल, हिस्ट्री म्यूजियम, वृद्धाश्रम, चिल्ड्रेन पार्क, आडिटोरियम, दूरसंचार विभाग का गेस्ट हाउस, कृत्रिम झील इत्यादि वर्षों से बंद पड़े हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चन्द्रशेखर जी के प्रयासों से हजारों करोड़ रुपये खर्च करके यह योजना स्थापित हुयी थी। 'सुरहा ताल' हिन्दुस्तान का सबसे फेमस ताल है। उस ताल को अगर डेवलप किया जाये तो 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सब बंद होने के कारण जंगल हो गये हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री और वन विभाग के मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भारत सरकार के हजारों-करोड़ रुपये खर्च हुए हैं...(व्यवधान)

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) :** आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज सदन के समक्ष रख रही हूँ। कुछ दिन पूर्व राज्य के एक मुख्य मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया कि प्रैस का कोई भी व्यक्ति अगर उनके खिलाफ खबर छापता है तो उसके विरोध में एक परिपत्र जारी किया जाएगा और उस पर मानहानि के मुकदमे की मांग की जाएगी। उन्हीं व्यक्ति ने उसके एकदम पूर्व एक और बयान जारी किया कि जो भी उनकी नजरों में ईमानदार व्यक्ति होंगे और ईमानदार प्रैस के कार्यकर्ता होंगे, उन्हें उनकी सरकार प्रोत्साहित करेगी। ऐसा आज न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था बल्कि उसकी जितनी भी कार्यप्रणाली है, उसके अपमान के क्षेत्र में

आता है क्योंकि इस प्रकार का कार्य कि अपनी तारीफ में जो लिखा जाए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल किया जाए, क्या यह आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुमकिन है? क्या ऐसा कोई भी सरकार कर सकती है? मैं कहना चाहती हूं कि यह सत्य को कहीं न कहीं जनता से दूर रखने का एक प्रकरण है जिसकी भरसक निन्दा आज इस संसद के माध्यम से होनी चाहिए। विभिन्न मीडिया समूहों के कार्यक्षेत्र में धरातल की असमानता को भी सृजित करता है। प्रैस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तम्भ है तथा सरकार द्वारा जनता के पैसे से इस प्रकार का पक्षपात करना उसे कमजोर करता है यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही कमजोर करता है। यह राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है क्योंकि यह हम सबको 70 के दशक की याद दिलाता है। उस दशक में आपातकाल के दौरान प्रैस का किस तरह दुरुपयोग हुआ, यह देश अच्छी तरह जानता है और दृढ़ता से उसका विरोध करता है। साथ ही पुनः ऐसा दोहराया न जाए, इसकी पूरी तैयारी है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूं कि न केवल इसकी निन्दा व भर्त्सना करना आवश्यक है आपितु इसे हतोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। न केवल इसे छोड़ दिया गया है, बल्कि इस सदन द्वारा इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डा. उदित राज, श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती अंजू बाला, श्री दद्वन मिश्रा, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, डा. वीरेन्द्र कुमार, श्री पी.पी. चौधरी, डा. मनोज राजोरिया और श्रीमती रेखा वर्मा को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) :** अध्यक्ष महोदया, मीनाक्षी लेखी जी ने जो विषय उठाया है, ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** क्या आप वही विषय उठा रहे हैं?

... (व्यवधान)

**श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :** मैं पहले अपने को उनके विषय से एसोसिएट करता हूँ और वादा भी करता हूँ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप अपनी बात बोलिए।

... (व्यवधान)

**श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :** वादा इस बात का है कि ऐसी ही बहुत शर्मनाक और निन्दनीय घटना पंजाब के लुधियाना में हुई। वहाँ एक महिला पत्रकार की पिटाई की गई। उसे कांग्रेस के एक विधायक ने मारा। मुझे इस बात का दुख है कि वहाँ यूथ कांग्रेस के बहुत सारे वर्कर्स खड़े थे। उन्होंने लताड़ा...(व्यवधान) मां दिवस पर एक मां को केवल इसलिए इतना पीटा गया कि वह उनके मर्जी की खबरें नहीं देती थी।...(व्यवधान) उसका अपमान किया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हाउस इसकी निन्दा करे और ऐसे लोगों को सबक सिखाए जो इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। वे प्रैस का गला घोटना चाहते हैं...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री थुपरस्तान छेवांग (लद्दाख) :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का संज्ञान एक दुर्घटना की ओर कराना चाहता हूँ। जैसा पिछले दिनों चर्चा में था कि लद्दाख के जंसकार क्षेत्र में फुटकल नदी के पानी का बहाव रुक जाने की वजह से वहाँ 20-30 किलोमीटर की एक आर्टिफिशियल लेक बन गई थी। 7 तारीख की सुबह तकरीबन आठ बजे वह बस्ट हुई जिसकी वजह से वहाँ बहुत त्रासदी हुई। अभी तक जो समाचार मिला है, उसके अनुसार कम से कम 9-10 फुट सर्स्पेंशन ब्रिजेस, 4 मेजर मोटरेबल ब्रिज बह गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड, एनिमल्स और स्कूल बिल्डिंग्स की क्षति हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वहाँ एक सैंट्रल टीम भेजी जाए। सड़क टूट जाने की वजह से हजारों लोगों की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। ध्वस्त पुल का निर्माण आति आवश्यक है।

प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि डिजास्टर रिलीफ फंड से या प्राइम मिनिस्टर फंड से क्षतिपूर्ति के लिए और असेन्शियल पब्लिक सर्विस को दुबारा निर्माण के लिए धन दिया जाए। एक सेंट्रल टीम को भी जल्द से जल्द भेजने की कृपा की जाए।

[अनुवाद]

**श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार):** अध्यक्ष महोदया, रेशम सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है कर्नाटक उत्पादन कर रहा है और यह अच्छा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यू.पी.ए. सरकार के दौरान लगाया गया शुल्क अधिक था। अब जब सरकार लगाए गए शुल्क को कम कर रही है, तो रेशमकारी किसानों को समस्याएँ आ रही हैं। मैं सरकार, वित्त मंत्री और कपड़ा मंत्री जी से रेशम किसानों की सुरक्षा के लिए इस पर फिर से विचार करने का आग्रह करता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री राजीव सातव को श्री के.एच. मुनियप्पा द्वारा गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री पी.करुणाकरन (कासरगोड):** माननीय अध्यक्ष, मैं मनरेगा कर्मचारियों की कुछ गंभीर समस्याओं को सभा के सामने रखना चाहूंगा। हमने इस मुद्दे को प्रश्नकाल में भी उठाया है। यह सत्य है कि बड़ी राशियों में मजदूरी का भुगतान लंबित है और उसे महीनों तक नहीं किया गया है। महोदया, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मनरेगा श्रमिकों में एक बड़ा संख्या महिला श्रमिक होती है। बिना मजदूरी के उन श्रमिकों के लिए काम करना बहुत कठिन है। यह इस अधिनियम के प्रावधानों के ही खिलाफ है। केरल में ही 75 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान लंबित है। पूरे भारत में यह लगभग 2,000 रुपये से 3,000 करोड़ रुपये तक आता है। इन कामगारों का काम पर जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं सरकार से जल्द से जल्द राशि जारी करने का आग्रह करती हूँ।

[हिन्दी]

**श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर) :** अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष समाजिक सहायता विभाग के सचिव द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के सचिव को पिछड़े वर्ग के लिए केन्द्र सरकार की ओर से वर्ष 2001-2002 से 2013-2014 की अवधि का बकाया 1392.100 करोड़ की रिम्ब्रसमेंट राशि को जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है और उक्त राशि को जारी किए जाने हेतु 29 रिमाइंडर लेटर भी प्रेषित किए गए हैं, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर अब तक वह बकाया राशि जारी नहीं की गई है। राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु बकाया केन्द्रीय धन का आबंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अंत में, सदन के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु केन्द्रीय धन का आबंटन शीघ्र सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**सायं 07.33 बजे**

तात्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 12 मई, 2015 / 22 वैशाख, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए

स्थगित हुई।

## **इंटरनेट**

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

### **लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण**

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

---

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के  
अन्तर्गत प्रकाशित

---